Kalindi College

कालिंदी महाविद्यालय

(NAAC Accredited 'A' Grade)

University of Delhi

PROSPECTUS 2021-2022

यू.जी. मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 के लिए सूचना

प्रक्रिया	दिनांक
महाविद्यालय द्वारा पहली कट-ऑफ की घोषणा	1 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)
पहली कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	10:00 पूर्वाह्न 04 अक्टूबर (सोमवार) - 11:59 बजे 06 अक्टूबर (बुधवार)
पहली कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए कॉलेजों को मंजूरी पूरी करने के लिए	07 अक्टूबर (गुरुवार) शाम 5:00 बजे तक
पहली कट-ऑफ के लिए उम्मीदवारों द्वारा भुगतान का अंतिम दिन	शाम 5:00 बजे 08 अक्टूबर (शुक्रवार)
महाविद्यालय द्वारा द्वितीय कट-ऑफ की घोषणा	09 अक्टूबर 2021 (शनिवार)
दूसरी कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	10:00 पूर्वाह्न 11 अक्टूबर (सोमवार) - 11:59 अपराह्न 13 अक्टूबर (बुधवार)
दूसरी कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए कॉलेज पूरी तरह से मंजूरी देंगे	14 अक्टूबर (गुरुवार) शाम 5:00 बजे तक
दूसरी कट-ऑफ के लिए उम्मीदवारों द्वारा भुगतान का अंतिम दिन	15 अक्टूबर (शुक्रवार) शाम 5:00 बजे
महाविद्यालय द्वारा तीसरी कट-ऑफ की घोषणा	16 अक्टूबर 2021 (शनिवार)
तीसरी कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	10:00 पूर्वाह्न 18 अक्टूबर (सोमवार) - 11:59 अपराह्न 21 अक्टूबर (गुरुवार)
तीसरी कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए	22 अक्टूबर (शुक्रवार) शाम 5:00 बजे तक

कॉलेजों को मंजूरी पूरी करने के लिए	
तृतीय कट-ऑफ के लिए उम्मीदवारों द्वारा भुगतान का अंतिम दिन	शाम 5:00 बजे 23 अक्टूबर (शनिवार)
कॉलेजों द्वारा विशेष कटऑफ* की घोषणा	25 अक्टूबर (सोमवार)
विशेष कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	सुबह 10:00 बजे 26 अक्टूबर (मंगलवार) - 11:59 बजे 27 अक्टूबर (बुधवार)
कॉलेज विशेष कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए अनुमोदन पूरा करेंगे	शाम 5:00 बजे 28 अक्टूबर (गुरुवार)
विशेष कट-ऑफ के लिए उम्मीदवारों द्वारा भुगतान का अंतिम दिन	5:00 अपराह्न 29 अक्टूबर (शुक्रवार)
कॉलेजों द्वारा चौथी कट-ऑफ* की घोषणा	30 अक्टूबर (शनिवार)
उम्मीदवारों को चौथी कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए आवेदन	10:00 पूर्वाह्न 1 नवंबर (सोमवार) - 11:59 अपराह्न 2 नवंबर (मंगलवार)
चौथी कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए कॉलेजों को मंजूरी पूरी करने के लिए	5 नवंबर (शुक्रवार) शाम 5:00 बजे
चौथी कट-ऑफ के लिए उम्मीदवारों द्वारा भुगतान का अंतिम दिन	शाम 5:00 बजे 6 नवंबर (शनिवार)
पाँचवीं कटऑफ की घोषणा*	8 नवंबर (सोमवार)
पाँचवीं कट-ऑफ के खिलाफ प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	सुबह 10:00 बजे 9 नवंबर (मंगलवार) - 11:59 बजे 10 नवंबर (बुधवार)
पाँचवीं कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए कॉलेज पूरी करेंगे मंजूरी	11:59 अपराह्न 11 नवंबर (गुरुवार)
अंतिम तिथि पाँचवीं कटऑफ के खिलाफ शुल्क का भुगतान	शाम 5:00 बजे 12 नवंबर (शुक्रवार)

जहां भी उपलब्ध हो, खाली सीटों पर विशेष अभियान* के तहत कटऑफ की घोषणा	13 नवंबर (शनिवार)
उम्मीदवारों को विशेष अभियान के खिलाफ आवेदन करने के लिए	14-15 नवंबर (रविवार-सोमवार)
विशेष अभियान के लिए शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	16 नवंबर (मंगलवार)

***ये कटऑफ तभी घोषित की जाएंगी जब खाली सीटें उपलब्ध हों**

यदि रिक्त सीटें छोड़ दी जाती हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट सूची की घोषणा की जा सकती है

अनुक्रम

1. अभिविन्यास 1
2. प्राचार्य के डेस्क से 2
3. कालिंदी की दृष्टि 6
4. कॉलेज एक नजर में 8
5. कॉलेज पोर्टल के भीतर जीवन 11
6. तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 49
7. विभाग 55
   - 7.1 भूगोल 55
   - 7.2 इतिहास 65
   - 7.3 हिंदी 73
   - 7.4 राजनीति विज्ञान 80
   - 7.5 संस्कृत 85
   - 7.6 बी.ए. प्रो. 93
8. सीट आवंटन 103
9. प्रवेश दिशा निर्देश 105
10. शुल्क संरचना 178
    - 10.1 शुल्क में छूट और छात्रवृत्ति 183
11. परिणाम एक नजर में 190
    - 11.1 विश्वविद्यालय रैंकर 190

11.2 उत्कृष्टता का पुरस्कार..... 190

11.3 विभिन्न विषयों में 'O' प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या..... 191

12. प्रॉक्टोरियल बोर्ड..... 193

13. कॉलेज के नियम और विनियम..... 194

13.1 छात्रों के लिए क्या करें और क्या न करें का पालन करने के कुछ नियम 196

13.2 अध्यादेश..... 196

14. प्रवेश समिति..... 199

15. महिला सुरक्षा..... 201

16 कॉलेज प्रशासन..... 202

17. कुछ झलकियां..... 204

18. विवरणिका समिति..... 216

सामान्य और विभागीय अभिविन्यास

महाविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र जल्दी ही शुरू होगा। कक्षाएं शुरू होने से एक दिन पहले, नए प्रवेशित छात्रों को उनके माता-पिता के साथ महाविद्यालय के वातावरण, बुनियादी ढांचे और इसकी विभिन्न सुविधाओं की एक झलक देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से उन्हें महाविद्यालय में 'क्या करना है' और 'क्या नहीं करना है' के बारे में संक्षेप में बताया जाता है। उन्हें शैक्षणिक पंचांग, आंतरिक मूल्यांकन, समितियों की गतिविधियों, सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों, अनुशासन, रैगिंग विरोधी नियमों, शुल्क रियायत, अल्पावधि एड-ऑन पाठ्यक्रम, स्वच्छता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाती है। यह छात्रों को नए वातावरण और उस स्थान से परिचित होने में सहायता करेगा, जिसका वे हिस्सा बनने जा रहे हैं।

सामान्य तथा विभाग की जानकारी के लिए वर्चुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

कृपया अन्य और अद्यतन जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट देखें।

प्राचार्या का संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

कालिंदी कॉलेज का भाग बनने पर, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। इस प्रतिष्ठित संस्थान में उत्साह-उमंग से भरे छात्रों के एक नए बैच का शामिल होना खुशी की बात हैकालिंदी का आदर्श वाक्य (ज्ञानं,शीलं,धर्मशचैव,भूषणम) जो ज्ञान, विनय और कर्तव्य की भावना के तीन गुणों को स्थापित करता है, जिसे हम अपने छात्रों में विकसित करना चाहते हैं। हमने 54वर्षों की एक समृद्धऔर गौरवशाली यात्रा पर संपन्न की है,जो हमारे छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के उत्साही प्रयास के बिना संभव नहीं हो सकता था।मुझे आशा है कि आप सभी हमारी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं और अवसरों

काअपने युवा उत्साह के साथ सर्वोत्तम उपयोग करेंगीं और हमें और अधिक ऊंचाइयों और नए शिखर पर ले जायेंगीं

शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के क्षेत्र में महाविद्यालय के सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप कालिंदी कॉलेज को नैक द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाण 'ए' ग्रेड से सम्मानित किया गया|केवल 599 स्नातक छात्रों के साथ 1967 में शुरू करने के बाद से हमने एक लंबा सफर तय किया है, वर्तमान में 3791 से अधिक नियमित स्नातक, 437 नॉन कॉलेजिएट, एस.ओ.एल. और स्नातकोत्तर छात्रों शिक्षा का लाभ ले रहें हैं।पिछले कुछ वर्षों में कॉलेज ने अपने आधार पाठ्यचर्या का विस्तार किया है जिसमें कुल 26 पाठ्यक्रमोंके साथ 21 विभिन्न विषयों में और 5 ऐड-ऑन पाठ्यक्रम शामिल मुझे अपनी छात्राओं,शिक्षकों और कर्मचारियों पर बहुत गर्व है जिन्होंने समर्पण और अथक प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जो कॉलेज की उपलब्धियों से भी परिलक्षित होता है।

हम कालिंदी की छात्राओं के समग्र विकास के लिए एक समुचित वातावरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जहां वे शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का पता लगा सकें।हमारा उद्देश्य न केवल युवा मन को उनके व्यक्तिगत विकास के लिए पोषित करना है, अपितु उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान देने के लिए प्रेरित करना तथा एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना भी चूंकि माता-पिता इस प्रक्रिया के प्रमुख हितधारक हैं, इसलिए प्रत्येक सेमेस्टर में आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठकों के रूप हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सूचना, सुझाव और प्रतिक्रिया के प्रवाह के लिए में संचार की इस कड़ी को बनाए रखा जाए।.हमारे201 संकाय,विविधअकादमिक गतिविधियों, अनुसंधान और संस्थागत कर्तव्यों के प्रति समर्पित और विशिष्ट सक्रिय रूप से में संलग्न हैं।हम छात्रों को सर्वोत्तम गुणवत्तायुक्त शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कालिंदी में 84कुशल प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी, कॉलेज के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं और हर कदम पर छात्राओं की मदद करतें हैं| कॉलेज स्टाफ और छात्राओं की भलाई का पूरा ध्यान रखते हुए साफ-सफाई और स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जाता है|

आप सभी को यह सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी छात्राओंने शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में बेहतरीनउपलब्धियां हासिल की और कालिंदी महाविद्यालय ने स्वयं के लिए एक जगह बनाई|कालिंदी कॉलेज से यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स की संख्या समय के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। विभिन्न विषयों में, हमारे अधिकतम 100% अंक, O और A+ ग्रेड हासिल कर रहे हैं।हमारे छात्र एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, ताइक्वांडो, किकबॉक्सिंग इत्यादि जैसे खेलों में उत्कृष्ट और जीत हासिल कर रहे हैं।विभिन्न विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में हमारी छात्राओं द्वारा जीते गए पुरस्कार, पदक और ट्राफियां हमारी संस्था में चार चाँद लगाते हैं जोकिउनकी योग्यता और प्रशंसा को भी प्रमाणित करतें हैं|

कालिंदी में समय समय पर आयोजित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों के माध्यम से छात्राओं को अकादमिक, छात्रवृत्ति, और तकनीकी शिक्षा में नवीनतम विकास के साथ अद्यतन रखा जाता है। शोध में छात्राओं को शामिल करने के लिए कॉलेज ने एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है, जिसका संचालन संकाय द्वारा किया जाता है, ताकि विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और विचारों के व्यावहारिक अनुप्रयोग की उनकी क्षमताओं का उपयोग किया जा सके।

अपने संस्थान में छात्र-हितैषी वातावरण बनाने के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, और किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति का पालन करते कालिंदी में, एंटी-रैगिंग नीति सख्ती से लागू की गई हैं और किसी भी अवांछनीय घटना या प्रथा को कम करने और उसका समाधान सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुशासनात्मक नियम हैं।उपस्थिति सम्बन्धी हमारे नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि छात्राएं कक्षाओं में नियमित रहें और कॉलेज में अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग हमारे संस्थान में आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ छात्राओं को उनकी चिंताओं को सुनने के लिए एक खुला और न्यायसंगत मंच प्रदान करता है जिसे तत्काल संबोधित किया जाता है।महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व महिला विकास के सक्रिय प्रकोष्ठ हैं जो जाति और लिंग भेदभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है व

सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाता हैहाल ही में गठित डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टडी सेंटर भी इसी दिशा में काम करता है। कॉलेज द्वारा सभी श्रेणियों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछला शैक्षणिक वर्ष लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन मोड तक ही सीमित रहा है हम सभी ने अप्रत्याशी चुनौतियों का सामना किया है और बड़े साहस और लचीलेपन के साथ संघर्ष किया।इस यथार्थ को विश्व भर के शैक्षणिक दुनियां के साथ-साथ कालिंदी ने भी स्वीकारा और अपने सभी छात्रों के लिएऑनलाइन शिक्षण और सीखने को प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए हैं।हमने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए ऑनलाइन परीक्षाओं (ओबीई) के साथ-साथ ऑनलाइन मोड में विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।हमने अपने शिक्षकों, कर्मचारियों और सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रिय छात्रों के निरंतर समर्थन के माध्यम से कई चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है मुझे विश्वास है और आशा है कि आप सभी ई-लर्निंग प्रक्रिया को एक समृद्ध अनुभव बनाने में हमारे संकाय के साथ हाथ मिलाएंगे जब तक कि हम सभी एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से अपने खूबसूरत परिसर में नहीं मिलते।

जैसा कि हम कल्पना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कालिंदी परिसर में हमारी शीघ्र वापसीहोगी और जब हम आप सभी को साथ होंगे, इसके लिएसभी की देखभाल और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए पहले ही योजना बना ली है|

इस संदेश के साथ, अपने ह्रदय से,उत्सुकता के साथ मैं आप सभी का कालिंदी कॉलेज में स्वागत करने और इस यात्रा में नए क्षितिज की ओर ले जाने काबेसब्री इंतजार कर रहीं हूं।

कालिंदी महाविद्यालय: एविसिंग उद्देश्य, लक्ष्य और रोडमैप

सभी शुभाकांक्षिओ के वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण से, कालिंदी महाविद्यालय ने अपने लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है, जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और विश्वविद्यालयों और अन्य नोडल एजेंसियों आदि से मिले सम्मान से परिलक्षित होता है।

पटेल नगर में 8.25 एकड़ के परिसर में महाविद्यालय प्रशासन ने प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक, एम्फीथिएटर, नई प्रयोगशाला (रसायन विज्ञान) छात्र सुविधा ब्लॉक और खेल उपयोगिता केंद्र, जिमनासिया, शिक्षक साइबर केंद्र के निर्माण के साथ एक उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचा विकसित किया है। अतिरिक्त सुरक्षा गेट, साइंस ब्लॉक में अतिरिक्त कमरे, पार्किंग क्षेत्र, अगस्त क्रांति पार्क, सरस्वती पार्क, बुद्ध पार्क, बटरफ्लाई पार्क, हर्बल गार्डन, वर्षा जल संचयन प्रणाली के साथ-साथ प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक और थीम पार्क का नवीनीकरण और स्थापना आरओ वाटर प्यूरीफायर सिस्टम, अग्निशामक यंत्र, सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण। कुल मिलाकर 31 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य पूर्ण होने की स्थिति में हैं। हमारे दूरदर्शी शासी निकाय के प्रबल समर्थन के साथ, हमें उम्मीद है कि महिला छात्रावास को पूरा करने, ऑडिटोरियम, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के संग्रहालयों का नवीनीकरण करने और बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करने की हमारी आगामी योजना जल्द ही पूरी होगी। 21 मुख्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अलावा, महाविद्यालय विदेशी भाषाओं में 5 समकालीन अल्पकालिक ऐड-ऑन सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करता है। फ्रेंच और चीनी, यात्रा और पर्यटन, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, और कौशल विकास, जिसमें छात्र सीखने और कौशल को और विकसित करने के लिए नामांकन करते हैं। 199 सुयोग्य, प्रतिष्ठित शिक्षण संकाय सदस्यों के एक समूह के साथ, जो शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा संस्थागत जिम्मेदारियो में सक्रिय हैं और 86 कुशल और सहकारी प्रशासनिक / तकनीकी / सहायक कर्मचारी हैं, जिनका उदेश्य महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास प्रदान करना है। इसके 7,400 से अधिक विद्यार्थियों के लिए, जिनमें महाविद्यालय के नियमित और नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेंटर के तहत नामांकित छात्राएं शामिल हैं।

अकादमिक जगत में विकास के साथ सामंजस्य रखते हुए, कालिंदी महाविद्यालय अनुसंधान पर भी केन्द्रित है। हम सीखने और नवाचार को कक्षा से परे ले जाने का प्रयास करते हैं और अनुसंधान के लिए छात्राओं को

परियोजनाओं पर शिक्षकों से बातचीत और सलाह की सुविधा के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक कौशल का अध्ययन और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

यद्यपि, कक्षा शिक्षण और शैक्षणिक कार्य शिक्षकों के मुख्य कार्य हैं, क्योंकि यह छात्राओं को एक सुदृढ़ नींव प्रदान करता है। पाठ्यक्रम योजनाओं और पाठ्यक्रम पूर्ण होने के रिपोर्ट के माध्यम से शिक्षण को सुव्यवस्थित किया गया है। कोविड काल के बाद, शिक्षण, शिक्षण की परिवर्तित स्थितियों को देखते हुए, हमने महाविद्यालय के वेबसाइट सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छात्राओं के लिए ई-संसाधन उपलब्ध कराने पर बहुत जोर दिया है। प्रख्यात विद्वानों की गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी और कार्यशालाओ का आयोजन कक्षा के पूरक हैं। विधार्थी मेंटरिंग को औपचारिक रूप दे दिया गया है और यह छात्राओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण सहायता है। छात्राओं के लिए एक परिपूर्ण स्टॉक के साथ चिकित्सा कक्ष के रूप में चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है; इसके लिए एक डॉक्टर और एक नर्स हमेशा वहां रहते हैं। महाविद्यालय एक काउंसलर के माध्यम से छात्राओं को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। अपने छात्राओं की लगातार बदलती जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए और उन्हें सर्वोत्तम सुविधाएं और संसाधन प्रदान करने के लिए, महाविद्यालय ने 240 बिस्तरों वाले 80 कमरों वाले एक महिला छात्रावास के निर्माण के साथ अपने बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने की परिकल्पना की है, जिसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। संगम परिसर का नवीनीकरण, परिसर का विद्युतीकरण, पुस्तकालय का विस्तार और सीवर प्रणाली में सुधार जैसी चार अतिरिक्त परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और जल्द ही शुरू होंगी। विज्ञान ब्लॉक का विस्तार, शैक्षणिक ब्लॉक का विस्तार, खेल मैदान का विकास, लिफ्ट का प्रावधान, 40 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण सहित 8 और नई परियोजनाएं हैं, जो निकट भविष्य में भी शुरू की जाएंगी। महाविधालय के लिए गेट और सेंट्रलाइज्ड पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं और अकादमिक साख के साथ, कालिंदी महाविद्यालय अपने छात्राओं को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि वे स्वयं के उज्ज्वल भविष्य को व्यक्तिगत और वृहत पैमाने पर समाज में स्थापित कर सकें।

महाविद्यालय एक नजर में

सुविधाएं और बुनियादी ढांचा

- विशाल, हवादार कक्षाएं
- एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ 25 कक्षाएं
- शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक (12 नए वर्ग कक्षों के साथ)
- पूरी तरह से सुसज्जित आधुनिक प्रयोगशालाएं
- वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी के अलग संग्रहालय
- दृश्य श्रव्य शिक्षण विज्ञापन के साथ कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशालाएँ
- मल्टीमीडिया पत्रकारिता स्टूडियो
- उत्पादन नियंत्रण कक्ष
- पुस्तकों से भरा पुस्तकालय
- सेमिनार कक्ष (प्रशासनिक ब्लॉक)
- बी.वोक के लिए नई कंप्यूटर प्रयोगशाला
- समिति कक्ष (प्रशासनिक ब्लॉक)
- सम्मेलन कक्ष (टीआरआई ब्लॉक)
- ट्यूटोरियल क्यूबिकल्स (अकादमिक ब्लॉक)
- ऑडिटोरियम (संगम परिसर-विस्तार की प्रक्रिया के तहत)
- एम्फीथिएटर (खुला परिसर)
- छात्रों के लिए साइबर सेंटर
- शिक्षकों के लिए साइबर सेंटर
- गार्डन: थीम पार्क, सरस्वती पार्क, हर्बल गार्डन, अगस्त क्रांति पार्क, बुद्ध पार्क

- कंपोस्ट मशीन
- कन्वेंशन सेंटर और छात्र सुविधाएं ब्लॉक
- गर्ल्स हॉस्टल (निर्माणाधीन - 240 बेड)
- व्यायामशाला
- मल्टी फैसिलिटी खेल यूटिलिटी सेंटर
- नया स्टाफ रूम
- भूगोल के लिए नई प्रयोगशाला
- गणित के लिए नई प्रयोगशाला
- आईक्यूएसी कक्ष

महाविद्यालय सहायता सेवाएं

- वाई-फाई सक्षम परिसर
- इलेक्ट्रिसिटी बैक-अप
- सीसीटीवी निगरानी के साथ परिसर की सुरक्षा
- अग्निशमन यंत्र
- बैंक
- फोटोकॉपियर
- आर. ओ. सिस्टम के साथ वाटर कूलर
- कैफेटेरिया
- मदर डेयरी
- नेस्कैफे कियोस्क
- पेपर रीसाइक्लिंग मशीन

- लाइब्रेरी में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ई-टेक्स्ट एक्सेस उपलब्ध
- विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार परीक्षा लेखन (लेखक) सुविधा
- चिकित्सा-सह-परामर्श कक्ष
- चिकित्सा सुविधाएं - परिसर में डॉक्टर (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार)
- परिसर में काउंसलर का दौरा (मंगलवार, गुरुवार और शनिवार)
- नर्स सुविधा (9 ए.एम -5 पी.एम.)
- शिक्षकों द्वारा छात्र सलाह
- सौर पैनल
- जरनेटर
- छात्रों के लिए साइबर सेंटर
- समान अवसर प्रकोष्ट
- पठन सामग्री सुलभ प्रारूप है (ऑडियो, ब्रेल, ई-टेक्स्ट)
- ई-संसाधनों तक रिमोट लॉगिन पहुंच

महाविद्यालय परिसर के भीतर जीवन

नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी)

समन्वयक: डॉ. निवेदिता गिरि

उप समन्वयक: डॉ.प्रियाबाला सिंह

नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीवेब), कालिंदी कॉलेज शिक्षण केंद्र, एनसीवेब, दिल्ली विश्वविद्यालय के 26 केंद्रों में से सबसे पुराना है। बी.ए और बी.कॉम पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं और केंद्र एनसीडब्ल्यूईबी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के तहत अर्ध-नियमित मोड पर कार्य करता है ।

बोर्ड कार्यालय:

नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड ट्यूटोरियल बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर गुरु तेग बहादुर रोड, यूनिवर्सिटी एन्क्लेव नई दिल्ली, दिल्ली 110007, ऑफिस नम्बर : 01127667640, http://ncweb.du.ac.in

अनुशिक्षण और निदानात्मक कक्षाएं

संयोजक: डॉ उत्पल कुमार

सह-संयोजक: श्री गौरव कुमार

कालिंदी महाविद्यालय अपने छात्रों को हर तरह की सुविधा और सहायता प्रदान करने का प्रयास लगातार करता रहा है, इसके लिए परिसर में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ ही शैक्षणिक और सह-पाठयक्रम गतिविधियों की प्रस्तावित किया गया है। कॉलेज युवा और इच्छुक छात्रों के लिए व्यावसायगत सलाह, परामर्श, प्लेसमेंट और अन्य व्यवसायिक सहायता को प्राथमिकता देता है, अपने करियर(वृत्ति/व्यवसाय) को स्थापित करने के लिए छात्राएं इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। कालिंदी महाविद्यालय उन सभी छात्राओं के लिए नि:शुल्क अतिरिक्त कक्षाएं प्रदान करता है, जिनकी पढ़ाई में किसी तरह की समस्या आ रही हो, यह उन्हें

अपने शैक्षणिक सत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने में सहायता करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुशासन, विषय के बारे में उनकी समझ विकसित करना, पढ़ाई में सहायता और मार्गदर्शन करना है। अन्य विभागों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए पूरे कॉलेज के शैक्षणिक वर्ष की कक्षाओं का टाइम टेबल तैयार किया जाता है। कमजोर छात्रों की सुविधा के लिए इन कक्षाओं के स्वैच्छिक संचालन में शिक्षको की सहमति और उत्प्रेरित करने में प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है,इससे बहुत से छात्र लाभान्वित हुए हैं।

आंतरिक शिकायत समिति

जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर जस्टिस किसी भी मजबूत संस्थान के स्तंभ हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, कालिंदी कॉलेज अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों को एक सुरक्षित और सुरक्षित माहौल प्रदान करने का प्रयास करता है जहां वे कामयाब हो सकें।कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति इस तरह (आईसीसी) के एक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करती है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों को तेजी से और परिश्रम से कॉलेज परिसर में यौन उत्पीड़न (आईसीसी) संबोधित करने के लिए आवश्यक तंत्र है।आंतरिक शिकायत समिति के मामलों से संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम), निषेध और निवारण (अधिनियम, 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ और रोकथाम और निवारण के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में,दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV-D में यौन उत्पीड़न के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं कृपया अधिक विवरण के लिए कॉलेज की वेबसाइट) :देखेंwww.kalindi.du.ac.inXV-D अध्यादेश दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति पर आधारित है और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों, शैक्षणिक और गैरशिक्षण कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न - में कोई भी "यौन उत्पीड़न"से मुक्त शैक्षणिक और कार्य वातावरण बनाए रखने और बनाने का प्रयास करता है। अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल है, चाहे वह सीधे या निहितार्थ से हो और इसमें शारीरिक संपर्क और अग्रिम, यौन एहसान के लिए एक मांग या अनुरोध, यौनरंगीन टिप्पणी-, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अशाब्दिक यौन आचरणप्रकृति शामिल है। ।सुप्रीम कोर्ट ने माना

कि कार्यस्थल पर एक महिला का यौन उत्पीड़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, के तहत 21 और 19 लैंगिक समानता और जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा।

आईसीसी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. एक पीठासीन अधिकारी जो एक वरिष्ठ संकाय सदस्य होगा।
2. शिक्षण स्टाफ में से दो सदस्य।
3. यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित गैरसरकारी संगठन या कानूनी फर्म में से एक सदस्य।-
4. दो गैरशिक्षण स्टाफ सदस्य।-

तीन निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि

आईसीसी नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करता है और छात्रों, संकाय सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है।

एंटी रैगिंग समिति कालिंदी कॉलेज

संयोजक: डॉ. पूनम सचदेवा

सह संयोजक: डॉ. मोनिका बस्सी

माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशों के आधार पर यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के ख़तरे को रोकने के लिए 'यूजीसी रेगुलेशन 2009' तैयार किया है। जो एंटी रैगिंग नियम के अनुपालन में कालिंदी कॉलेज परिसर के अंदर और/या बाहर रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है । रैगिंग और/या उसके उकसाने के कार्य में लिप्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सक्रिय रूप से हो या निष्क्रिय हो, या रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश का हिस्सा हो, यूजीसी रेगुलेशन 2009' के निर्देशों के साथ-साथ लागू होने के समय अन्य दंडात्मक कानून के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाने और दंडित किया जा सकता है। कालिंदी कॉलेज सख्ती से यह सुनिश्चित

करता है कि नवागंतुकों को अनुकूल और स्वागत करने वाला माहौल दिया जाएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थान द्वारा 'यूजीसी रेगुलेशन 2009' के अनुसार एंटी रैगिंग समिति बनाई गई है।

कालिंदी कॉलेज ने कॉलेज परिसर के अंदर रैगिंग रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान सभी नवागंतुकों को रैगिंग के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है और साथ ही रैगिंग के कृत्य में शामिल व्यक्ति के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। नवागंतुकों को एंटी रैगिंग समिति के सदस्यों के संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी के बारे में भी बताया जाता है ताकि कॉलेज में किसी भी रैगिंग गतिविधि की रिपोर्ट की जा सके । एंटी रैगिंग समिति कॉलेज में रैगिंग गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए शिक्षकों का एंटी रैगिंग स्क्वॉड बनाती है। इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई सख्त फैसले लिए गए हैं। रैगिंग में शामिल छात्रों पर कॉलेज प्राचार्या के निर्णय के अनुसार एक विशिष्ट अवधि के लिए मुकदमा चलाया जाएगा/ कॉलेज में प्रमुख स्थानों पर कई सूचना पट बनाए गए हैं, जिनमें एंटी रैगिंग कानूनों से संबंधित प्रावधानों को बताया गया है, जैसा कि अध्यादेश एक्सवी-सी द्वारा अधिदेशित है । कोई भी छात्र किसी अप्रिय घटना की स्थिति में एंटी रैगिंग समिति से संपर्क कर सकता है।

उपस्थिति समिति

संयोजक: डॉ. इंदु चौधरी

सह-संयोजक: डॉ. सुधा गुलाटी

कॉलेज की उपस्थिति समिति में विभिन्न धाराओं के संकाय सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति नियमित रूप से बैठकें करती है और प्रशासन कार्यालय के साथ बातचीत करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की उपस्थिति के संबंध में समय-समय पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेशों और दिशा-निर्देशों को बनाए रखने के लिए उचित और समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। समिति विभिन्न विभागों

के प्रभारी शिक्षकों के साथ समन्वय भी करती है ताकि विभाग कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची तैयार करे और माता-पिता/अभिभावकों को सूचना के लिए पत्र भेजने की व्यवस्था करे।

विश्वविद्यालय दिशानिर्देश

[उपस्थिति से संबंधित अधिक विवरण जैसे विश्वविद्यालय के दिशानिर्देश, अंकों का भार, आदि नीचे दिए गए हैं तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की जानकारी के भाग के रूप में।]

उपस्थिति वेटेज

67% या अधिक लेकिन 70% से कम 1 अंक

70% या अधिक लेकिन 75% से कम 2 अंक

75% या अधिक लेकिन 80% से कम 3 अंक

80% या अधिक लेकिन 85% से कम 4 अंक

85% से अधिक 5 अंक

चिकित्सा प्रमाण पत्रों को उपस्थिति को दिए जाने वाले अंकों के लिए क्रेडिट की गणना करते समय बाहर रखा जाएगा, हालांकि ऐसे प्रमाण पत्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना जारी रहेगा ।

एक छात्र को परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए अलग से दिये गए व्याख्यानों/प्रैक्टिकलों/ ट्यूटोरियलों/प्रस्तुतिकरणों की कुल संख्या के दो तिहाई भाग में हिस्सा लेने की आवश्यकता होगी।

वह छात्र जो उपरोक्त उल्लिखित सभी विषयों में उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करेगा, लेकिन संबंधित सेमेस्टर के दौरान 40% से कम व्याख्यान/प्रस्तुति/टयूटोरियल/प्रैक्टिकल में भाग नहीं लिया है, आगामी सेमेस्टर परीक्षा में ऐसे छात्र को अगले सेमेस्टर में कमी की पूर्ति करनी होगी।

यदि किसी छात्र को एनसीसी शिविरों/नागरिक सुरक्षा कार्य/एनएसएस सार्वजनिक कार्यों/खेल या अन्य पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए चुना जाता है या विभिन्न मंचों पर कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता है, तो अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दिये गए व्याख्यानों की संख्या की गणना 'डीम्ड' के रूप में की जाएगी, उस स्थिति में उपस्थित होने के लिए' केवल संबंधित शिक्षक द्वारा अग्रेषित किया गया हो।

पूर्व छात्र समिति और पूर्व छात्र संघ

कालिंदी कॉलेज का पूर्व छात्र संघ पेशेवर संपर्कों का एक विशाल नेटवर्क है जो लंबे समय तक कॉलेज जीवन और करियर जीवन के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है ।

पूर्व छात्र समिति

संयोजक: डॉ. सीमा गुप्ता, **सह-संयोजक:** सुश्री नीलम बरेजा

पूर्व छात्र संघ - अध्यक्ष : सुश्री ममता सचदेवा,

उपाध्यक्ष : सुश्री सुधा पांडे,

सचिव : डॉ. सविता शर्मा

पूर्व छात्र समिति द्वारा आयोजित गतिविधियां और 2020-21 के दौरान पूर्व छात्रों का योगदान इस प्रकार है:

1. वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में नेतृत्व और उद्यमिता

"नेतृत्व और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में उद्यमिता" विषय पर एक वेबिनार 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया था। यह सत्र हमारी पूर्व छात्रा, सुश्री सृष्टि शर्मा, उद्यमी और व्यवसायी औरत, मानव विज्ञान की सह-संस्थापक और किलकारी परियोजना की संस्थापक द्वारा संचालित किया गया था। उन्होंने मुख्य रूप से युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसरों पर चर्चा की थी। उन्होंने एक व्यवसायी महिला बनने की यात्रा में अपने अनुभवों पर भी बातचीत की।

2. स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य

'स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य' विषय पर 29 सितम्बर 2020 को शारीरिक शिक्षा विभाग, कालिंदी कॉलेज द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया था। इस बेबिनार की वक्ता कालिंदी कॉलेज की एक पूर्व छात्रा (बैच 2009) सुश्री पूजा थीं। सुश्री पूजा पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में एक स्वर्णपदक विजेता हैं। यह वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में टी.सी. के पद पर काम कर रही हैं, यहाँ यह सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित की गयी हैं। अपने वक्तव्य में सुश्री पूजा ने एक व्यक्ति के जीवन में शारीरिक फिटनेस की भूमिका पर बात की या जोर दिया।

3. एक पूर्व छात्र वार्ता

फिजिथॉन - द फिजिक्स सोसाइटी द्वारा 24 अप्रैल 202 1 को शाम 5 बजे एक ऑनलाइन एलुमिनी टॉक का आयोजन किया गया। जिसमें वक्ता के रूप में सुश्री भावना अरोड़ा (बैच 2014, बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी - कालिंदी कॉलेज) थीं, और सुश्री वर्निका मेहता (बैच 2015 बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी, कालिंदी कॉलेज) थीं, दोनों वक्ताओं ने कालिंदी कॉलेज छोड़ने के बाद अपने करियर और जीवन अनुभवों को साझा किया।

4. भजन और रचनाएँ

कालिंदी कॉलेज के संगीत विभाग ने 13 मई 2021 को 'भजन' विषय पर वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस वेबिनार का नेतृत्व कालिंदी कॉलेज की दो गौरवान्वित पूर्व छात्राओं ने किया- सुश्री काजल (बैच 2019) और सुश्री आराधना (बैच 2018)। इन सत्रों ने कोविड के तनावपूर्ण माहौल में भी सांत्वना और मन को शान्ति प्रदान की।

छात्र संघ

संयोजक: डॉ. रेणु गुप्ता

सह संयोजक: डॉ. निशा बख्शी

छात्र संघ एक सक्रिय निकाय है जो प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाता है । यह छात्रों के कल्याण और विकास के लिए मौजूद है। सभी मुख्य प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार होने के नाते वे कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जैसे: ओरिएंटेशन प्रोग्राम, शपथ समारोह, फ्रेशर का स्वागत आदि। संघ निकाय के माध्यम से, छात्रों को नेतृत्व और अन्य जीवन कौशल विकसित करने, घटनाओं का प्रबंधन करने और विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है। छात्र संघ भविष्य के नेताओं को कॉलेज परिसर के भीतर पालन-पोषण करके तैयार करता है ।

विभिन्न सांस्कृतिक क्लबों की गतिविधियाँ :

छात्र संघ की मदद से कई सांस्कृतिक क्लब कार्य कर रहे हैं। संबंधित सलाहकारों के मार्गदर्शन में, सांस्कृतिक क्लब छात्रों को विभिन्न संदर्भ और स्थान में अपने कौशल को निखारने के लिए आवश्यक पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। विभिन्न क्लब गतिविधियों में जब भी आवश्यकता होती है, सीनियर्स आसानी से जूनियर्स की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। प्रत्येक छात्र को कम से कम एक क्लब के लिए नामांकन करना होता है और सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से इसके सत्र में भाग लेना होता है। क्लब काफी सक्रिय हैं और शिक्षक की भागीदारी उन्हें शामिल होने लायक बनाती है।

विभिन्न कार्यक्रम और छात्रों के जीवन में उनकी भूमिका :

नवागंतुक, शपथ समारोह, नवागंतुक स्वागत, दिवाली मेला, वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव-लहरें, वार्षिक दिवस और विदाई आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम न केवल छात्रों के बीच एकाकी भावना को प्रोत्साहित करती हैं बल्कि ऐसे मंच भी प्रदान करती हैं जहाँ छात्र अपनी प्रतिभा

प्रस्तुत करते हैं और बड़े पैमाने पर पहच बनाते हैं। यह छात्रों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने में भी मदद करता है क्योंकि वे कार्यक्रम से संबंधित हर चीज का प्रबंधन करते हैं । इन स्पर्धाओं में भाग लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा देता है और उन्हें भविष्य के महान नेता बनने के लिए तैयार किया जाता है। हो सकता है कि अगला मिस इंडिया या महान राजनीतिक नेता जो कई बार भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, हमारी बहस या फैशन शो इवेंट का हिस्सा हो।

सांस्कृतिक क्लब

2021-22

1.	Debating Society	English - Convener - Dr. Manisha Arora Pandit Co-Convener- Dr.(Mrs.)Mukesh Members - Dr Nivedita Giri, Ms. L. Paveine and Mr. Nitin Malhotra हिन्दी संयोजक - डॉ आरती सिंह सह संयोजक - डॉ लवकुश सिंह सदस्य - डॉ ऋतु एवं डॉ	Mantrana, the debating society of Kalindi College helps students to develop critical thinking skills that are essential in daily life. It teaches students to structure and organize their thoughts while also developing their analytical and research skills. किसी विषय पर चर्चा को वाद-विवाद या बहस कहा जाता है। इसमें दो विपरीत विचारों पर प्रतिभागी अपना-अपना मत रखते हैं और अपने सबल तर्कों द्वारा एक-दूसरे के मतों खंडन करने की कोशिश करते हैं। यह सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और सदनों (संसद और विधानसभा) में हो सकता है। इसमें प्रतिभागियों के अलावा संचालक और श्रोताओं की

	वाद-विवाद क्लब	सुरेश चंद मीणा	जरूरत होती है। वाद-विवाद सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके लिए कुछ नियम कानून भी निर्धारित किए जाते हैं।
2.	एकांकी नाटक -आगाज़	संयोजक - डॉ मंजु शर्मा सह संयोजक - डॉ रक्षा गीता सदस्य - शशि शेखर एवं डॉ ममता चौरसिया	कालिंदी कॉलेज का नाटक समिति , आगाज़, सांस्कृतिक समितियों में से एक है, जो छात्राओं को अभिनय के प्रति उनके जुनून को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। समाज में प्रासंगिक मुद्दों को उठाने और उसमें बदलाव के उद्देश्य के साथ, पिछले वर्षों में नाटक समिति ने अपनी सक्रियता दर्ज की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेजों में मंच और नुक्कड़ थिएटर दोनों एक ही समिति के अंतर्गत काम करतें हैं। लेकिन हमारी समिति मंचीय नाटकों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
3	नुक्कड़ नाटक (रक्स)	संयोजक - सुश्री सोनिया कंबोज सह संयोजक - डॉ. हेमंत रमण रवि सदस्य - सुश्री ईशा वर्मा , सुश्री नेहा सिंह एवं सुश्री सुबाथरा वी	नुक्कड़ नाटक (रक्स) कालिंदी कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी 2011 से संचालित की जा रही है , इस समिति ने कई सार्वजनिक स्थलों पर एवं प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से प्रदर्शन किया है।नुक्कड़ नाटक समिति विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के छात्राओं का संगठित समूह है, जो प्रथम वर्ष से ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सार्थक एवं सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से, छात्राएं जीवंत गीत व संगीत और फुट थंपिंग के साथ सशक्त आवाज में प्रदर्शन करतीं हैं - जैसे "ताप्ती धूप में निकले हम"

			और "तू शोर मचा।"
4	संगीत क्लब	संयोजक - डॉ रेणु गुप्ता सह-संयोजक -सुश्री अनुराधा सदस्य - डॉ निशांत वर्मा और सुश्री बलजीत	संगीत समिति शिक्षण, अनुसंधान और संवाद के माध्यम से संगीत में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। यह समिति छात्राओं को कॉलेजों के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों और अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
5	अंताक्षरी क्लब	संयोजक -डॉ सनावर सोहम सह संयोजक - रश्मि चौधरी सदस्य -डॉ सपना वार्ष्णेय, सुश्री कोमल मित्तल	अंताक्षरी एक संगीतमय खेल है। इस क्लब की छात्राओं के स्मृति कोश में विविध गीतों व रचनाओं का उत्कृष्ट भंडार होता है। छात्राओं की इस प्रतिभा को मंच देने के लिए अंताक्षरी सोसाइटी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
6	नूपुर क्लब	समूह नृत्य संयोजक - सुश्री गुंजन वर्मा सह संयोजक - डॉ ऋचा गुप्ता सदस्य - सुश्री श्रुति डवार एवं गीता चौहान एकल नृत्य संयोजक -डॉ हरविंदर कौर सह संयोजक -सुश्री अदिति चौधरी सदस्य - सुश्री आरोकिया	डांस सोसाइटी(नूपुर) छात्राओं को शास्त्रीय नृत्य से लेकर पश्चिमी नृत्य कौशल को मंच देने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओडिसी से लेकर भरतनाट्यम तक कथक से लेकर सेमी क्लासिकल तक आप यहां हर तरह की प्रतिभा देख सकते हैं।

		रमैया एवं डॉ रीना जैन	
7.	संस्कृत तरंगिणी क्लब	संयोजक - डॉ मंजुलता सह- संयोजक - डॉ रिंकू कौशिक सदस्य - डॉ शशि एवं दिव्या मिश्रा	"संस्कृत तरंगिणी" संस्कृत विभाग की सह पाठयक्रम गतिविधियों से संबंधित एक संस्था है, जिसके अंतर्गत संस्कृत से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं का पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों में भी उनके कौशल का विकास हो सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है तथा समय-समय पर संस्कृत से संबंधित नूतन शोध एवं सूचनाओं की जानकारी हेतु विशिष्ट वक्ताओं को बुलाकर व्याख्यान का भी आयोजन करवाया जाता है।
8.	फैशन -इस-टा-क्लब	संयोजक - डॉ गरिमा प्रकाश सह संयोजक - डॉ प्रिया बाला सदस्य - सुश्री पार्थवी खुराना ,डॉ प्रतिभा ठाकुर एवं डॉ प्रियंका वर्मा	दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी फैशन सोसायटियों के बीच लोकप्रिय, फैशन-इस-टा अपनी कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और ड्रेसिंग पोशाक के माध्यम से विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है।
9.	मीडिया क्लब	संयोजक - डॉ के वंदना रानी सह संयोजक - श्री जॉन एजरा सदस्य - डॉ रीतिका पंत एवं डॉ सुनीता मीणा	कालिंदी कॉलेज का मीडिया क्लब समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाने एवं फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण की कला के बारे में ज्ञान साझा करने का मंच है। 'एनकोर' क्लब विशेषज्ञों और छात्रों के बीच बातचीत पर केंद्रित है और प्रसिद्ध फोटोग्राफरों के साथ फोटो वॉक के लिए आमंत्रित करता है। पीयर लर्निंग को बढ़ाने के लिए इस क्लब द्वारा एडिटिंग वर्कशॉप और

			साप्ताहिक कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं।
10.	ग्रैफिटी क्लब	संयोजक -सुश्री कर्णिका गौड़ सह संयोजक - डॉ रिनी पुनदीर सदस्य -डॉ ऋतु शर्मा एवं डॉ वंदना गुप्ता	ग्रैफिटी सोसाइटी छात्रों को अपनी कलात्मक रचनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। छात्राओं द्वारा बनाए गए भित्तिचित्र पूरे कॉलेज परिसर में प्रदर्शित किए जाते हैं।
11.	हिन्दी रचनात्मक गद्य लेखन Creative Writing	हिन्दी संयोजक - डॉ उत्पल कुमार सह सहयोजक - डॉ मोहिनी श्रीवास्तव सदस्य- डॉ विभा ठाकुर एवं सीमा माथुर English Convener-Dr. Monica	हिन्दी रचनात्मक गद्य लेखन हिंदी रचनात्मक गद्य लेखन" क्लब का उद्देश्य छात्राओं की लेखन प्रतिभा एवं रचनात्मक क्षमता को मंच प्रदान करना है । छात्राओं के लेखन कौशल को उभारने के लिए इस एक्टीविटी (गतिविधि) पीरियड (कालांश) के अंतर्गत अनुभवी प्राध्यापक/प्राध्यापिका के निर्देशन में विविध विषयों पर रचनात्मक लेखन के अभ्यास के साथ उन्हें मौलिक लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । साथ ही लेखन में रूचि रखने वाली छात्राओं को रचनात्मक विषय एवं भाषा कौशल की बारिकियों से अवगत कराया जाता है । इस क्लब का उद्देश्य छात्राओं में रचनात्मक लेखन की प्रवृति और परंपरा को विकसित करना है । छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्लब के माध्यम से समय- समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है और पुरस्कार पाने वाली उत्कृष्ट रचनाओं को महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'प्रवाह' में प्रकाशित किया जाता है । Creative writing is one of the most productive mediums that make students learn new relevant ways to express themselves.

	(English)	Bassi Co-Convener- Ms. Shipra Gupta Members- Ms. Sneha Sawai and Mr. Sushrut Bhatia	The club encourages students to enhance their creativity through various genres like writing prose and stories Creative writing is one of the most productive mediums that make students learn new relevant ways to express themselves. The club encourages students to enhance their creativity through various genres like writing prose and stories.
12.	काव्य - सृष्टि	हिन्दी संयोजक - डॉ देशराज सह संयोजक - डॉ अभिषेक कुमार सिंह सदस्य - डॉ ब्रहमा नन्द एवं सुरेश तोमर	काव्य सृष्टि कविता मनुष्य की भावनाओं एवं कल्पनाओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का पूंजीभूत रूप है। कहा भी जाता है कि 'जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि'अर्थात जीवन के किसी भी पक्ष,विषय वस्तु, प्रसंग,घटना,कल्पना आदि पर काव्य की रचना की जा सकती है । कविता का बौद्धिक चिंतन, लोगों के प्रति संवेदना और मनुष्यता के प्रति प्रेम का आह्वान करता है। कविता प्रेम और एकता का संदेश देती है। 'काव्य सृष्टि सभा 'हमारी छात्राओं की सृजनात्मक प्रतिभा को उभारने, प्रदर्शित करने एवं निखारने का अवसर देती है।हमारी छात्राएँ अपने छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को शब्दबद्ध करती हैं, उनका मंच पर वाचन एवं प्रस्तुतिकरण करती हैं,अपने उच्चारण को शुद्ध करती हैं तथा निरंतर अपनी कलात्मकता एवं सृजनात्मकता को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होती है।काव्य सृष्टि सभा मंच प्रदान करने

	Muse and Bards (English Poetry)	English Convener- Ms. Monica Zutshi Co-Convenr -Ms. Keertika Lotni Members - Ms. Vani Mecheril and Ms Tanu Sharma	के साथ ज्ञान व संवेदना के संकलन का माध्यम भी बनती है। The Slam Poetry Society is one of the most active societies in Kalindi College. The students of this society produce some exceptional piece of writing and take part in various inter -college competitions. They set lots of excellent examples of poetry and avail this opportunity to take risks and experiment with different approaches and forms.
13.	मेहंदी कला क्लब	संयोजक- डॉ चारू खन्ना सह-संयोजक -सुश्री गरिमा गौर सदस्य - डॉ सविता शर्मा एवं सुश्री रिशु चौधरी	मेहंदी कला का एक लोकप्रिय रूप है जो आमतौर पर भारत में महिलाओं के हाथों पर बनाई जाती है। भारतीय परंपरा में मेहंदी शादियों और त्योहारों के दौरान लगाई जाती है। कालिंदी कॉलेज पाठ्येतर गतिविधियों के लिए मेहंदी क्लब चलाता है। इस क्लब का उद्देश्य छात्राओं की मेहंदी कला को निखारना है।
14.	पेंट एंड ब्रश क्लब	संयोजक - डॉ पूनम त्यागी सह संयोजक - सुश्री माधुरी सिंह सदस्य - श्री संजय कुमार एवं सुश्री पम्मी यादव	कई शब्दों की तुलना में एक चित्र ज्यादा असरकारी होता है । इसलिए यह क्लब छात्राओं के कलात्मक कौशल को विकसित करने की दिशा में काम करता है।
15.	रंगोली क्लब	संयोजक - डॉ दिव्या वर्मा सह संयोजक -	रंगोली बनाना उन गतिविधियों में से एक है जो छात्राओं की रचनात्मकता प्रतिभा को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस क्लब

		डॉ प्रतिभा ठाकुर सदस्य - सुश्री वर्षा , श्री अवनीश कुमार एवं डॉ रश्मि मेनन	के माध्यम से छात्राएँ कॉलेज के विभिन्न अवसरों /आयोजन के समय परिसर को सुशोभित करतीं हुए देखी जा सकते हैं।
16.	ईको क्लब	संयोजक - डॉ पुनीता वर्मा सह संयोजक -डॉ सीमा सहदेव सदस्य - डॉ सुदेश भारद्वाज , डॉ मयंक कृष्णा एवं डॉ गीता सोनकर	कालिंदी कॉलेज का इको क्लब एक बहुआयामी, सक्रिय क्लब है जो पर्याव रण विभाग, NCT दिल्ली सरकार के समन्वय में चलता है। इको क्लब भावी पीढ़ी के बीच पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इको क्लब शिक्षकों और छात्राओं का एक समूह है जो हमारे परिसर को हरा भरा बनाने, पर्यावरण के अनुकूल कारणों के लिए जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों जैसे कचरा कम करने, पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इको क्लब के मुख्य उद्देश्यों हैं: 1. वृक्षारोपण कर विद्यार्थियों को अपने आसपास के वातावरण को हरा-भरा रखने के लिए प्रेरित करना। 2. प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाना क्योंकि वे नालियों और सीवरों को जाम कर देते हैं जिससे पानी जमा हो जाता है और मच्छर पैदा हो जाते हैं। 3. विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता, रैलियां, नुक्कड़ नाटक आदि जैसे जागरूकता कार्यक्रम

			आयोजित करना। 4. व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की मदद करने के लिए प्रेरित करना और छात्रों को पर्यावरण के लिए मूल्यों और चिंता की भावना का लक्ष्य हासिल करने में मदद करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना। 5. शिक्षण कौशल।के माध्यम से छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करना ।
17.	आरोग्य क्लब	संयोजक - डॉ रंजना रॉय मिश्रा सह संयोजक - सुश्री पाण्डेय सदस्य - डॉ सुनीता शर्मा एवं डॉ उपासना ईसार	स्वास्थ्य और कल्याण व्यक्ति की आदतों, दृष्टिकोण, जीने के तरीके, स्वस्थ जीवन शैली और ज्ञान को अनुकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं और बेहतर समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में फिटनेस क्लब आरोग्य शारीरिक फिटनेस प्रदान करता है जो कि कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्लब के तहत एरोबिक्स और योग कक्षाएं ली जा रही हैं। क्लब स्टाफ और कॉलेज के छात्रों के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस के पहलुओं पर विभिन्न कार्यशालाओं और व्याख्यानों का भी आयोजन करता है।
18.	आइवरी कॉलेज बैंड	संयोजक - डॉ प्रिया बाला सह संयोजक - डॉ संदीप कुमार सदस्य -	आइवरी कॉलेज बैंड गायकों और वाद्य यंत्रों का एक छोटा समूह है जिसमें गायक, ब्रास , स्ट्रिंग और ताल वादक शामिल हैं। यह समूह कॉलेज के लिए विभिन्न इंटर-कॉलेज कार्यक्रमों में और कॉलेज परिसर में वार्षिक कॉलेज उत्सव लहारें के दौरान प्रदर्शन करता है। ऑडिशन के जरिए हर साल बैंड में नए सदस्य जोड़े

		सुश्री अंशुला गौरव कुमार	जाते हैं।

इको क्लब

संयोजक: डॉ पुनीता वर्मा

सह-संयोजक: डॉ सीमा सहदेव

कालिंदी कॉलेज का इको क्लब एक बहुआयामी, अत्यधिक सक्रिय सोसायटी है जो पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसरकार के समन्वय में चलता है। । इको क्लब भावी पीढ़ी के बीच पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इको क्लब शिक्षकों और छात्रों का एक समूह है जो हमारे परिसर को कम बेकार बनाने, पर्यावरण के अनुकूल कारणों के लिए जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों जैसे कम करने, पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह पूरे साल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

इको क्लब के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. विद्यार्थियों को वृक्षारोपण कर अपने आसपास के वातावरण को हरा-भरा रखने के लिए प्रेरित करना।
2. प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाना क्योंकि वे नालियों और सीवरों को जाम कर देते हैं जिससे पानी जमा हो जाता है और मच्छर पैदा हो जाते हैं।
3. विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता, रैलियां, नुक्कड़ नाटक आदि जैसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

4. व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की मदद करने के लिए रवैया बनाना और छात्रों को पर्यावरण के लिए मूल्यों और चिंता की भावना का एक सेट हासिल करने में मदद करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
5. छात्रों को व्यक्तिगत रूप से पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद करने के लिए शिक्षण कौशल।

लहरें

हर साल कॉलेज अंतर-महाविद्यालय सांस्कृतिक उत्सव - 'लहरें' का आयोजन करता है। दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव में नृत्य, वाद-विवाद, गायन (एकल और समूह), फोटोग्राफी, रचनात्मक लेखन, कविता पाठ के अलावा वन-एक्ट प्ले, फैशन-शो आदि के लिए आयोजित कई अंतर-कॉलेज प्रतियोगिताएं शामिल हैं। महामारी की स्थिति में सांस्कृतिक उत्सव 'लहरें' का आयोजन नहीं हो सका। फिर भी, कॉलेज के भीतर गठित विभिन्न सांस्कृतिक समितियों, जो लहरें के दौरान इन अंतर-कॉलेज प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं, ने पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान कई ऑनलाइन गतिविधियों / कार्यक्रमों का आयोजन किया।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

अध्यक्ष : प्रोफेसर नैना हसीजा

मुख्य समिति (कोर समिति)

समन्वयक: डॉ राखी चौहान, वरिष्ठ सलाहकार: प्रो रुचि त्यागी

समन्वयक: डॉ तारकेश्वर, डॉ दिव्या वर्मा, डॉ वर्षा सिंह, डॉ निधि कपूर, डॉ इंदु चौधरी

गुणवत्ता वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है इसलिए कालिंदी महाविद्यालय में आइसंस्थागत प्रणाली का .सी.ए.क्यू. प्ति की दिशा में अपनी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जो गुणवत्ता वृद्धि और आजीविका के लक्ष्यों की प्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईक्यूएसी का प्रमुख कार्य संस्थान के समग्र निष्पादन में सचेष्ट, सुसंगत

और उत्प्रेरणात्मक सुधार के लिए एक प्रणाली विकसित करना है। इसके लिए यह संस्था सभी प्रयासों और उपायों को संभव कर संपूर्ण शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। आईक्यूएसी मूल्यांकन प्रदर्शन और गुणवत्ता उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है

इसके निम्नलिखित कार्य हैं -:

1- महाविद्यालय कॉलेज की विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मानकों/पैरामीटरों का विकास और अनुप्रयोग |

2- उत्कृष्ट शिक्षण हेतु विद्यार्थी केंद्रित वातावरण निर्मित करने की सुविधा तथा सहभागी शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया के तहत संकाय परिपक्वता हेतु आवश्यक जानकारी और प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराना।

3- गुणवत्ता संबंधी संस्थागत प्रक्रियाओं पर छात्राओं, माता व्यक्तियों की प्रतिपुष्टि पिता तथा अन्य- जानने की व्यवस्था।

4- उच्च शिक्षा के विभिन्न गुणवत्तापूर्ण मापदंडों की जानकारी का प्रसार।

5- संस्थागत तथा अंतर संस्थागत कार्यशालाओं का आयोजन, गुणवत्ता आधारित विषयों पर संगोष्ठियों गुणवत्ता संवर्दधन के दायरे को और भी बढ़ाते जाना।

6- महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करना /, जो गुणवत्ता वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7- गुणवत्ता से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करना उत्कृष्ट कार्यों की उपलब्धि और उनके संवर्धन हेतु आइक्यूएसी केंद्रक अभिकरण का कार्य करता है।

8- संस्थागत की गुणवत्ता को बनाए रखने बढ़ाने के उद्देश्य से एमआईएस द्वारा डेटाबेस तैयार करना और देखरेख करना।

9- संस्था में उत्तम संस्कृति का विकास।

10- नैक.एन) ए.ए.सी के मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (. .आइ)क्यू.ए.आर र करकेतैया (.नैक को जमा कराना।

आइ.क्यू.ए.सी. निम्नलिखित कार्यों में भी योगदान करता है -:

कगतिविधियों में स्पष्टता के स्तर को सुनिश्चित करने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता - है

ख. गुणवत्ता युक्त संस्कृति को आत्मसात करना -

ग. गतिविधियों संस्था के विभिन्न -के बीच सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास करता है

घ. संस्थागत कार्यों को और अच्छा बनाने के लिए - निर्णयात्मक ठोस आधार प्रदान करता है

ङ- एचईआईएस गुणवत्ता परिवर्तन के लिए एक गत्यात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करना

चप्रलेखन और आ -ंतरिक संचार के लिए एक संगठित पद्धति का निर्माण

एन. एस .एस , (राष्ट्रीय सेवा योजना).

कार्यक्रम अधिकारी डॉ - अलका चतुर्वेदी

राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है एन. एस. एस. का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा करने का अनुभव प्रदान करना है। यह छात्रों को विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। **'मैं नहीं आप '** इस आदर्श वाक्य को ध्यान में रखते हुए कालिंदी महाविद्यालय की एनइकाई सामाजिक .एस.एस. कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करती है और समाज की बेहतरी के लिए पूरे सत्र में कई मुद्दों पर आधारित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

कालिंदी महाविद्यालय की एन इकाई में .एस.एस.100 स्वयंसेवक अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

एन.सी.सी. नेशनल कैडेट कोर

एन .सी.सी.प्रभारी - लेफ्टिनेंट डॉआरती सिंह .

राष्ट्रीय कैडेट कोर)एन(.सी.सी. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसकी स्थापना 1917 में सैन्य शक्ति के अनुपूरक के रूप में गई थी। यह कैडेट के शारीरिक, मानसिक सामाजिक और बौद्धिक स्तरों के विकास केंद्रित है और उनमें साहस, सहयोग भावना, अनुशासन, नेतृत्व शक्ति और धर्मनिरपेक्ष आदि गुणों को विकसित करता है। निस्वार्थ सेवा:, खेल भावना और कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा की भावना भी उत्पन्न करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समर्पित युवाओं के संगठनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन निर्मित करना है जो आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बलों की सहायता और राष्ट्र की सेवा करे। एनपूरे वर्ष कई .सी.सी. शिविरोंं का आयोजन करता है, जिसमें युवाओं को थल सेना , नौ सेना और वायु सेना के विशेषज्ञों द्वारा पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। कैडेट को **'बी'** और **'सी'** प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है, जो उन्हें सशस्त्र बल, पुलिस और कैंके साथ रोज़गार हासिल कर .ब.पु.रि.ने में 5-10% लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा एनगहर वर्ष पैरासेलिं .सी.सी., फायरिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून राइड सहित विभिन्न प्रकार के साहसिक खेलों में छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अलावा यह **राष्ट्रीय एकता शिविर**(सी.आई.एन) , **बुनियादी नेतृत्व शिविर** और (.सी.एल.बी) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर**भी (.सी.टी.ए) आयोजित करता है।

एन.एस.ओ. राष्ट्रीय खेल संगठन

निदेशक : डॉ. सुनीता शर्मा, सुश्री सुधा पांडे

कालिंदी महाविद्यालय का **शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग** छात्राओं और संकाय सदस्य और गैर शैक्षणिक सदस्यों को स्वास्थ्य और खेल से संबंधित सुविधाएं प्रदान करता है। यह विभाग एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, शतरंज, फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, खो-खो, भारोत्तोलन, ताइक्वांडो, टेबल-टेनिस, वॉलीबॉल और योग जैसे विभिन्न खेलों की कोचिंग प्रदान करता है। इसके अलावा हम जिमनास्टिक, निशानेबाजी, तैराकी और टेनिस जैसे खेलों को भी प्रोत्साहन देते हैं। महाविद्यालय की ये टीमें विभिन्न अंतर-महाविद्यालयी, दिल्ली-स्टेट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। यह विभाग महाविद्यालय के छात्रों, संकाय-सदस्यों और गैर शिक्षण सदस्यों के लिए विविध खेलों के अंतर-कक्षीय मैचों का भी आयोजन करता है। खेल समिति दिव्यांग श्रेणी के लिए शतरंज और कैरम सहित विविध खेलों के लिए आमंत्रण अंतर महाविद्यालयी टूर्नामेंट भी आयोजित करती है। इसके साथ ही इस विभाग द्वारा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती (फिटनेस) पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और वेबीनारों का आयोजन किया जाता है।

डब्ल्यू.डी.सी. महिला विकास केंद्र

संयोजक डॉ. अनिता टैगोर

महिला विकास केंद्र कालिंदी महाविद्यालय का लैंगिक मंच है। यह भारत में लिंग और समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ संलग्न है। यह विद्यार्थियों शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से विविध लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम जैसे- संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्ता, फिल्म शो और वाद-विवाद इत्यादि का आयोजन करता है। डब्ल्यू. डी. सी. का मुख्य उद्देश्य परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता, समानता और विभेदन को सुनिश्चित करना है ।

ई.ओ.सी. समान अवसर प्रकोष्ठ

संयोजक: डॉ. मीना चंरादा

सह संयोजक : डॉ. पी. पी. सैनी

कालिंदी महाविद्यालय का समान अवसर प्रकोष्ठ एक ऐसा मंच है ,जो सभी छात्रों को आगे बढ़ने और विकास के समान अवसर उपलब्ध करना सुनिश्चित करता है । यह प्रकोष्ठ विशेष रूप से दिव्यांग जिनमें दृष्टि-बाधित, अस्थि-बाधित (ऑर्थोपेडिक) और श्रवण-बाधित छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करता है।

कालिंदी महाविद्यालय का यह समान अवसर प्रकोष्ठ दिव्यांग छात्रों को एक मैत्रीपूर्ण व सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।वर्तमान में महाविद्यालय में 10 ऐसे दिव्यांग छात्र हैं जिनके कल्याण के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन दिव्यांग छात्रों के लिए चुनौतियों और संभावनाओं के साथ-साथ शैक्षणिक, वित्तीय ,छात्रवृत्ति और रोज़गार के अवसरों के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के लाभों के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराना है। प्रकोष्ठ का उद्देश्य इन छात्रों को महाविद्यालय में उनके लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं के बारे में सूचित करना है।

हालांकि दिव्यांग छात्रों का प्रतिशत बहुत कम है, महाविद्यालय ने परिसर को बाधा मुक्त बनाने की पहल की है । महाविद्यालय परिसर और पुस्तकालय में सभी आवश्यक स्थानों पर रैंप और रेलिंग बनाए गए हैं। किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए महाविद्यालय ने व्हील चेयर भी खरीदी है। इन छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रकोष्ठ दिव्यांग छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में भी काम कर रहा है।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे छात्रों के शिक्षा शुल्क में पूरी तरह से लागू कर दी गई है।

सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ

संयोजक- डॉ. इंदू चौधरी

सह-संयोजक : सुश्री सोनिया कम्बोज (कम्युनिटी आउटरीच)

सह-संयोजक: डॉ.इंद्रपाल सिंह (सामाजिक उत्तरदायित्व और विस्तार गतिविधियां)

कालिंदी कॉलेज का सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ 2015 से सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है । एस.आर.सी. की विभिन्न परियोजनाओं के तहत रक्तदान, अंगदान, प्लास्टिक प्रयोग प्रतिषेध अभियान, युवा संवेदीकरण कार्यशाला, कौशल विकास प्रशिक्षण और वृद्धाश्रम का दौरा करके समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है।

प्रकोष्ठ में दो प्रमुख संघ शामिल हैं-एन.एक्टेकस और सी. डी. एफ. जो छात्रों को अपने लक्ष्य को पहचानने और फिर इसके जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित कर, उन्हें पुनः समाज को लौटाने के प्रति जिम्मेदार है। एनेक्टस कालिंदी की तीन परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है- प्रोजेक्ट रहमत, प्रोजेक्ट वेरेन और प्रोजेक्ट राही ।यह प्रोजेक्ट सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़कर जीवन को परिवर्तित करने और नव समाधानों को बढ़ावा देकर सृजनात्मक प्रभाव डालने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है, जो इस प्रकार हैं- स्वच्छता, कृषि, भेदभाव मिटाना और स्त्री सशक्तिकरण।

कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन (सी.डी.एफ.) कालिंदी महाविद्यालय; प्रोजेक्ट किलकारी, प्रोजेक्ट उन्नति और प्रोजेक्ट युक्रता उद्यमशील उपक्रमों और कार्यों से समाज के वंचित वर्ग का उत्थान करता है और निर्धनों के जीवन में उम्मीद जगाता है ।सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ विद्यार्थियों को सफल कैरियर के लिए आवश्यक अनुभव, कौशल और संपर्क प्राप्त करते हुए समाज में एक अलग स्थान बनाने का अवसर प्रदान करता है ।

आरंभ से ही प्रकोष्ठ विभिन्न सहकारी और सामाजिक कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थियों और संस्थागत उपक्रमों के द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ पूरा करता रहा है । कम समय में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे संकाय, संसाधन और भूतपूर्व छात्राओं से वंशानुक्रम में प्राप्त विरासत है ।

कालिंदी महाविद्यालय की सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ के सदस्य के रूप में हजार छात्रों से भी अधिक छात्रों ने अन्य छात्रों तथा व्यापार जगत के नेताओं के साथ मिलकर एक विश्वव्यापी संजाल बनाया है ,जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमारे साझे उद्देश्य के लिए अपना योगदान दे रहा है।

.

डॉ. भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र

संयोजक डॉ.मीना चरनदा सह संयोजक: श्रीमती गुंजन वर्मा

सदस्य: श्रीमान संजय कुमार, डॉ.अभिषेक कुमार और डॉ. सीमा माथुर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और शिक्षकों को परिचित करवाने के उद्देश्य से वर्ष २०१७ में कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई| डॉ. अम्बेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे, और उन्हें भारत के संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। अम्बेडकर के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए केंद्र की योजना 2021 निकट भविष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के सभी संपर्क अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित करने की है, जिससे प्रतिभागियों को उनके संबंधित अनुभागों या विभागों में उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्र का उद्देश्य राष्ट्रीय संगोष्ठियों, छात्रों की पेपर प्रस्तुति और डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली के दौरे का भी आयोजन करना है।

गाँधी अध्ययन मंडल

संयोजक : डॉ.संगीता ढल

सह संयोजक : सुश्री कीर्तिका लोतनी

कालिंदी महाविद्यालय का गांधी अध्ययन मंडल (जी.एस.सी.) एक सक्रिय पाठ्य विषयी संस्था है , जो युवा छात्रों में गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित वैकल्पिक विचार और कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच /

पृष्ठभूमि प्रदान करता है । दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और विभागों में युवाओं और संकाय सदस्यों के बीच गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 2 अक्टूबर, 2020 और 2 अक्टूबर, 2019 को प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार दिया गया। कालिंदी कॉलेज का गांधी अध्ययन मंडल कॉलेज की सभी छात्राओं के लिए खुला है।गांधी अध्ययन मंडल गांधी जी की विचारधाराओं और उनके महत्व को सामयिक समय में जीवन मूल्यों और नैतिकता के साथ आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान पर विचार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है । छात्रों और शिक्षकों दोनों को गांधीवादी विश्वास और मूल्यों के साथ जीवन जीने को बढ़ावा देने में यह संस्था उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है । पिछले कुछ वर्षों में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में छात्रों को यह जटिल निविष्टियों (गांधीवादी बौद्धिक पूरकता) के साथ संबद्ध कर उनका विकास करने का प्रयास करता है, जो लंबे समय तक मूल्यों को बनाए रखें । हमारा मानना है कि गांधी को एक लोकप्रिय युवा आइकन के रूप में स्थापित करने के लिए और समकालीन समय में उनकी प्रासंगिकता पर जोर देने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने महाविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को कई कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की । गांधी अध्ययन मंडल ने गांधी जी की प्रासंगिकता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वेबिनार का आयोजन , अंतर-धार्मिक प्रार्थना सभा, योग सत्र, गांधीवादी दर्शन पर बहस, गांधीवादी विचारों पर अंतर-कॉलेज प्रतियोगिताओं, गांधी के जीवन पर पोस्टर बनाने और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बनाई है। जी.एस.सी छात्राओं को गांधीवाद के आधार पर समाज में व्याप्त संघर्ष के समाधान के वैकल्पिक मॉडल पर सोचने और प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

नियुक्तिकारी प्रकोष्ठ

संयोजक-डॉ. इंदू चौधरी सह संयोजक -सुश्री कोमल मित्तल

सदस्य : डॉ. तेजेंद्र कुमार , डॉ. जान्हवी , सुश्री वर्षा , डॉ.संदीप कुमार

नियुक्तिकारी प्रकोष्ठ 'KRYPTUS' का ध्यान महाविद्यालय के विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्वयंसेवी संस्थानों में इंटर्न के अवसर प्रदान करना है अपनी स्थापना के बाद से इसने प्लेसमेंट वीक, इंटर्नशिप अभियान के साथ-साथ टाटा पावर, डी.डी.एल.,एच.डी.एफ.सी. बैंक, रिलायंस जिओ आदि कंपनियों के साथ जुड़कर प्लेसमेंट में अपार सफलता प्राप्त की है । इसके अलावा संभावित के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संविक्षा और चयन की प्रक्रिया का सामना करने के लिए छात्रों में प्रवीणता हासिल करने के लिए नियुक्तिकारी प्रकोष्ठ ने 2019 में सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, जिसके तहत विभिन्न सत्रों और सेमिनारों का आयोजन किया गया- स्ववृत (संक्षिप्त विवरण) निर्माण, समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और नौकरी आवेदन प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य पहलुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर किया गया ।

अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

संयोजक - डॉ. वन्दना रानी सह संयोजक- डॉ.राजेश कुमार मीणा

कालिंदी कॉलेज और उसका अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक जनादेश के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के कल्याण के लिए प्राचार्या और शासी निकाय की अध्यक्ष के साथ कॉलेज में अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थायी समिति का गठन किया गया । अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के अध्ययन के साथ-साथ संस्थान में आरक्षित वर्ग के छात्रों के विशेष हितों को बढ़ावा देने वाले आवेदन प्राप्त करने, जांच करने और प्रसंस्करण की जिम्मेदारियां प्रकोष्ठ के पास है।

यह उन क्षेत्रों में विशेष निविष्ट प्रदान करने की अपेक्षा करता है जहां छात्रों को कठिनाइयों का अनुभव होता है। प्रकोष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश एवं छात्रावास के आवंटन आदि में आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी में सहायक है। कॉलेज में प्रवेश और इसी तरह के अन्य मामलों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों और कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक पत्राचार और कार्रवाई भी करता है। यह प्रकोष्ठ कॉलेज के अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करता है और उन्हें उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को हल करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करने का प्रयास करता है।

उत्तर पूर्वी, बाहरी और विदेशी छात्र प्रकोष्ठ

संयोजक : डा. मनीला नारजारी

सह संयोजक सुश्री डा. एल. प्रवीन

उत्तर पूर्व भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक घटकों पर लागू होता है जो इस क्षेत्र को अपनी विविधता में इतना समृद्ध बनाते हैं। हर साल उच्च शिक्षा के लिए उत्तर पूर्व से दिल्ली आने वाले छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ रही है।दिल्ली विश्वविद्यालय इन इच्छुक छात्रों का सबसे बड़ा अनुपात है जो विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैदिल्ली विश्वविद्यालय ने उत्तर पूर्व से आने वाले छात्रों के हित को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

कालिंदी कॉलेज में उत्तर पूर्वी, बाहरी और विदेशी छात्र प्रकोष्ठदिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पुराने में से एक है, इसका गठन सरकार द्वारा समर्थित शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे प्रकोष्ठ रखने के लिए भारत सरकार के निर्देश के अधिसूचित होने से पहले ही किया गया था।कॉलेज में इस सेल के होने का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व

के छात्रों के सामने आने वाले बड़े मुद्दों का समाधान करना था। मुद्दे और समस्याएं केवल कॉलेज में ही नहीं बल्कि शहर में भी रोजमर्रा की जिंदगी तक सीमित हैं|प्रकोष्ठ छात्रों के लिए एक नए वातावरण में समायोजन करने के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में काम करता है, जिसका उनमें से अधिकांश सामना करते हैं, जो उन जगहों से आते हैं जिनका भारत के बड़े समाज के साथ बहुत कम संपर्क है।

अपनी स्थापना के बाद से, कालिंदी कॉलेज कॉलेज के उत्तर पूर्वी, बाहरी और विदेशी छात्र प्रकोष्ठके माध्यम से क्षेत्र और उसके लोगों के बारे में ज्ञान और जानकारी के प्रसार के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आठ उत्तर पूर्वी राज्यों असम), अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा और सिक्किम से आने वाले छात्र न केवल भाग लेते हैं बल्कि इस सेल के तहत (ख्यान भी आयोजित करता समय पर प्रकोष्ठ प्रेरक व्या-कार्यक्रमों के आयोजन में भी सक्रिय भाग लेते हैं।समय है; छात्रों के लाभ के लिए परामर्श और सुरक्षा कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।कॉलेज के कॉमन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अलावा, नॉर्थ ईस्ट सेल नए प्रवेशित छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित करता है, जो इस कॉलेज से डिग्री हासिल कर रहे हैं। छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रकोष्ठों, समितियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि उन्हें कॉलेज द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से अवगत कराया जा सके।उत्तर पूर्व प्रकोष्ठ के छात्र पदाधिकारी भी प्रकोष्ठ के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हर साल चुने जाते हैं। वर्तमान में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लगभग छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। 40

बाहरी और विदेशी छात्र प्रकोष्ठ

संयोजक: डॉ. प्रियाबाला सिंह

सह संयोजक: डॉ. निशा गोयल

सैकड़ों बाहरी छात्रों और कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित छह विदेशी छात्रों शैक्षणिक) सत्र 2020-2021) के साथ, बाहरी और विदेशी छात्र प्रकोष्ठ इन छात्रों की अनूठी जरूरतों और चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न प्रासंगिक मामलों पर परामर्श| . सेल का प्राथमिक उद्देश्य बाहरी और विदेशी छात्रों के लिए एक अनुकूल, आरामदायक और स्वागत योग्य वातावरण बनाना है, जो बेहतर शिक्षा और करियर के अवसरों की तलाश में अपने गृहनगर और परिवारों को एक नए स्थान और अजीब परिवेश के लिए छोड़ देते हैं।चूंकि पिछले कुछ वर्षों में बाहरी छात्रों की संख्या बढ़ी है, सेल इन छात्रों के साथउनके साथ अपनी चिंताओं और मुद्दों को साझा करने के लिए एक समर्थन / त्रों कप्रणाली और संचार के लिए एक आम मंच प्रदान करता है।यह संबंधित छाो एकदूसरे और पर्यावरण से - परिचित कराने और एक बंधन बनाने के लिए कई गतिविधियों में संलग्न करता है।इस उद्देश्य से, प्रकोष्ठ नियमित रूप से बाहरी और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की विशेष जरूरतों जैसे सुरक्षा), परामर्श, आदिकी पूर्ति के लिए (छात्रों की बैठकें, प्रेरणादायक अतिथि वार्ता व्याख्यान /, कार्यशालाएं और परामर्श सत्र आयोजित करता है।इन छात्रों के लिए एक रचनात्मक, उत्साही, फलदायी, गतिशील, बहुमुखी और यादगार कॉलेज अनुभव की दिशा में लगातार काम करने का प्रयास है

अभिभावक छात्र शिक्षक इंटरफ़ेस PTSI

संयोजक डॉ अलका चतुर्वेदी

सह संयोजक डॉ निधि कपूर

अभिभावकपिता-छात्र इंटरफ़ेस एक औपचारिक संगठन है जो माता-शिक्षक-, शिक्षकों और छात्रों से बना है जिसका उद्देश्य कॉलेज में मातापिता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है।-

PTSI के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं-

छात्रसमर्थन में मातापिता और शिक्षकों क-े बीच मजबूत कामकाजी संबंध बनाना |

कॉलेज में क्या हो रहा है, इसके बारे में माता पिता को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी राय देने में सक्षम बनाना-

छात्रों कोमाता पिता और शिक्षक के दृष्टिकोण से समझने के लिए-

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉलेज छात्रों को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम शिक्षण अनुभव प्रदान करता है .

कॉलेज माता पिता को सूचित रखने के लिए पीटीएसआई की मेजबानी करता है और-यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे शिक्षकों का समर्थन करने के लिए योजना तैयार करता है कि हमारे सभी छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। इस इंटरफेस के माध्यम से, शिक्षकों को सामाजिक पृष्ठभूमि, छात्रों के हितों और कॉलेज में होने वाली हर चीज के बारे में छात्रों की राय जानने को मिलती है, जिसमें शिक्षकों और कॉलेज प्रबंधन पर उनकी प्रतिक्रिया भी शामिल है। यह कॉलेज के कामकाज के साथसाथ छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं - के बारे में जानकारी प्रदान करता है. कॉलेज में PTSI छात्र और कॉलेज के जीवन को समग्र रूप से सुधारने और बढ़ाने की दिशा में काम करता है. एक छात्र के बारे में अधिक जानने से शिक्षकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को तदनुसार पूरा करने में मदद मिलती है।

शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए अभिभावक छात्र इंटरफ़ेस-शिक्षक-10 अप्रैल 2021 को कोविड के कारण 19, ऑनलाइन मोड के माध्यम से, विभिन्न विभागों द्वारा गूगल मीट पर आयोजित किया गया था। विभिन्न विभागों के छात्रों के अभिभावकों ने पीटीएसआई में भाग लिया और गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी दी।

तंबाकू विरोधी समिति

संयोजक: डॉ. मनीषा अरोड़ा पंडित

कालिंदी कॉलेज धूमपान और तंबाकू मुक्त परिसर है। कॉलेज की तंबाकू विरोधी समिति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को निकोटीन और तंबाकू के उपयोग के नकारात्मक प्रभाव से शिक्षित और सुरक्षा देना है। इस लिहाज से कॉलेज परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर सख्ती से रोक है। परिसर को धूम्रपान, तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों से मुक्त रखने के प्रयास में कई रणनीतियाँ बनाई गई है। परिसर के प्रमुख क्षेत्रों में बैनर और पोस्टरों का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन और तंबाकू के सेवन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में छात्रों और कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपने सभी कॉलेजों और परिसरों में सख्त तंबाकू नीति का पालन करता है, नोडल अधिकारी को अकादमिक सत्र 2019-20 से उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है।

आई.बी.एस.डी.-कालिंदी केंद्र

संयोजक: डॉ. एम. अरुणजीत सिंह,

सह-संयोजक: डॉ सनावर सोहम

जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान (IBSD) भारत की जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। 25 जनवरी 2017 को कालिंदी कॉलेज ने जैव-संसाधन और सतत विकास संस्थान (आईबीएसडी) ने इंफाल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता केंद्र की स्थापना की। आईबीएसडी केंद्र का उद्देश्य जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्तर-पूर्व के जैव-संसाधनों का विकास और इसका उपयोग करना है। केंद्र के प्रमुख उद्देश्य हैं: पूर्वोत्तर के राज्यों की जैव विविधता का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, जैव-संसाधन उद्यमिता और मूल्य वर्धित उत्पादन,

जातीय-जैविक अध्ययनों के प्रति जागरूकता और पशु/पौधों आदि जैव-संसाधनों पर अनुसंधान। आईबीएसडी समिति हर साल पूर्वोत्तर राज्यों में छात्रों को लघु उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करती है।

वार्षिक अकादमिक जर्नल (अंग्रेजी अनुभाग)

संपादक डॉ. चैती दास

सह संपादक शिप्रा गुप्ता

कालिंदी कॉलेज के वार्षिक अकादमिक जर्नल ने इस वर्ष अपना २०वां अंक प्रकाशित किया है। जिसमें विभिन्न विभागों से विविध विषयों को समाहित करने वाले शोध पत्रों के समृद्ध संग्रह को सम्मिलित किया गया है। 4IR चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत भारत के 'वैश्विक कौशल पूंजी' बनने की संभावित चुनौतियों से लेकर पेशेवरों की भाषा में आम आदमी के लिए अर्थशास्त्र के अर्थ और मायने भी, यह पाठक के लिए एक व्यापक आयाम खोलता है। चाहे वह COVID-महामारी के बीच भारत में सांस्कृतिक प्रथाओं की प्रासंगिकता हो या 19 भारत की विदेश नीति, पश्चिम एशिया में प्रवासी श्रमिक हो या भारतीय प्रवासी की समस्या आदि से जुड़े लेख विचारोत्तेजक हैं। आयन रे की माप पर एक शोध पत्र भी वर्तमान-परमाणु टकराव के दौरान उत्सर्जित एक्स- अकादमिक जर्नल का हिस्सा है। कैस्पियन क्षेत्र में रूस के साथ अमेरिकी संबंध, खेल सुविधाएं और विशेष श्रेणी के लिए उनके महत्व या जॉर्ज ऑरवेल में बर्मा की कल्पना जैसे सामयिक विषय संकाय सदस्यों के अनुसंधान की सीमा को रेखांकित करने का भी काम करते हैं।

शॉर्ट टर्म ऐड-ऑन कोर्स

समन्वयक: डॉ निधि कपूर

कॉलेज शासी निकाय ने छात्रों को कौशल से लैस करने के इच्छुक अल्पकालिक ऐड-ऑन पाठ्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की है जो उन्हें अतिरिक्त लाभ और आज की दुनिया के तीव्रता से प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में बढ़त प्रदान करते हैं ।

ऐड-ऑन कोर्स का नाम	समन्वयक	अवधि	शुल्क
विदेशी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स- फ्रेंच (जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से)	सुश्री सोनिया काम्बोज	एक वर्ष	₹ 8000/-
विदेशी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स- चीनी (पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से)	सुश्री चारू खन्ना	एक वर्ष	₹ 8000/
यात्रा और पर्यटन में सर्टिफिकेट कोर्स	डॉ सीमा सहदेव	चार महिना	₹ 8000/

* विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम

संयोजक: डॉ रिनी पुंडीर

सह-संयोजक: डॉ राजेश कुमार मीणा

कालिंदी महाविद्यालय में विभिन्न संगठनों के सहयोग से मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम छात्राओं के साथ-साथ संकाय एवं संकाय सदस्यों के समग्र संवर्धन एवं विकास की सुविधा प्रदान करता है ताकि वे अध्ययन के अपने चुने हुए क्षेत्र से संबंधित नवीनतम तकनीकों के साथ तालमेल बिठा सकें। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यह

महत्वपूर्ण है कि वे अपने छात्रों को उद्योग एवं बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार करने के साथ-साथ स्वयं के हितों और योग्यताओं को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम का पूरक बनें। हमारा कॉलेज शॉर्ट टर्म के साथ-साथ लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट कोर्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो निर्धारित नियमित व्याख्यान के बाद या सेमेस्टर ब्रेक के दौरान आयोजित किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों का संचालन पेशेवरों और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है ताकि छात्राओं को अपने संभावित कैरियर के लिए नौकरी के बाजार में बाकी लोगों से अलग खड़े होने में मदद मिल सके। इस उद्देश्य की दिशा में काम करते हुए, हमारा कॉलेज समय-समय पर छात्राओं के कल्याण के लिए प्रशिक्षण सत्र, व्याख्यान और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित करता है। कॉलेज द्वारा पेश किए गए मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे छात्राओं को वांछित क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उन्हें भविष्य में विकट चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाए।

अतीत में, कई छात्राओं को इस मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों ने लाभान्वित किया है।

मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम हमारे छात्राओं को नौकरी के बाजार में दूसरों पर बढ़त प्रदान करते हैं क्योंकि ये विशेष पाठ्यक्रम विकसित और तैयार किए गए होते हैं। सोचने-समझने और नया करने की क्षमता के साथ-साथ योग्यता कौशल एवं तकनीकी ज्ञान इस पाठ्यक्रम की उपादेयता है। इसमें युवा स्नातकों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना, मुख्य क्षेत्र में हाल के रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान किया जाता है।

हम छात्रों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आधुनिक शोध उपकरणों के उपयोग को समझने के लिए मौलिक समस्या-समाधान कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं।

2020-21 (विषम सेमेस्टर) के दौरान आयोजित मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों का विवरण:

पाठ्यक्रम	विभाग का नाम	छात्रों की संख्या	अवधि	रिर्सोस पर्सन
नैनोमटेरियल और अनुप्रयोगों का हरित संश्लेषण	रसायन विज्ञान	33	1 माह	डॉ. राजेश मीणा

योग और ध्यान	शारीरिक शिक्षा	41	1 माह	सविता चौहान

पुस्तकालय

पुस्तकालय अध्यक्षा : सुश्री कर्णिका गौर

कॉलेज का पुस्तकालय अच्छी तरह से व्यवस्थित है। पुस्तकालय का एकमात्र उद्देश्य कॉलेज के पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षकों और छात्रों की आवश्यकताओं की सहायता करना है। सुविज्ञ और विनम्र पुस्तकालय कर्मचारियों के द्वारा छात्रों को साहित्य और पुस्तकालय सुविधाओं के बारे में मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाता है। छात्राओं को पुस्तकालय का बार-बार और सही तरह से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बुक बैंक और स्टूडेंट एडेड फंड की किताबों सहित विभिन्न विषयों पर पुस्तकालय संग्रह में 84,970 से अधिक पुस्तकें हैं, जिनका उपयोग छात्र अपने संबंधित अध्ययन के क्षेत्र के विकास में मदद के लिए कर सकते हैं। पुस्तकें चुनाव के लिए चयनित पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह है, पुस्तकालय संग्रह को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सामान्य, पाठ्यपुस्तक और संदर्भ। छात्र विविध प्रकार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं से भी परामर्श ले सकते हैं। पुस्तकालय ने वर्तमान में 67 पत्रिकाओं की सदस्यता ली हुई है। पुस्तकालय अपने खुले रैक सिस्टम, विस्तृत पठन क्षेत्र, वेब केंद्र और संदर्भ विभाग के साथ एक आरामदायक सीखने का वातावरण प्रदान करता है। पुस्तकालय में एक फोटोस्टेट सेवा भी उपलब्ध है, जो संकाय और छात्रों दोनों के लिए खुली है। पुस्तकालय की पहली मंजिल पर स्थित वेब सेंटर, छात्रों और शिक्षकों को डीयूएलएस, एन-लिस्ट, और डेलनेट के माध्यम से ई-संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।

उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई-संसाधनों तक दूरस्थ पहुंच एन-लिस्ट, डेलनेट और डीयूएलएस (केवल संकाय और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए) के माध्यम से भी उपलब्ध है। संकाय सदस्यों द्वारा अपने शोध कार्यों में साहित्यिक चोरी की जांच के लिए उरकुंड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है।

पुस्तकालय से संबंधित समस्त जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कॉलेज की वेबसाइट के माध्यम से, आगंतुक पुराने परीक्षा पत्रों, खुली पहुंच वाली पत्रिकाओं/जर्नल, समाचार पत्रों, जर्नल कंटेंट अलर्ट सर्विस और कई शैक्षिक डिजिटल संसाधनों के लिंक तक पहुंच सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट में एक पंजीकरण फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, सिफारिशें और एक पुस्तकालय अध्यक्षा से पूछें विकल्प भी है।

साइबर सेंटर

संयोजक: डॉ. वंदना गुप्ता

सह-संयोजक: सुश्री कर्णिका गौड

डॉ. निधि कपूर

छात्र साइबर सेंटर:

साइबर केन्द्र का दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। साइबर केंद्र, जो कि 100 एमबीपीएस की गति से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसमें 2 सर्वर, 120 कंप्यूटर हैं। इसमें एक नया यूजीसी संसाधन नेटवर्क केंद्र है जिसमें नवीनतम विशिष्टताओं के साथ 8 कंप्यूटर हैं।

शिक्षक साइबर केंद्र:

अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, कॉलेज ने छात्रों के साइबर सेंटर से जुड़े शिक्षकों के लिए एक विशेष साइबर केंद्र स्थापित किया है, जिसमें 35 कंप्यूटर हैं, जो सभी लैन और इंटरनेट से जुड़े हैं। यह वातानुकूलित केंद्र सभी नवीनतम सॉफ्टवेयर, यूपीएस, प्रिंटर आदि से लैस है और इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश सिंह के द्वारा किया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सब्सक्राइब्ड 63 उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस शिक्षकों और छात्रों को कैंपस नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। इन के अलावा 21 और डेटाबेस यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम के माध्यम से भी उपलब्ध हैं । इस कैंपस वाइड नेटवर्क के माध्यम से ओपन एक्सेस ई-संसाधन भी उपलब्ध हैं।

तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सेमेस्टर मोड) में असेसमेंट स्कीम

आंतरिक मूल्यांकन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आंतरिक मूल्यांकन की योजना का पालन केवल नियमित स्ट्रीम में किया जाएगा, और यह शैक्षणिक सत्र 2003-04 से (अर्थात प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए) स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगा।
- आंतरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक पत्र में अलग से दिखाए जाएंगे और इन अंकों को छात्रों के (ग्रेड)डिवीजन के निर्धारण के लिए सेमेस्टर परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंकों का 25% आंतरिक मूल्यांकन के लिए और शेष 75% अंक सेमेस्टर विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा; इस 75% घटक के संबंध में वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा की समय अवधि और अन्य तौर-तरीके विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा की मौजूदा योजनाओं के अनुसार रहेंगे।
- सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर परीक्षा योजना के लिए, सेमेस्टर के दौरान आयोजित गृह परीक्षा को 10% वेटेज दिया जाएगा। गृह परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी गृह परीक्षा में फिर से उपस्थित होने के किसी भी अनुरोध पर केवल चिकित्सा आधार पर और सीजीएचएस/सरकारी अस्पताल/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सूचीबद्ध अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र और पर्चे प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जाएगा, जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। गृह परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों पर पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन लिखित असाइनमेंट/परीक्षा/ट्यूटोरियल के साथ-साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट/टर्म पेपर/सेमिनार के आधार पर किया जाएगा। ऐसे लिखित असाइनमेंट और परियोजना

रिपोर्ट/प्रस्तुतिकरण/टर्म पेपर/सेमिनार। के लिए 10% वेटेज होगा; प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक छात्र को प्रति पेपर कम से कम एक लिखित सत्रीय कार्य दिया जाएगा।

- व्याख्यान और ट्यूटोरियल में भाग लेने में नियमितता के लिए 5% वेटेज होगा, और उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक पेपर में नियमितता के लिए क्रेडिट निम्नानुसार होगा

विश्वविद्यालय दिशानिर्देश

बाहरी मूल्यांकन / सेमेस्टर परीक्षा (75%)

आंतरिक मूल्यांकन (25%), जिसमें से 5% उपस्थिति के लिए है

उपस्थिति वेटेज

- 67% या अधिक लेकिन 70% से कम 1 अंक
- 70% या अधिक लेकिन 75% से कम 2 अंक
- 75% या अधिक लेकिन 80% से कम 3 अंक
- 80% या अधिक लेकिन 85% से कम 4 अंक
- 85% से अधिक 5 अंक

महत्वपूर्ण नियम

उपस्थिति के लिए दिए जाने वाले अंकों के लिए क्रेडिट की गणना करते समय चिकित्सा प्रमाणपत्रों को बाहर रखा जाएगा, हालांकि अध्यादेश VII के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता की गणना के उद्देश्य से ऐसे प्रमाणपत्रों को ध्यान में रखा जाना जारी रहेगा।

अध्यादेश VII के प्रावधानों के अनुसार, नवीनतम संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, कॉलेज द्वारा उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा:

एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए अलग से दिए गए व्याख्यानों/प्रैक्टिकल/ट्यूटोरियल/प्रस्तुतिकरणों की कुल संख्या के दो तिहाई भाग में भाग लेने की आवश्यकता होगी।

एक छात्र जो उपरोक्त उल्लिखित सभी विषयों में उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करेगा, लेकिन संबंधित सेमेस्टर के दौरान 40% से कम व्याख्यान/प्रस्तुति/ट्यूटोरियल/प्रैक्टिकल में भाग नहीं लिया है, आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए अनुमति प्राचार्य के विवेकानुसार हो सकता है । ऐसे छात्र को अगले सेमेस्टर में कमी की पूर्ति करनी होगी।

एक छात्र जो 40% से कम व्याख्यान/प्रैक्टिकल/प्रस्तुतिकरण/ट्यूटोरियल में भाग लेने में विफल रहता है, उसे आगामी सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यदि किसी छात्र को एनसीसी शिविरों/नागरिक सुरक्षा कार्य/एनएसएस सार्वजनिक कार्यों/खेल या अन्य पाठ्यचर्या गतिविधियों में भाग लेने के लिए चुना जाता है या विभिन्न मंचों पर कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता है, तो अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दिए गए व्याख्यानों की संख्या की गणना 'डीम्ड' के रूप में की जाएगी। यदि संबंधित शिक्षक द्वारा अग्रेषित किया गया हो और प्राचार्य द्वारा अनुमोदित किया गया हो तो ही उपस्थित हुए हैं।

आंतरिक मूल्यांकन की शुरुआत के साथ, विश्वविद्यालय के लिए अधिकतम अंक

प्रत्येक पेपर में परीक्षा तदनुसार कम हो जाएगी।

पदोन्नति मानदंड विश्वविद्यालय परीक्षा के मौजूदा अध्यादेश के अनुसार होगा, जैसा कि संबंधित पाठ्यक्रमों पर लागू होता है। इसके अलावा, एक ही मानदंड विश्वविद्यालय परीक्षा और कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन के कुल योग पर लागू होगा।

प्रत्येक विभाग में आंतरिक मूल्यांकन के लिए एक मॉडरेशन कमेटी होगी जिसमें वर्तमान प्रभारी शिक्षक, पूर्व शिक्षक प्रभारी और विभाग के वरिष्ठतम सदस्य शामिल होंगे।

क्रमांक	पाठ्यक्रम
1	बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
2	बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी

3	बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल
4	बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी
5	बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास
6	बी.ए. (ऑनर्स) पत्रकारिता
7	बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान
8	बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत
10	बी.कॉम.
11	बी कॉम. (ऑनर्स)
12	बी.एससी. (ऑनर्स) बॉटनी
13	बी.एससी. (ऑनर्स) केमिस्ट्री
14	बी.एससी. (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस
15	बी.एससी. (ऑनर्स) गणित
16	बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी
17	बी.एससी. (ऑनर्स) जूलॉजी
18	बी.एससी. (जीवन विज्ञान)
19	बी वॉक वेब डिजाइनिंग
20	बी.एससी. कंप्यूटर के साथ भौतिक विज्ञान
21	बी.ए.प्रो (बौद्ध अध्ययन + इतिहास)
22	बी.ए.प्रो (बौद्ध अध्ययन + संगीत)

23	बी.ए.प्रो (बौद्ध अध्ययन + राजनीति विज्ञान)
24	बी.ए.प्रो (कंप्यूटर विज्ञान + अर्थशास्त्र)
25	बी.ए.प्रो (कंप्यूटर विज्ञान + उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी))
26	बी.ए.प्रो (कंप्यूटर विज्ञान + भूगोल)
27	बी.ए.प्रो (कंप्यूटर विज्ञान + गणित)
28	बी.ए.प्रो (अर्थशास्त्र + उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी))
29	बी.ए.प्रो (अर्थशास्त्र + भूगोल)
30	बी.ए. प्रो (अर्थशास्त्र + इतिहास)
31	बी.ए.प्रो(अर्थशास्त्र + गणित)
32	बी.ए.प्रो (अर्थशास्त्र + राजनीति विज्ञान)
33	बी.ए.प्रो (उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + भूगोल)
34	बी.ए.प्रो (उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + इतिहास)
35	बी.ए.प्रो (उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + गणित)
36	बी.ए.प्रो (उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + राजनीति विज्ञान)
37	बी.ए.प्रो (भूगोल + इतिहास)
38	बी.ए. प्रो (भूगोल + गणित)
39	बी.ए. प्रो (भूगोल + राजनीति विज्ञान)
40	बी.ए. प्रो (इतिहास + संगीत)

41	बी.ए. प्रो (इतिहास + राजनीति विज्ञान)
42	बी.ए. प्रो (संगीत + राजनीति विज्ञान)
43	बी.ए. प्रो (संस्कृत + बौद्ध अध्ययन)
44	बी.ए. प्रो (संस्कृत + इतिहास)
45	बी.ए. प्रो (संस्कृत + संगीत)
46	बी.ए. प्रो (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)

एलओसीएफ पाठ्यक्रम की रूपरेखा

1. कोर कोर्स

2. वैकल्पिक पाठ्यक्रम

२.१ अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक (डीएसई) पाठ्यक्रम

२.२ निबंध/परियोजना

२.३ सामान्य ऐच्छिक (जीई) पाठ्यक्रम: आम तौर पर एक असंबंधित विषय/विषय से चुना गया एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम, जोखिम लेने के इरादे से सामान्य वैकल्पिक कहलाता है

3. योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (एईसी)/योग्यता सुधार पाठ्यक्रम/कौशल विकास पाठ्यक्रम/फाउंडेशन पाठ्यक्रम

3.1 एई अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी): पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी संचार / एमआईएल संचार

3.2 एई वैकल्पिक पाठ्यक्रम (एईईसी): इन पाठ्यक्रमों को मूल्य-आधारित और/या कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के पूल से चुना जा सकता है।

भूगोल विभाग

(1) विभाग के बारे में संक्षिप्त परिचय:

भूगोल विभाग की स्थापना 1995 में बी.ए. पाठ्यक्रम के साथ हुई थी। भौगोलिक अध्ययन को बढ़ावा हेतु ,कॉलेज ने बी.ए. (ऑनर्स) सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अंतर्गत 2017 में भूगोल विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया । उत्कृष्टता के लिए यह विभाग सदैव प्रतिबद्ध रहा है।सैद्धांतिक परिपाटी के साथ विभाग ने उपकरणों से सुसज्जित कार्टोग्राफी और जी.आई.एस. प्रयोगशाला की स्थापना की है। कार्टोग्राफी, रिमोटसेंसिंग, जी.आई.एस. और जी.पी.एस. के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से छात्रों को सीखने और उनके कौशल को बढ़ाने हेतु सुसज्जित कार्टोग्राफी प्रयोगशाला और जी.आई.एस. लैब की' स्थापना की है। विभाग ने कॉलेज के 3-डी और 2-डी मानचित्र तैयार किए हैं, जो छात्रों और आने-जाने वालों को कॉलेज परिसर के भीतर शिक्षण और गैर-शिक्षण स्थानों को ढूंढने में मदद करते हैं।

विभाग वार्षिक जियोफेस्ट 'पुनरुत्थान' का आयोजन करता है, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र और विशेषज्ञ अकादमिक परिचर्चा में भाग लेते हैं और परस्पर विचार-विमर्श करते हैं। सोसाइटी की अपनी ई-पत्रिका "जियोसोफी" है, जिसका संपादन और संरक्षण इसके कार्यकारी सदस्यों द्वारा किया जाता है।

भूगोल विभाग 'यात्रा और पर्यटन' नामक एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है, जिसका उद्देश्य यात्रा और पर्यटन उद्योग में शामिल होने के इच्छुक छात्रों को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं कौशल विकास करना है, और जो उन्हें वैकल्पिक कैरियर के अवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भूगोल विभाग महाविद्यालय परिसर में स्थापित पेपर रीसायकल यूनिट के कार्यों को भी देखता है। यह इकाई विभिन्न विभागों से एकत्रित बेकार कागज को पुन: संसाधित करती है और पुनर्नवीनीकरण कर कागज का उत्पादन करतीहै, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

छात्राओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भूगोल विभाग में अनुभवी और सक्षम कर्मचारियों के प्रबंधन में प्रायोगिक कक्षाएं संचालित करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला है। विभाग के पास प्रयोगशाला के अलावा विभागीय पुस्तकालय में पुस्तकों का अच्छा संग्रह है।

I. कार्टोग्राफीलैब: ट्रेसिंगटेबल, एलसीडीप्रोजेक्टर, मानचित्र, मॉडल और चार्ट हैं।

II. जी.आई.एस.लैब:कंप्यूटर, जी.पी.एस, स्टीरियोस्कोप, रोटामीटर और प्लैनीमीटर और एल.सी.डी. उपकरण प्रोजेक्टर आदि से सुसज्जित हैं। प्रयोगशाला उपग्रह चित्रों,हवाई तस्वीरों के साथ-साथ विभिन्न प्रयोगों से संबंधित सतत कार्यक्रमों को करवाने में समर्थ है।

III. विभागीय पुस्तकालय: विभाग का अपना पुस्तकालय है, जहां भूगोल से सम्बंधित पुस्तकों, प्रायोगिक नोट्स और परियोजनाओं पर पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें छात्राओं को भी दिया जाता हैं।

IV. भण्डार कक्ष :विभाग के पास मानचित्रों, चार्ट के साथ-साथ औजार एवं उपकरणों के भण्डारण के लिए पृथक भण्डार कक्ष भी है।

(2) विषय का दायरा:

पाठ्यक्रम के विषय क्षेत्र भू-आकृति विज्ञान, कार्टोग्राफिक तकनीक, मानव भूगोल, विषयगत कार्टोग्राफी, जलवायु विज्ञान, भूगोल में सांख्यिकीय प्रणाली, भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, शोध विधि और उसके कार्य क्षेत्र, क्षेत्रीय योजना और विकास, रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस., भौगिलिक विचारो का मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन का विकास जैसे विषय क्षेत्र परियोजना कार्य पर आधारित होते हैं। इस पाठ्यक्रम की कैरियर संभावनाएं भारतीय सर्वेक्षण, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शहरी और ग्रामीण विकास विभाग, महानगर विकास निगम और सामाजिक और पर्यावरण अनुसंधान संगठननि हित हैं। यह पाठ्यक्रम भूगोल, भूविज्ञान, मे ट्रोलॉजी और शहरी एवं क्षेत्रीय योजना के अनुशासन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

भूगोल में स्नातक कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद, छात्र निम्नलिखित रूप से सक्षम होंगे:

- जांच करके एकीकृत मानव-पर्यावरण प्रणाली के रूप में पृथ्वी का विश्लेषण कर सकते हैं।
- विभिन्न स्थानिक और अस्थायो परिवर्तनों को समझ सकेंगे।
- भौतिक और मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विषय को समझने के लिए।
- भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण करना और मानव-पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करना
- मौखिक, लिखित और दृश्य रूपों का उपयोग करके भौगोलिक अवधारणाओं और आंकड़ों को प्रभावी ढंग से संचारित करना।
- मानव-पर्यावरण की समस्याओं के नए समाधानों को पाने में प्रभावी रूप से योगदान दे सकते हैं।
- एक या अधिक भौगोलिक उप-विषयों से उपयुक्त अवधारणाओं, विधियों और उपकरणों का उपयोग करके जटिल वास्तविक दुनिया की चुनौतियों की जांच कर सकते हैं।
- भौगोलिक ज्ञान की सामाजिक प्रासंगिकता की व्याख्या करना और इसे वास्तविक विश्व के मानव-पर्यावरण मुद्दों पर लागू कर सकते हैं।

3.संकायस दस्यों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पद	क्षेत्र	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1	डॉ. सीमा सहदेव **(विभाग-प्रभारी)**	ऐशोसिएट प्रोफेसर	एम.ए.,एम.फिल.,पीएच.डी.	राजनीतिक भूगोल/ चुनावी भूगोल/ पर्यावरण भूगोल
2.	डॉ. उषा	सहायक	पीएच.डी.(रांची	भू-आकृति विज्ञान, शहरी

	कुमारी पाठक	प्राध्यापक	विश्वविद्यालय)	आकृति विज्ञान और क्षेत्रीय योजना
3.	डॉ.शशि भूषण	सहायक प्राध्यापक	पीएच.डी. (जे.एन.यू.)	प्रकृति संसाधन प्रबंधन (जलवायु परिवर्तन)
4.	सुश्री गीता कुमारी	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.(डी.यू.) एम.फिल (डी.यू.) पीएच.डी(जे.एम.आई.)	जलवायु परिवर्तन, आजीविका, कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास
5.	श्री जितेंद्र ऋषिदेव	सहायक प्राध्यापक	पीएच.डी(डीयू) एम.ए., एम.फिल.,	भू-आकृति विज्ञान
6.	सुश्री माधुरी मीणा	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.(जे.एन.यू.), पीएच.डी. (जारी)	पर्यावरण और भौतिक भूगोल
7.	श्री अखिलेश मिश्रा	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.(बी.एच.यू.), एम.टेक (यू.एन.ओ.एम.), पीएच.डी.(डीयू)	भू-आकृति विज्ञान, जल विज्ञान और रिमोटसेंसिंग और जी.आई.एस.।
8.	सुश्री शालिनीशिखा	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.(बी.एच.यू.), एम.फिल (जे.एन.यू.) पीएच.डी.(जेएनयू) (जारी)	राजनीति कभूगोल
9.	डॉ. अभिजीत महला	सहायक प्राध्यापक	पीएच.डी. (जे.एन.यू.)	रिमोटसेंसिंग और जी.आई.एस. के साथ भू-आकृति विज्ञान।

4.**प्रयोगशाला कर्मचारी का विवरण**

नाम	पदनाम
1. श्री सोनू कुमार	प्रयोगशाला परिचारक
2. श्री राकेश यादव	प्रयोगशाला परिचारक

5. शिक्षण का माध्यम: अंग्रेजी और हिंदी

i)कोर्स विवरण :ऑनर्स कोर्स के लिए (एल.ओ.सी.एफ़.)

प्रथम वर्ष

सेमेस्टर	कोर कोर्स	जेनरिक/ ऐच्छिक (कोईएक)	ए.ई.सी.सी.
I	1. भू-आकृति विज्ञान 2. कार्टोग्राफिक तकनीक (प्रैक्टिकल)	1.आपदा प्रबंधन 2.तीर्थ स्थल और पर्यटन का भूगोल	(अंग्रेजी/एम.आई.एल./संप्रेषण)/ पर्यावरण विज्ञान)
II	1.मानवीय भूगोल थीमैटिक कार्टोग्राफी(प्रैक्टिकल)	11. स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी 2. मानव और पर्यावरण की युग्मित प्रणाली	पर्यावरण.विज्ञान/(अंग्रेजी/ एम.आई.एल./संप्रेषण

द्वितीय वर्ष

सेमेस्टर	कोर कोर्स	जेनरिक/ ऐच्छिक (कोईएक)	एस. ई. सी. (कोई एक)
III	1.जलवायु विज्ञान 2भूगोल में सांख्यकीय	1.जलवायु परिवर्तन: भेद्यता और अनुकूलन	1.सुदूर संवेदन(प्रैक्टिकल) 2.उन्नत स्थानिक सांख्यिकीय

	(प्रैक्टिकल) 3. भारत का भूगोल	2.ग्रामीण विकास स्थिरता	तकनीक
IV	1.आर्थिक भूगोल 2.पर्यावरण भूगोल 3.क्षेत्र कार्य और अनुसंधान पद्धति (प्रैक्टिकल)	1.औद्योगिक विकास स्थिरता ससाधन विकास	1.जी.आई.एस. विज्ञान का परिचय (प्रैक्टिकल) 2.विषयगत एटलस (प्रैक्टिकल)

तृतीय वर्ष

सेमेस्टर	**कोर कोर्स**	**डी.एस.ई.-I** **(कॉई एक)**	**डी.एस.ई.-II** **(कॉई एक)**
V	1.क्षेत्रीय योजना और विकास 2.रिमोटसेंसिंग और जीआईएस (प्रैक्टिकल)	1.जन सांख्यिकी और जन संख्या अध्ययन 2.जलविज्ञान और मृदा अध्ययन	1.शहरीकरण और शहरीप्रणाली 2.कृषि और खाद्य सुरक्षा
VI	1.भौगोलिक चिंतन का मूल्यांकन 2.आपदा प्रबंधन आधारित परियोजना कार्य (प्रैक्टिकल)	**डीएसई-III** **(कोईएक)** 1.स्वास्थ्य का भूगोल 2.राजनीतिक भूगोल का परिचय	**डीएसई-IV** **(कोईएक)** 1.जीव विज्ञान और जैवविविधता 2.सामाजिक स्वास्थ्य का

			भूगोल

(ii) बी.ए.प्रोग्रामका पाठ्यक्रम (एल.ओ.सी.एफ.)

प्रथम वर्ष

सेमेस्टर	**कोर**	**ए.ई.सी.सी.**
I	भौतिक भूगोल (कोर)	पर्यावरण विज्ञान/ (अंग्रेजी/ एम.आई.एल./संचार)
II	मानव भूगोल (कोर)	(अंग्रेजी/ एम.आई.एल./ संचार)/पर्यावरण विज्ञान

द्विती यवर्ष

सेमेस्टर	**कोर**	**एस.ई.सी.**
III	जनरल कार्टोग्राफी (कोर)	क्षेत्रीय योजना और स्थिरता का विकास (एस.ई.सी.)
IV	पर्यावरण भूगोल (कोर)	सुदूर संवेदन की मौलिकता और जी.पी.एस./जी.एन.एस.एस.(सेक)

तृतीय वर्ष

सेमेस्टर	**डी.एस.ई.**	**जेनेरिक/ ऐच्छिक**	**एस.ई.सी.**
V	1.भारत का भूगोल**या**	आपदा प्रबंधन	क्षेत्र तकनीक और सर्वेक्षण की विधियां

	2.वैश्विक आर्थिक भूगोल		(एस.ई.सी.)
VI	1.आपदा जोखिम न्यूनीकरणया 2.पर्यटन का भूगोल	जलवायु परिवर्तन भेद्यता और शमन	जी.आई.एस. विज्ञान का परिचय (एस.ई.सी.)

7.प्रमुख अभिविन्यास पाठ्यक्रम, संगोष्ठियों, कार्यशालाएं, सम्मेलन::

संगोष्ठी का शीर्षक, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, संगोष्ठियों, कार्यशालाएं, सम्मेलन	**आयोजन विभाग और दिनांक**	**प्रायोजक**	**स्तर (राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय/ राज्य/विश्वविद्यालय/कॉलेज**
कैरियर परामर्श पर ऑनलाइन कार्यशालात् "भूगोल : सीखने और अवसर के रुपमैं" विषय के साथ भूगोल एक कैरियर के रूप में और भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में: जी.आई.एस. के साथ भविष्य	भूगोल/ 17 फरवरी 2021	एन.ए.	महाविद्यालय
एक जागरूकता कार्य क्रम के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया और आपदास्थान का पुनरीक्षण, उनके कारण, घटना और परिणाम' विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई।	भूगोल/ 16 अक्टूबर 2020	एन.ए.	विश्वविद्यालय

'पर्यावरण के उभरते संरक्षक' भूगोल विषय पर समूह चर्चा का आयोजन किया गया	भूगोल/ 12 अप्रैल 2021	एन.ए.	विश्वविद्यालय

8.विभाग में शोधकार्य:

क्रमसंख्या	प्रधान अन्वेषक (सह-अन्वेषक) का नाम	परियोजना	अनुदान एजेंसी, अवधि और स्वीकृति की तारीख	परियोजना की स्थिति (प्रस्तुत/ जारी)	छात्रों का नाम
1.	डॉ.सीमा सहदेव (प्रधान अन्वेषक) डॉ. मनीष कुमार (सह-अन्वेषक) कालिंदी कॉलेज	कालिंदी महाविद्यालय की जी.आई.एस.-आधारित आपात कालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	एकवर्ष;(2017-18)	पूर्ण	कीर्ति, वाणी, कुसुम, अंशु के.रोजा, संगीता
2	डॉ.सीमा सहदेव (प्रधान अन्वेषक) डॉ.मनीष कुमार, डॉ. उषा पाठक, डॉ. शशि भूषण	स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली: दिल्ली के एनसीटी का स्थानिक अध्ययन	एकवर्ष;(2018-19)	पूर्ण	कीर्ति दुबे, आशना, वैष्णवी, प्राची, हनी
3	डॉ.सीमा सहदेव (प्रधान अन्वेषक) डॉ.मनीष कुमार,	मॉडलिंग फॉर दफ्यूचर फ्लडवेलनरे बिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट एनालिसिस:	एकवर्ष; (2018-19)	पूर्ण	काजल, अंशु, गरी, ज्योतिमा,

	डॉ.प्रेम पाल सिंह	यमुना कैच में टएरिया-जियो मैथमैटिकल स्पैटियल टेक्निक्स			नीलम

9.शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आमंत्रित विशिष्टव क्ताओं/अतिथियों की सूची:

एस.एन	नाम	पदनाम	संस्थान
1	डॉ. जगबीर सिंह	सहायक प्राध्यापक	स्वामी श्रद्धानंदकॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
2	डॉ.कृष्णा नंद	सह -प्राध्यापक	शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
3	श्रीनीलय श्रीवास्तव	मानद सचिव	अंतर्राष्ट्रीय आपात कालीन प्रबंधन सोसायटी (TIEMS)
4	डॉ.जितेंद्र सोनी	सहायक प्राध्यापक एवं विभागप्रभारी	गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, सीकर, राजस्थान
5	डॉ.आशीष साहा	सहायक प्राध्यापक	दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
6	श्री अरुण कृष्णमूर्ति	पर्यावरणविद्, कार्यकर्ता और संस्थापक	'भारत' के संस्थापक
7	श्रीमान राजेश कुमार	संस्थापक	ग्रीन पाठशाला

	सुमन		
8	श्री श्याम सुंदर ज्ञानी	प्राध्यापक	डूंगर कॉलेज, बीकानेर
9	सुश्री परमिता सरना	सामाजिक कार्यकर्ता, सह-संस्थापक और सह-निदेशक	अक्षर फाउंडेशन

इतिहास विभाग

विभाग का संक्षिप्त परिचय:

'इतिहास अतीत के समाजिक जीवन का अध्ययन है,मनुष्य के अपने समय के वर्तमान की कहानी है,जो उसके विकास और भविष्य की आशाओं के संबंध में साक्ष्य के आधार पर अतीत की जांच करता है।वास्तव में इतिहास अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से शिक्षण द्वारा अपने समय को जानने का प्राथमिक स्त्रोत है।'

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बी.ए.इतिहास ऑनर्स की शुरुआत कालिंदी कॉलेज की स्थापना के तीन वर्षों (1970-71) के मध्य हुई थी। इतिहास का अध्ययन करने के लिए कक्षा शिक्षण के साथ मनुष्य के जीवन विकास क्रम को समझने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और अभिलेखागार आदि की यात्राओं की भी आवश्यकता होती है। इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इतिहास विभाग द्वारा 'धरोहर' सोसाईटी का गठन किया गया है। धरोहर का मुख्य उद्देश्य छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जागरूक करना और उन्हें विभिन्न अंतर-विभागीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करना है।

2. पाठ्यक्रम का कार्यक्षेत्र

नियोक्ताओं द्वारा एक इतिहास स्नातक के कौशल को बहुत महत्व दिया जाएगा जैसे कि विश्लेषणात्मकता ,तार्किकता, मौखिक और लिखित संचार एवं अनुसंधान कौशल आदि । इतिहास की स्नातक की उपाधि रोजगार की विस्तृत अवसरों की संभावना प्रस्तुत करती है।

- एम.ए. (इतिहास)
- पुरातत्व
- कला का इतिहास
- विरासत अध्ययन
- आर्काइविस्ट / रिकॉर्ड्स मैनेजर
- संग्रहालयाध्यक्ष
- वंशावली अध्ययन

3. संकाय सदस्यों का विवरण

एस.एन	नाम	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	विशेषज्ञता
1	डॉ रिनी पुंडीर भारीप्र -	ऐशोसिएट प्रोफेसर	एम॰ए, एम॰फिल पी॰एच॰डी	मध्यकालीनभारतीय इतिहास
2	डॉ गरिमा प्रकाश	ऐशोसिएट प्रोफेसर	एम॰ए पी॰एच॰डी	आधुनिकभारतीय इतिहास
3	डॉ कृष्णा कुमारी	सहायक प्रोफेसर	एम॰ए पी॰एच॰डी	मध्यकालीन भारतीय इतिहास
4	सुश्री अदिति चौधरी	सहायक प्रोफेसर	एम॰ए एम॰फिल	मध्यकालीन भारतीय इतिहास
5	डॉ ओम प्रकाश	सहायक प्रोफेसर	एम॰ए एम॰फिल पी॰एच॰डी	प्राचीन भारतीय इतिहास

6	डॉ त्सेङ्ग फुन्सुंग	सहायक प्रोफेसर	एम॰ए एम॰फिल पी॰एच॰डी	प्राचीन भारतीय इतिहास
7	डॉ नूतन पाण्डेय	सहायक प्रोफेसर	एम॰ए पी॰एच॰डी	आधुनिक भारतीय इतिहास
8	डॉ अमृत अनुराग	सहायक प्रोफेसर	एम॰ए एम॰फिल	प्राचीन भारतीय इतिहास
9	डॉ राम सरिक गुप्ता	सहायक प्रोफेसर	एम॰ए एम॰फिल पी॰एच॰डी	आधुनिकभारतीय इतिहास

4. माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी-

5. आनर्स पाठयक्रम विवरण

प्रथम वर्ष

सेमेस्टर	कोर	जेनरिक इलेक्टिव	ए ई सी सी
I	कोर 1 भारत का इतिहास -I कोर 2 प्राचीन दुनिया के सामाजिक गठन और सांस्कृतिक पैटर्न	जेनरिक -I युग के माध्यम से दिल्ली या पेपर 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी का	अङ्ग्रेज़ी /एम आई एल पर्यावरण इतिहास का अध्ययन

		इतिहास	
II	कोर 3 भारत का इतिहास -II कोर 4 प्राचीन एवं मध्ययुग के सामाजिक गठन और सांस्कृतिक पैटर्न	जेनरिक II पेपर 3 समकालीन दुनिया में मुद्दे: अथवा के बाद विश्व 1945 पेपर 4 इतिहास और संस्कृति: प्रतिनिधित्व ग्रंथों, वस्तुओं और प्रदर्शन में	अंग्रेज़ी/एम आई एल पर्यावरण इतिहास का अध्ययन

2nd Year

सेमेस्टर	कोर	जेनरिक इलेक्टिव	सेक
III	कोर 5 भारत का इतिहास-III (750-1200) कोर6 आधुनिक पश्चिम का उदय1- कोर 7 भारत का इतिहास) वी -1500-1600)	जेनरिक -III पेपर 5 राजनीति की प्रकृति OR कोर्स VI उत्तर-औपनिवेशिक भारत का निर्माण (सी. 1950-1990 अथवा	सेक I 1॰विरासत की समझ अथवा II॰अभिलेखागार और संग्रहालय अथवा III॰ इतिहासकार का शिल्प

		समकालीन भारत का निर्माण	
IV	कोर 8 आधुनिक पश्चिम का उदय -II भारत का इतिहास - v) 1500-1600) भारत का इतिहास - vi) 1750-1857)	जेनरिक IV पेपर 7 धर्म और धार्मिकता अथवा पेपर 8 असमानता और अंतर	सेक IV भारतीय कला और वास्तुकला अथवा पेपर -V पापुलर संस्कृति की समझ सेक VI इतिहास, समाजशास्त्र और नृविज्ञान

3rd Year

Semester	Core	DSE-I	DSE-II
V	कोर 11 आधुनिक यूरोप का इतिहास-I कोर 12 भारत का इतिहास -VII (सी।1600-1750)	पेपर I संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास गृहयुद्धक : स्वतंत्रता दिवस पेपर 2 यूएसएसआर का इतिहासक्रांति से :	पेपर 9 आधुनिक चीन का इतिहास1960-1840- अथवा पेपर 10 आधुनिक दक्षिण पूर्व एशिया

		द्वितीय विश्वयुद्ध)1917-19 45) अथवा पेपर 3 अफ्रीका का इतिहास,) 1500-1960) अथवा पेपर 4 भारतीय इतिहास में लिंग 1500 तक	अथवा पेपर 11 वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण
VI	कोर 13 भारत का इतिहास - viii सन) 1857-19 50) कोर 14 आधुनिक यूरोपका इतिहास -II	डी एस सी -III पेपर 5 संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहासनव युग : राजनीतिकेलिएपुनर्निर्माण अथवा पेपर 6 यूएसएसआर का इतिहास सोवियत :	डी एस सी IV पेपर 12 आधुनिक जापान और कोरिया का इतिहास)1868-19 50) OR पेपर 13 आधुनिक दक्षिण पूर्व एशिया :17 वींसे20

		) अनुभव1 945-1991) अथवा पेपर7 लैटिन अमेरिका का इतिहास, सी।1500-1960s	वींशताब्दीतक अथवा पेपर 14 समकालीन भारत का निर्माण (1950-1990) पेपर 8 भारतीय इतिहास में लिंग (सी. 1500-1950)

बी.ए. प्रो. पाठयक्रम

प्रथम वर्ष

सेमेस्टर	कोर	ए ई सी सी
I	कोर 1 आदिम युग का भारतीय इतिहास ईसा पू 300	MIL विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशानुसार
II	कोर 2 भारतीय इतिहास - 1200-300	MILविश्वविद्यालय के दिशा निर्देशानुसार

द्वितीय वर्ष

सेमेस्टर	कोर	सेक
III	कोर 3 भारत का इतिहास . 1200-1700	पेपर-1: इतिहास और पर्यटन अथवा पेपर-2 भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय
IV	कोर 4 भारत का इतिहास .1700-1950	पेपर 2:भारतीय कला का परिचय अथवा पेपर 3:पुरातत्वशास्त्र का परिचय

3rd Year

सेमेस्टर	डी एस सी	जेनरिक इलेक्टिव	सेक
V	पेपर 1: मध्य युग से पुनर्जागरण तक यूरोप (7वीं से 16वीं शताब्दी) या पेपर 2: अर्थव्यवस्था और राजनीति: पूंजीवाद और उपनिवेशवाद -I अथवा पेपर 3: विश्व इतिहास के मुद्ये -II (20शाताब्दी (	पेपर 1 भारतीय इतिहास में महिलाएं अथवा पेपर 2 आधुनिक युग मे लिंग पेपर 3 भारत में सांस्कृतिक विविधता	5: लोकप्रिय संस्कृति या 6: प्रारंभिक आधुनिक समय में भाषा, साहित्य और क्षेत्र

VI	पेपर 4: आधुनिक योरोप में सांस्कृतिक बदलाव II (1500-1848) अथवा पेपर 5:पूंजीवाद और उपनिवेशवाद-II अथवा पेपर 3:विश्व इतिहास के मुद्ये -II(20शाताब्दी)	पेपर 4 मानव इतिहास में प्रकृति अथवा पेपर5 असमानता और अंतर अथवा पेपर 6 दिल्ली युग के माध्यम से	7: आधुनिक इतिहास में पाठ, अनुष्ठान और वाचिकता या SEC 8: भारत में रेडियो और सिनेमा: एक सामाजिक इतिहास

हिंदी

1. विभाग का संक्षिप्त परिचय:

कालिन्दी महाविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना सन् 1967 में महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुई। शुरूआत बी.ए. पास के हिन्दी पाठ्यक्रमों के शिक्षण से हुई। सन् 1971 में बी.ए. ऑनर्स हिन्दी पाठ्यक्रम की और सन् 1991 में एम.ए.हिन्दी पाठ्यक्रम की शुरूआत हुई। हिन्दी विभाग, वाणिज्य-स्नातक व अन्य कला-स्नातक पाठ्यक्रमों की छात्राओं को विविध अन्तर-अनुशासनिक पाठ्यक्रम भी पढ़ाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित विभाग की 'हिन्दी साहित्य परिषद्' समय-समय पर विभिन्न शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभाग की वरिष्ठ सदस्या डॉ .बुद्धिराजा को उनकी जापान यात्रा के दौरान

जापान की ओर से सम्मानित किया गया था | विभाग में चार स्थाई संकाय सदस्य कार्यरत हैं -डॉ . मंजू शर्मा ,(2006) डॉ .आरती सिंह ,(2006) डॉ .मोहिनी श्रीवास्तव ,(2006) सुश्री रेखा मीना 2008 ।

2. **पाठ्यक्रम का कार्यक्षेत्र**

संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन व रोजगार के लिए आवेदन परक सहभागिता।

हिंदी में उच्च शिक्षा, जैसे-एम.ए.,एम.फिल.पीएच.डी.।

हिंदी- अंग्रेजी अनुवाद पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा व रोजगार।

विभिन्न प्रिण्ट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया- माध्यमों में रोजगार।

बैंकिंग ,फिल्म ,अनुवाद ,पटकथा-लेखन ,ब्लॉग-लेखन सृजनात्मक लेखन आदि में रोजगार की अपार संभावनाएँ।

3. संकाय सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम	पद	योग्यता	अध्ययन का क्षेत्र
1	डॉ. आरती सिंह	ऐशोसिएट प्रोफेसर	पीएच. डी.	रीतिकाल
2	डॉ. मंजू शर्मा	ऐशोसिएट प्रोफेसर	पीएच. डी.	हिंदी नाटक और रंगमंच
3	डॉ. मोहिनी श्रीवास्तव	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	स्त्री-विमर्श
4	सुश्री रेखा मीना	सहायक प्रोफेसर	एम. ए. नेट	मीडिया
5	डॉ. विभा ठाकुर	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	कथा साहित्य और लोक साहित्य
6	डॉ. रक्षा गीता	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	आधुनिक कल

7	सुश्री बलजीत कौर	सहायक प्रोफेसर	एम. ए. नेट	हिंदी नाटक और रंगमंच, हिंदी भाषा और आधुनिक कल
8	डॉ. ऋतू	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	हिंदी नाटक और रंगमंच
9	डॉ. ब्रह्मा नन्द	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	दलित साहित्य
10	डॉ. हेमंत रमण रवि	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	हिंदी नाटक और रंगमंच
11	डॉ. संजय कुमार सिंह	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	हिंदी भाषा और दलित साहित्य
12	डॉ. लवकुश कुमार	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	हिंदी नाटक और रंगमंच
13	डॉ. ममता चौरसिया	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी., पी.डी.एफ.	आधुनिक कल, लोक साहित्य
14	डॉ. सुरेश चन्द मीना	सहायक प्रोफेसर	पीएच. डी.	मध्यकालीन साहित्य

4. माध्यम -हिन्दी

5. पाठयक्रम विवरण

सेमेस्टर	कोर	जेनेरिक इलेक्टिव (कोई एक)	ए.ई.सी.सी.
I	1 हिन्दी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास 2 हिन्दी कविता आदिकाल) एवं	हिन्दी सिनेमा और उसका अध्ययन	हिन्दी भाषा और सम्प्रेषण

	भक्ति कालीन काव्य)		
II	3 हिन्दी साहित्य का इतिहास आदि) काल और मध्यकाल(4 हिन्दी कविता रीतिकालीन कविता(	पटकथा और संवाद लेखन	
III	5 हिन्दी साहित्य का इतिहास आधुनिक) काल(6 हिन्दी कविता आधुनिक) काल और छायावाद तक(7 हिन्दी कहानी भाषा और समाज		सोशल मीडिया
IV	8 भारतीय काव्यशास्त्र 9 हिन्दी विताक) छायावाद के बाद) 10 हिन्दी उपन्यास	हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य	भाषा और समाज
v	11 पाश्चात्य काव्यशास्त्र 12 हिन्दी नाटक \एकाँकी\	अस्मितामूलक विमर्श एवं हिन्दी साहित्य अथवा भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच सिद्धान्त	हिन्दी भाषा का व्यावहारिक अध्ययन अथवा भारतीय

			साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा
VI	13 हिन्दी आलोचना 14 हिन्दी निबंध एवं अन्य विधाएँ	हिन्दी की भाषिक विविधताएँ अथवा भारतीय साहित्यःपाठपरक अध्ययन	अवधारणात्मक साहित्यिक पद अथवा हिन्दी रंगमंच

प्रोग्राम का पाठ्यक्रम

1st ईयर बी. ए. प्रोग्राम/बी.कॉम. प्रोग्राम हिंदी "क" (जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है)

1st ईयर बी. ए. प्रोग्राम/बी.कॉम. प्रोग्राम हिंदी "ख" (जिन्होंने कक्षा 10 तक हिंदी पढ़ी है)

1st ईयर बी. ए. प्रोग्राम/बीकॉम प्रोग्राम हिंदी "ग" (जिन्होंने आठवीं तक हिंदी पढ़ी है)

वर्ष	सेमेस्टर	कोर	ए.ई.सी.सी.
I	II	हिन्दी कहिन्दी- भाषा और साहित्यहिन्दी \ हिन्दी-ख भाषा और साहित्य \हिन्दी ग- हिन्दी भाषा और साहित्य	हिन्दी भाषा और सम्प्रेषण
I	II	हिन्दी कहिन्दी- भाषा और साहित्यहिन्दी \ हिन्दी-ख भाषा और साहित्य-हिन्दी ग \ हिन्दी भाषा और साहित्य	हिन्दी भाषा और सम्प्रेषण

वर्ष	सेमेस्टर	कोर	सेक

I	I	हिन्दी कहिन्दी- गद्य रूपों का सामान्य परिचयहिन्दी/ ख हिन्दी गद्यः उदभव और विकास	
II	II	हिन्दी कहिन्दी- गद्य रूपों का सामान्य परिचय/ हिन्दी ख हिन्दी गद्यः उदभव और विकास	

6. **शोध -परियोजना**

क्र. सं.	**प्रधान अन्वेषण (सह-अन्वेषण) का नाम**	**परियोजना का नाम**	**अनुदान एजेंसी, अवधि और स्वीकृति की तारीख**	**राशि**	**परियोजना की स्थिति (प्रस्तुत/जारी)**	**रिमार्क**
1	डॉ.विभा ठाकुर	थेरीगाथा में स्त्री संधर्ष और अभिव्यक्ति का आधुनिक संदर्भ	कालेज वित्त पोषित परियोजना	4000/₹	प्रस्तावित	
2.	डॉ. रक्षा गीता	चाँद पत्रिका का अछूत अंक **(1927)** के प्रसांगिकता	प्रस्तावित	@5000 **रूपए**	प्रस्तावित	
3	डॉ. संजय	**How to Used**	प्रस्तावित		प्रस्तावित	

	कुमार सिंह	**of technology For non-technical**				

7. वक्ताओं और अतिथियों के नाम की सूची अकादमिक वर्ष (2020-21)

क्र. सं.	**अतिथि वक्ता का नाम**	**पद/ संबंधित संस्था का नाम**	**तिथि**	**सहभागियों को संख्या**
1.	प्रो. शारदा सिंह	हिंदी विभाग, काशील हिन्दू विश्वविद्यालय	01 अक्तूबर 2020	35
2.	प्रो. श्योराज सिंह	विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय	22 अक्तूबर 2020	40
3.	डॉ. अवनिजेश अवस्थी	एसोसिएट प्रोफ़ेसर, पी.जी. डी.ए.वी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	22 मार्च 2021	35
4.	प्रो. कैलाश नारायण तिवारी	हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय	22 मार्च 2021	35

राजनीति विज्ञान विभाग

1. विभाग का संक्षिप्त परिचय:

राजनीति विज्ञान विभाग की स्थापना सन् में हुई थी 1967, इसमें डॉसरोज पाठक पहली शिक्षक . पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे थे। राजनीति (पास).ए.छात्र बी 80 हुई थी। इस विभाग में लगभगनियुक्त 88-1987 .ए.में और एम 74-1973 विज्ञान में आनर्स कोर्स पहली बारमें प्रारम्भ हुआ। अब राजनीतिविज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक हो गयी है। बी 500.ए.राजनीति (आनर्स) विज्ञान विषय कॉलेज में अब छात्राओं का सबसे प्रिय विषय बन गया है।

अंतःविषय लोकाचार के तहत, राजनीति विज्ञान विभाग एक बहुत सक्रिय भागीदार रहा है और बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता विभाग के साथ समन्वय किया है। संकाय ने पत्रकारिता की छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत सरकार तथा राजनीति जैसे कुछ महत्वपूर्ण पेपर भी पढ़ाए हैं ।

यहविभाग वर्तमान राजनीतिक दुनिया को समझने, एक सक्रिय नागरिकता और लोकतांत्रिक जुड़ाव के निर्माण में छात्रों को एक दूसरे से जोड़ने की-कोशिश करता है। यह छात्रों को उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़ने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है । एक अनुशासन के रूप में, राजनीति विज्ञान उस दुनिया में राजनीति को समझने का प्रयास करता है, जिसमें हम वैश्विक स्तर पर समान रूप से राजनीतिक और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संदर्भों से बेहतर रूप में जुड़ते हैं। यह खुद को युवा महिलाओं को महत्वपूर्ण सोच, सक्रियता, वकालत के साथसाथ नेतृत्व में संलग्न होने के लिए एक- दृष्टिप्रदान करता है। यह उन्हें अपने विचारों को एक ऐसे मंच पर साझा करने के लिए तैयार करता है, जहां वे अपने स्वयं के गहन मूल्यों की पूछताछ कर सकते हैं और अंतर तथा इसके निहितार्थों को समझ सकते हैं।

2. **पाठ्यक्रम का कार्यक्षेत्र**

राजनीति विज्ञान विषय, विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय शासन, मास मीडिया, लोक कल्याण, सिविल सेवा में प्रबंधन और लॉ में करियर के लिए सबसे अधिक मांग वाला प्रारम्भिक स्नातक पाठ्यक्रम बना हुआ है। लिंग अध्ययन और अन्य अंतःविषय दृष्टिकोण। भारतीय राजनीति और शासन के मुद्दों में या लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों या दुनिया की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्रों में गंभीर रूप से रुचि रखने वाले छात्रोंके लिए राजनीति विज्ञान में ऑनर्स के साथ स्नातक का चयन करना अच्छा होगा ।

3. संकाय सदस्यों का विवरण

क्रमांक	**नाम**	**पद**	**योग्यता**	**विशेषज्ञता का क्षेत्र**
1.	डॉ. रुचि त्यागी	प्रोफेसर	एम.ए., एम.फिल्., पीएच.डी.	भारतीय राजनीतिक विचार भारत सरकार राजनीति
2.	डॉ. सुनीता मंगला	ऐशोसिएट प्रोफेसर	पीएच.डी.	भारतीय राजनीतिक विचार भारतीय राजनीति
3.	डॉ. संगीता ढल	ऐशोसिएट प्रोफेसर	पीएच .डी. और पोस्ट डॉक्टर	लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति
4.	अनीता टैगोर	ऐशोसिएट प्रोफेसर	एम.फिल्., पीएच.डी., एल.बी.एल.	भारतीय राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत, मीडिया राजनीति और महिला अध्ययन

5.	डॉ. मीना चरांदा	ऐशोसिएट प्रोफेसर	पीएच.डी.	भारतीय सरकार और राजनीति एवं गांधी को पढ़ना
6.	नितिन मल्होत्रा	सहायक आचार्य	राजनीति विज्ञान में और एम.फिल्.	तुलनात्मक सरकार और राजनीति
7.	डॉराखी . चौहान	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लिंग अध्ययन
8.	डॉ. मनीला नारज़ारी	सहायक आचार्य	एम.फिल्., नेट, पीएच.डी.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अफ्रीकी राजनीति।
9.	सुश्री वंदना रानी	सहायक आचार्य	एम.फिल्., नेट, पीएच(पी) .डी.	लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति
10.	डॉ अंजनी कुमार	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	अंतरराष्ट्रीय संबंध
11.	डॉ. निशा बख्शी	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
12.	डॉ. निवेदिता गिरी	सहायक आचार्य	एम.ए., एम.फिल्., पीएच.डी.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति
13.	डॉ. उत्पल कुमार	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	राजनीतिक सिद्धांत और विचार
14.	डॉ. विनीता मीणा	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

15.	डॉ. दीपक यादव	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
16.	डॉ. प्रियाबाला सिंह	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
17.	डॉ. रितु शर्मा	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	भारतीय राजनीति, लिंग अध्ययन
18.	डॉ. संदीप कुमार	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	भारतीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध
19.	डॉ. सीमा माथुर	सहायक आचार्य	यूजीसीनेट-, पीएच.डी.	भारतीय राजनीति, मानवाधिकार, महिला और दलित अध्ययन
20.	डॉ. सुनीता मीना	सहायक आचार्य	पीएच.डी.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति

4. पाठ्यक्रम की पेशकश और माध्यम

बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान, बी.ए. (प्रोग्राम), एम.ए.

5. प्रोग्राम का पाठ्यक्रम

वर्ष	**छमाही**	**सार**	**जेनेरिक ऐच्छिक)GE)**	**एईसीसी**
प्रथम वर्ष	**प्रथम सेमेस्टर**	1. राजनीतिक सिद्धांत को समझना	1.भारत में राष्ट्रवाद 2.समकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था 3.नारीवाद : सिद्धांत और व्यवहार	
		2.संवैधानिक सरकार		

		और भारत में लोकतंत्र	द्वारा) बदला गया 'महिला, सत्ता और राजनीति')	
	द्वितीय सेमेस्टर	3. राजनीतिक सिद्धांत- अवधारणाएंऔर बहस	4.गांधी और समकालीन दुनिया	
		4.भारत में राजनीतिक प्रक्रिया	5. अम्बेडकर को समझना	
			6.शासनमुद्दे और चुनौतियां :	
द्वितीय वर्ष	**तृतीय सेमेस्टर**	5. तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय	7. वैश्वीकरण की राजनीति	कआपके कानून .,
			8.संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संघर्ष	आपके **अधिकार**
		6. लोक प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य		ख .जनमत और सर्वेक्षण अनुसंधान
		7.अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य		गविधायी प्रथाएं . और प्रक्रियाएं
	चतुर्थ सेमेस्टर	8. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्थान		घ .शांति और संघर्ष का संकल्प
		9.भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन		
		10.वैश्विक राजनीति		
तृतीय वर्ष	**पांचवां सेमेस्टर**	11.शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन	**डीएसई -1-2 और 3-4** क .वैश्वीकरण की दुनिया में नागरिकता	

		12. आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार-I	ख .तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार ग. समकालीन भारत में विकास प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन घ. भारत में सार्वजनिक नीति ड भारत में उपनिवेशवाद और . राष्ट्रवाद च .वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति छमहिला ., शक्ति और राजनीति)'नारीवादसिद्धांत और व्यवहार :' द्वारा प्रतिस्थापित(ज .राजनीति में दुविधाएं	
	छठा सेमेस्टर	13. आधुनिक राजनीतिक दर्शन		
		14. भारतीय राजनीतिक विचार -II		

संस्कृत विभाग

1. संस्कृत विभाग का संक्षिप्त परिचय-

वर्ष 1967 में कॉलेज की स्थापना के साथ ही संस्कृत विभाग शुरू किया गया था। शुरुआत में केवल बी.ए. पास कोर्स की पेशकश की गई थी और बाद में शैक्षिक सत्र 1973-74 में बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत

और एम.ए. संस्कृत के पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। वर्ष 2016-17 में संस्कृत विभाग में प्रिंसिपल मैडम डॉ. अनुला मौर्य ने बी.ए.(प्रोग्राम) के रूप में बौद्ध अध्ययन का एक और पेपर पेश किया था। इस पेपर को शुरू करने का उद्देश्य दोनों धाराओं में छात्राओं के बीच ज्ञान को विकसित करना था। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। संकाय भाषा के रूप में संस्कृत अध्ययन हमें भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और वैदिक गणित के भंडार के रूप में अपनी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाता है, इसलिए हम अपनी छात्राओं को संस्कृत में विभिन्न विषयों में ज्ञान की खोज के लिए मार्गदर्शन और सहायता करते हैं। भाषा और साहित्य और उन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, नैतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक विरासत के लिए भी जागृत करते हैं और इसे संरक्षित करने और बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा विभाग हमेशा छात्राओं के समग्र विकास के लिए प्रयास करता है ताकि वे अपने क्षेत्र में सही दिशा पा सकें। छात्राओं के लिए विभाग में विभिन्न पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके माध्यम से वे भारतीय भाषा विज्ञान और ज्ञान मीमांसा , सौंदर्यशास्त्र और भारतीय रंगमंच, संस्कृत मीडिया, कंप्यूटर जागरूकता, आयुर्वेद के मूल तत्व, अभिनय और स्क्रिप्ट लेखन जैसे क्षेत्रों में कैरियर के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संकाय सदस्य भाषा बोलने में भी धाराप्रवाह को प्रोत्साहित करें ताकि छात्राएं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों को समझ सकें। इस दृष्टि से "संस्कृत साहित्य परिषद" संचार कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, वार्ताओं और संस्कृत सम्भाषण शिविरों का आयोजन करती है। हमारी संस्कृत साहित्य परिषद समय-समय पर कई गतिविधियाँ करती रही है जिसमें छात्राओं को अपनी प्रतिभा को उजागर करने और उन्हें एक साथ काम करने की भावना जगाने के लिए एक मंच मिलता है। कभी-कभी हमारी छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र के अन्य मांग वाले विषयों के कारण आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, इसलिए हम आत्मविश्वास विकसित करते हैं और उन्हें हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य के मूल ज्ञान को उनकी रुचि या विशेषज्ञता के क्षेत्र में लागू करके ज्ञान का एक अभिनव मार्ग बनाने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए वे ज्ञान

की सभी धाराओं में दुनिया को बेहतर अवसरों और सकारात्मक वातावरण की ओर ले जा सकते हैं। हमारे विभाग को हमेशा संस्कृत विद्वानों के साथ सम्मानित किया गया है और आज हम उनके पथ का अनुसरण कर रहे हैं।

विषय का महत्त्व-

आजीविका के अवसर

संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। सभी विश्व भाषाओं का लगभग 97% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस भाषा से प्रभावित रहा है। इसकी शब्दावली में संस्कृत में सबसे अधिक शब्द (102 अरब, 78 करोड़ और 50 लाख शब्द) हैं, जो दुनिया की किसी भी अन्य भाषा की तुलना में बहुत अधिक है। भविष्य में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी में संस्कृत के उपयोग की अधिक गुंजाइश है।

विभिन्न अनुसंधान उन्मुख क्षेत्रों में विभिन्न कैरियर के अवसर पाते हैं। इसके अलावा, एक ही विषय में प्रोफेसरशिप, लेक्चररशिप और स्कूली शिक्षण जैसे शिक्षण के विकल्प छात्रों के लिए सबसे अधिक संभावना वाले करियर अवसर हैं। यह पाठ्यक्रम संस्कृत-आधारित साहित्य की विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। पाठ्यक्रम अपनी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों के लिए एक उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है। संस्कृत में स्नातक करने के बाद, छात्र बैंक की नौकरियों का भी चयन कर सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों में काम कर सकते हैं, न्यूज़रीडर बन सकते हैं और यहां तक कि सिविल सेवाओं के लिए भी जा सकते हैं। पुस्तकालय विज्ञान, जल संरक्षण, पुरातत्व, पर्यावरण विज्ञान और मीडिया संस्कृत छात्रों के पसंदीदा विकल्प बन रहे हैं। छात्र L.I.C में काम करना भी चुन सकते हैं। और अन्य वित्तीय संस्थान, अकादमिक और प्रशासनिक पदों के लिए Indological / संस्कृत / ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मंदिरों में पुजारिन, गुरुकुलों में शिक्षण, विद्यापीठों, संस्कृत अकादमियों/बोर्डों पद कार्य हेतु रहते है|

छात्राओं को दुभाषिए और अनुवादक के रूप में भी काम करने का अवसर मिलता है।दुभाषिए बोली जाने वाली भाषा के साथ काम करते हैं और इसे दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं।अनुवादक लिखित शब्द के साथ काम करते हैं और उसका एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। वे तकनीकी लेखक भी बन सकते हैं। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (सीएसआर) कंपनियों और व्यवसायों द्वारा नियोजित होते हैं और ग्राहकों से कॉल करने, आदेशों को संसाधित करने और सवालों के जवाब देने का कार्य करते हैं। वे ग्राहक को किसी समस्या या शिकायतका समाधान करने में मदद कर सकते हैं। कुछ ग्राहक संस्कृत में सम्प्रेषण कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि संस्कृत में पारंगत प्रतिनिधि कुछ कंपनियों के लिए बेहद फायदेमंद होंगे।

3. संकाय सदस्यों का विवरण

S.No.	Name	Designation	Qualification	Area of Specialization
1.	डॉ. हरविंदर कौर	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए, एम.फिल, पीएच.डी.	साहित्यशास्त्र
2.	डॉ. निशा गोयल	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए एम.फिल, पीएच.डी.	व्याकरण
3.	डॉ. मंजू लता	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए एम.फिल, पीएच.डी.	साहित्यशास्त्र
4.	डॉ. देश राज	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए एम.फिल, पीएच.डी.	साहित्यशास्त्र
5.	डॉ.रिंकू कौशिक	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए	भारतीय दर्शन

			.एम.फिल, पीएच.डी.	(मीमांसा)
6.	डॉ.शशि बाला	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.एम.फिल, पीएच.डी.	व्याकरण
7.	.दिव्या मिश्रा	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए पीएच.डी. पी.डी.एफ	साहित्यशास्त्र
8.	डॉ.ऋचा शर्मा	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए पीएच.डी.	भारतीय दर्शन
9.	डॉ.शिव कुमार	सहायक प्रोफेसर	बी.ए.,एम.ए पीएच.डी.	वेद

4. **पाठ्यक्रम निर्देश का माध्यम : हिंदी**

5. पाठ्यक्रम का विवरण :

Year	Semester	Core	Generic Elective (GE) / DSE-I/DSE III/ MIL	AECC/SEC/ DSE II/DSE IV
बी.ए संस्कृत (विशेष) प्रथम वर्ष	I	C-1 शास्त्रीय संस्कृत साहित्य (कविता) C-2 संस्कृत साहित्य का गंभीर सर्वेक्षण	भारतीय सौंदर्यशास्त्र	नीति साहित्य
	II	C-3 शास्त्रीय संस्कृत	भारतीय सामाजिक विचार	पर्यावरण विज्ञान(किसी

		साहित्य (गद्य) C-4 गीता में स्व-प्रबंधन	में व्यक्तिगत परिवार और समुदाय	अन्य विभाग द्वारा प्रस्तुत
बी.ए संस्कृत (विशेष) द्वितीय वर्ष	III	C-5 शास्त्रीय संस्कृत नाटक C-6कविता और साहित्यिक आलोचना C-7भारतीय सामाजिक संस्थाएँ और राजनीति	भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मूल सिद्धान्त	अभिनय और रंग आलेख लेखन SEC
	IV	C-8 प्राचीन भारतीय पुरालेख,शिलालेख का कालक्रमानुसार अध्ययन C-9 आधुनिक संस्कृत साहित्य C-10 संस्कृत और विश्व साहित्य	भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत GE	संस्कृत छंद और गायन पद्धति SEC
बी.ए संस्कृत (विशेष) तृतीय वर्ष	V	C-11 वैदिक साहित्य C-12 संस्कृत व्याकरण	संतुलित जीवन जीने की कला DSE-I	रंगमंच और नाट्यशास्त्र DSE-II
	VI	C-13 भारतीय ज्ञान मीमांसा और सत्ता मीमांसा C-14 संस्कृत मुद्रयोजना	भारतीय तर्क और वाद विवाद पद्धति DSE-III	आयुर्वेद के मूलसूत्र DSE-IV

		और सम्प्रेषण		
बी.ए (प्रोग्राम) प्रथम वर्ष	I	DSC- संस्कृत काव्य	उपनिषद और गीता MIL-I	पर्यावरण विज्ञान(किसी अन्य विभाग द्वारा प्रस्तुत)
	II	DSC- संस्कृत गद्य	नीति साहित्य MIL- II	उपनिषद और गीता AECC
बी.ए (प्रोग्राम) द्वितीय वर्ष	III	DSC- संस्कृत नाटक	संस्कृत व्याकरण और संयोजन MIL-III	आयुर्वेद के मूल तत्व SEC
	IV	DSC- संस्कृत व्याकरण	संस्कृत व्याकरण C2 MIL-IV	भारतीय रंगमंच
बी.ए (प्रोग्राम) तृतीय वर्ष	V	DSE- संस्कृत में गणितीय परंपरा	संस्कृत मीडिया GE	पतंजलि का योगसूत्र SEC
	VI	DSE- साहित्यिक आलोचना	संस्कृत साहित्य में मानवीय और नैतिक मूल्य GE	संस्कृत के लिए कंप्यूटर का ज्ञान SEC

संस्कृत में स्नातकोतर करने वाली छात्राओं के लिए सप्ताह में एक दिन ट्यूटोरियल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी

बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम का विवरण

Course	Semester	Core paper
बी.ए (प्रोग्राम) बौद्ध शिक्षा प्रथम वर्ष	I	**COURSE CODE: BS-CBCS-501** थेरवाद बौद्ध धर्म: इसकी शुरुआत और निरंतरता
	II	**COURSE CODE: BS-CBCS-502** बौद्ध धर्म महायान और हीनयान
बी.ए (प्रोग्राम) बौद्ध शिक्षा द्वितीय वर्ष	III	**COURSE CODE: BS-CBCS-503** भारतीय बौद्ध दर्शन
	IV	**COURSE CODE: BS-CBCS-504** तिब्बत और चीनी बौद्ध धर्म का परिचय
बी.ए (प्रोग्राम) बौद्ध शिक्षा तृतीय वर्ष	V	**COURSE CODE: BS-CBCS-505** बौद्ध सांस्कृतिक इतिहास और विरासत
	VI	**COURSE CODE: BS-CBCS-506** बुद्ध की बुनियादी शिक्षाओं से संबंधित चयनित पाठ

बी.ए. प्रोग्राम

1. विभाग के बारे में संक्षिप्त परिचयः

संयोजकः डॉ. निवेदिता गिरी, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग और सह-संयोजकः डॉ. रेणु गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, संगीत विभाग।

पाठ्यक्रम का दायराः बी.ए. प्रोग्राम में दो अनुशासन पाठ्यक्रम लेने की जरूरत है और ये हैं अंतःविषय प्रकृति। बी.ए. प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम, ऑनर्स विषय से भिन्न होता है। लेकिन, कुछ बी.ए. प्रोग्राम विषय जो सभी विषयों के लिए सामान्य हैं जैसे कि एम.आई.एल. हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन। छात्राएँ बी.ए. की डिग्री प्राप्त करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकती हैं। छात्राएँ आगे की पढ़ाई कर सकती हैं अर्थात अपनी पसंद के किसी भी विषय में या उसी विषय में मास्टर कोर्स कर सकती हैं जैसे लॉ, मैनेजमेंट या किसी भी अन्य पाठ्यक्रम का अध्ययन तथा सभी सरकारी क्षेत्र की प्रवेश आधारित प्रतियोगिताओं के लिए भी पात्र हो जाती हैं।

2. उपलब्ध पाठ्यक्रम और उसका माध्यम

क्रमांक	पहला अनुशासन	दूसरा अनुशासन (संबंधित समूह से किसी एक विषय का चयन करें)	अध्ययन का माध्यम
1.	कंप्यूटर अनुप्रयोग (सी.ए.)	अर्थशास्त्र/ भूगोल/ गणित	अंग्रेजी
2.	अर्थशास्त्र	सी.ए./ ई.एस.बी./ भूगोल/ इतिहास/ गणित/ राजनीति विज्ञान	अंग्रेजी/हिंदी
3.	उद्यमिता और लघु व्यवसाय	अर्थशास्त्र/ गणित/ इतिहास/ राजनीति विज्ञान/भूगोल/सी.ए.	अंग्रेजी
4.	भूगोल	कंप्यूटर एप्लीकेशन/ इतिहास/ गणित/ राजनीति विज्ञान	अंग्रेजी/हिंदी
5.	इतिहास	भूगोल /राजनीति विज्ञान/ संगीत/ संस्कृत/ बौद्ध	अंग्रेजी/हिंदी

		अध्ययन/अर्थशास्त्र	
6.	गणित	भूगोल/ कंप्यूटर एप्लीकेशन/ अर्थशास्त्र/ ई.एस.बी.	अंग्रेजी
7.	संगीत	राजनीति विज्ञान/ इतिहास/ बौद्ध अध्ययन/ संस्कृत	हिंदी
8.	राजनीति विज्ञान	अर्थशास्त्र/ भूगोल/ इतिहास/ संस्कृत/ संगीत/ बौद्ध अध्ययन	अंग्रेजी/हिंदी
9.	संस्कृत	इतिहास/ संगीत/ राजनीति विज्ञान/ बौद्ध अध्ययन	हिंदी
10.	बौद्ध अध्ययन	इतिहास/ संगीत/ राजनीति विज्ञान/ संस्कृत	अंग्रेजी/हिंदी

नोटः एक विशेष समूह संयोजन के लिए न्यूनतम 15 छात्रों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत वरीयताओं को समायोजित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ संयोजनों की मांग सीमित सीटों के कॉलेज के प्रस्तावों से अधिक होती है।

5. पाठ्यक्रम विवरण

अनुशासन/ पाठ्यक्रम	**प्रथम वर्ष, अनुशासन विशिष्ट कोर डी.एस.सी.**		**द्वितीय वर्ष अनुशासन विशिष्ट कोर डी.एस.सी. और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एस.ई.सी.)**		**तृतीय वर्ष, अनुशासन, डी.एस.ई. और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एस.ई.सी.)**	
डी.एस.सी. कोर कोर्स	सेमेस्टर-I	सेमेस्टर-II	सेमेस्टर-III	सेमेस्टर-IV	सेमेस्टर-V	सेमेस्टर-VI
कोर कोर्स	एस.आई.एल. हिन्दी/संस्कृत	एस.आई.एल. इंग्लिश	एस.आई.एल. हिन्दी/ संस्कृत	एस.आई.एल. इंग्लिश	--	--

	ए.ई.सी.सी. (2) इंग्लिश/एम.आई. एल. संचार/पर्यावरण विज्ञान	ए.ई.सी.सी. (2) इंग्लिश/एम.आई. एल. संचार/पर्यावरण विज्ञान				
कंप्यूटर एप्लीकेशन	कंप्यूटर की बुनियादी बातें	डेटाबेस प्रबंधन	कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रौद्योगिकियाँ	मल्टी-मीडिया सिस्टम और अनुप्रयोग	DSE-1A पायथन के साथ प्रोग्रामिंग और DSE-2A सूचना सुरक्षा और साइबर कानून	DSE-1B दृश्य प्रोग्रामिंग या DSE-2B सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या DSE-2C निबंध / परियोजना कार्य
			SEC ऑफिस आटोमेशन टूल्स	SEC सर्च इंजन ओप्टीमाईजेशन	SEC- 3A ओपन सोर्स साफ्टवेयर या SEC- 3B इंट्रोडक्शन टू लिनक्स	SEC- 4A वेब डिजाइन यूजिंग HTML5 या SEC- 4B PHP प्रोग्रामिंग यूजिंग C++
अर्थशास्त्र	प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो	प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो	प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो	प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो ईकॉनामिक-	DSE1: ईकॉनामिक डवल्पमेंट और	DSE3: ईकॉनामिक डवल्पमेंट एंड

	ईकॉनामिक-I	ईकॉनामिक-II	ईकॉनामिक-I	II	पॉलिसी इन इंडिया-I या DSE2: मनी और बैंकिंग DSE3: एनवायरमेंटल ईकॉनामिक	पॉलिसी इन इंडिया- II DSE4: ईकॉनामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857-1947 या DSE5: पब्लिक फाईनेशन
			SEC: अंडरस्टेडिंग द ईकॉनामिक सर्वे एंड यूनियन बजट	SEC: रिसर्च मैथोलॉजी		
उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय	व्यापार संगठन की मूल बातें	उद्यमिता की मूल बातें	व्यवहार्यता अध्ययन और व्यापार योजना SEC: व्यवसाय में कंप्यूटर एप्लीकेशन (व्यावहारिक	लघु व्यवसाय संचालन कार्यालय, लेखा और कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रबंधकीय पहलू SEC:	कंटेम्पररी पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क SEC: एडवरटाईजेशन	इवैल्यूऐशन ऑफ पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क SEC: सेंटिंग एंड सेल्समैनशिप

			)	ई-कॉमर्स		
भूगोल	भौतिक भूगोल	मानव भूगोल	सामान्य कार्टोग्राफी SEC: क्षेत्रीय योजना और सतत विकास	पर्यावरणीय भूगोल SEC: रिमोट सेंसिंग और जीपीएस की बुनियादी बातें	DSE: भारत का भूगोल या DSE: विश्व आर्थिक भूगोल SEC: फील्ड तकनीक और सर्वेक्षण विधि Generic: आपदा प्रबंधन	DSE: आपदा जोखिम में कमी या DSE: पर्यटन का भूगोल SEC: जीआई विज्ञान का परिचय Generic: जलवायु परिवर्तन भेद्यता और शमन
इतिहास	DSC: Course I: प्राचीन काल से 300 ई. तक का भारत का इतिहास	DSC: Course II: भारत का इतिहास c. 300-1200	DSC: Course III: भारत का इतिहास c. 1206-1700 SEC: Course I इतिहास	DSC: Course IV भारत का इतिहास c. 1700-1950 SEC: Paper II भारत कला	DSC: Course IV: प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन I (1500-1800) or Paper II	DSE: Paper IV प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन -II (1500-1800) और Paper V पूंजीवाद और

			और पर्यटन	का परिचय या Paper III पुरातत्व: एक परिचय	पूंजीवाद और उपनिवेशवाद (16th to mid-19th century) या Paper III विश्व इतिहास के मुद्दे I (the 20th century) SEC: Paper IV अभिलेखागार और संग्रहालय Paper V शिल्प और कारीगर जीवित परंपराएं	उपनिवेशवाद-II (19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य) और Paper VI विश्व इतिहास के मुद्दे-II (20वीं सदी) SEC: Paper VI लोकप्रिय संस्कृति Paper VII भारत में शरीर और उपचार
गणित	गणना	बीजगणित	विश्लेषणात्मक ज्यामिति और अनुप्रयुक्त	विश्लेषण	DSE-I (i) विभेदक समीकरण या (ii) गणित पृथक	DSE-2 (i) संख्यात्मक विश्लेषण या (ii)

			बीजगणित		करें	आंकड़े
			SEC: लेटेक्स और HTML	SEC: Comptuer बीजगणित प्रणाली और संबंधित सॉफ्टवेयर	SEC: ऑपरेटिंग सिस्टम : लिनक्स	Sec: परिवहन और गेम थ्योरी
संगीत	भारतीय संगीत का सिद्धांत: Unit-1 प्रैक्टिकल: Unit-2	भारतीय संगीत (सामान्य) और आत्मकथाओं का सिद्धांत Unit-I प्रैक्टिकल: Unit-II	सिद्धांत: Unit-I प्राचीन ग्रंथ और संगीतकारों का योगदान व्यावहारिक: Unit-II Sec: हिंदुस्तानी संगीत (मुखर/साधन) क्रेडिट्स के लिए मूल्य आधारित और व्यावहारिक	सिद्धांत: Unit-I मध्यकालीन ग्रंथ और संगीतकारों का योगदान व्यावहारिक: Unit-2 SEC: हिंसुतानी संगीत वाद्य/गायन) क्रेडिट के (लिए मूल्य आधारित और व्यावहारिक उन्मुख	DSE-1A थ्योरी: वोकल/इंस्ड्रुमेंटल (हिंदुस्तानी म्यूजिक) क्रेडिट-2 DSE-2A प्रैक्टिकल : इंस्ड्रुमेंट/वोकल हिंदुस्तानी) ल -क्रेडिट (संगीत 4 SEC हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ड्रुमेंट/वोकल) -क्रेडिट (ल4 के लिए वैल्यू बेस्ड एंड	SEC: 1B थ्योरी: वोकल इंस्ड्रुमेंटल (हिंदुस्तानी संगीत) क्रेडिट-2 DSE 2B प्रैक्टिकल वोकल इंस्ड्रुमेंटल/1 (हिंदुस्तानी संगीत-क्रेडिट (4 SEC: हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ड्रुमेंट/वोकल) क्रेडिट्स के (ल लिए वैल्यू

			उन्मुखी पाठ्यक्रम - 4	-पाठ्यक्रम4	प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स	बेस्ड एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स -4
राजनीति विज्ञान	राजनीतिक सिद्धांत का परिचय	भारत सरकार और राजनीति	तुलनात्मक सरकार और राजनीति SEC विधायी समर्थन	अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय SEC जनमत और सर्वेक्षण अनुसंधान	DSE-1A तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत में विषय-वस्तु or DSE-2A प्रशासन और सार्वजनिक नीति : अवधारणाएं और सिद्धांत SEC आपके कानून, आपके अधिकार	DSE-1 B लोकतंत्र और शासन या DSE-2B वैश्वीकरण को समझना SEC शांति और संघर्ष का संकल्प
संस्कृत	MIL A1 संस्कृत साहित्य B1 उपनिषद और गीता C1 नीति साहित्य A1- संस्कृत कविता	MIL A1 संस्कृत साहित्य B1 उपनिषद और गीता C1- नीति साहित्य संस्कृत गद्य	MIL A2- व्याकरण और अनुवाद B2- व्याकरण और रचना	MIL A2- व्याकरण और B2- अनुवाद व्याकरण और रचना C2- संस्कृत	DSE-5 संस्कृत में गणितीय परंपरा संस्कृत SEC पतंजलि का योगसूत्र	SEC कंप्यूटर जागरूकता संस्कृत SEC संस्कृत के लिए कंप्यूटर जागरूकता

			C2- संस्कृत व्याकरण संस्कृत नाटक SEC आयुर्वेद के मूल तत्व	व्याकरण संस्कृत व्याकरण SEC भारतीय रंगमंच		
बौद्ध अध्ययन	थेरवाद बौद्ध धर्म इसकी शुरुआत और सह-अस्तित्व	महायान बौद्ध धर्म :निरंतरता और परिवर्तन	बौद्ध दर्शन और नैतिकता	तिब्बती और चीनी बौद्ध धर्म का परिचय	बौद्ध सांस्कृतिक इतिहास और विरासत	बुद्ध की बुनियादी शिक्षाओं से संबंधित चयनित ग्रंथ

सामान्य वैकल्पिक (अंतःविषय) :म की रूपरेखापाठ्यक्र (जीई)

आम तौर पर एक अंतःविषय अनुशासनविषय से चुना गया एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम/, एक सामान्य वैकल्पिक कहलाता है। प्रत्येक छात्र को कार्यक्रम के तीसरे वर्ष में एक सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन (जीई) करने की आवश्यकता होती है। सेमेस्टरV में अध्ययन किया गया सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम (जीई) सेमेस्टरVI में जारी रहेगा।

क्र.सं.	कोर्स	सेमेस्टर V: GE-I	सेमेस्टर VI: GE-II
1	कंप्यूटर	आईटी फंडामेंटल	मल्टीमीडिया और वेब डिज़ाइन

	अनुप्रयोग		
2	अर्थशास्त्र	सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत या आर्थिक विकास के मुद्दे	मैक्रो इकोनॉमिक्स या भारतीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत: विकास, विकास और संरचनात्मक परिवर्तन
3	उद्यमिता और लघु व्यवसाय	घरेलू और विदेशी मुद्रा बाजारों के नियमन के सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के सिद्धांत	भारतीय अर्थव्यवस्था परियोजना प्रबंधन
4	भूगोल	आपदा जोखिम में कमी	स्थिरता और विकास
5	इतिहास	Paper-I भारतीय इतिहास में महिलाएं या Paper-II आधुनिक दुनिया में लिंग Paper-III भारत में सांस्कृतिक विविधता	Paper-IV भारत में पर्यावरण के मुद्दे या Paper-V असमानता और अंतर या सदियों से दिल्ली
6	गणित	गणना	लीनियर अलजेब्रा
7	संगीत	(मुखरवाद्य संगीत/) Credit-6	(मुखरवाद्य संगीत/) Credit-6
8	राजनीति विज्ञान	रीडिंग गांधी	मानवाधिकार लिंग और पर्यावरण
9	संस्कृत	संस्कृत मीडिया	संस्कृत साहित्य में नैतिक और नैतिक मुद्दे

सीटों का आबंटन

महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम (स्नातक-योग्यता आधारित)	प्रस्तावित सीटों की संख्या						
		कुल सीटें	सामान्य	अनु. जाति	अनु.जनजाति	पिछड़ा वर्ग	आर्थित रूप से पिछड़ा बर्ग	अल्पसंख्यक
कालिन्दी महाविद्यालय	बी.ए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) अंग्रेजी	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) भूगोल	58	24	9	3	15	7	
	बी.ए (ऑनर्स) हिन्दी	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) इतिहास	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) पत्रकारिता	58	24	9	3	15	7	
	बी.ए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	154	63	23	9	41	18	
	बी.ए (ऑनर्स) संस्कृत	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए.प्रोग्राम	289	117	44	17	78	33	
	बी.कॉम	115	46	17	7	31	14	
	बी.कॉम (ऑनर्स)	58	24	9	3	15	7	
	बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान	40	16	6	2	11	5	
	बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान	40	16	6	2	11	5	
	बी.एससी (ऑनर्स) कंप्यूटर विज्ञान	58	24	9	3	15	7	
	बी.एससी (ऑनर्स) गणित	39	16	6	2	10	5	

	बी.एससी (ऑनर्स) भौतिकी	39	16	6	2	10	5	
	बी.एससी (ऑनर्स) प्राणीशास्त्र	40	16	6	2	11	5	
	बी.एससी (जीवन विज्ञान)	78	31	11	5	21	10	
	बी.एससी. भौतिक विज्ञान	58	24	9	3	15	7	
	बी.वोक वेब डिजाइनिंग	63	25	10	4	17	7	
	एम.ए.हिन्दी	19	8	3	1	5	2	
	एम.ए राजनीति विज्ञान	19	8	3	1	5	2	
	एम.ए.संस्कृत	19	8	3	1	5	2	

प्रवेश निर्देश

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड -

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। (विदेशी छात्र श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी विदेशी छात्र पंजीयन वेबसाइट http://fsr.du.ac.in पर अलग से आवेदन करें।)

आवेदक को भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन (ए.आई.यू.) द्वारा10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त भारत या विदेश के किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता और योग्यता की गणना के लिए आवेदक को प्रत्येक आवश्यक विषय में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए (यदि कोई हो, प्रायोगिक सहित)।

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से अंतर वर्ष (ओ) के अंतराल वाले आवेदक की किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।

यू.आर./एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले सभी आवेदक महाविद्यालयों / विभागों (अल्पसंख्यक कॉलेजों को छोड़कर, जहां कुछ श्रेणियां लागू नहीं हो सकती हैं) में योग्यता और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं।

सिख और ईसाई अल्पसंख्यक के अंतर्गत आने वाले आवेदक विश्विद्यालय के किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश ले सकते हैं।

मेरिट-आधारित यू.जी. प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम-वार मेरिट सूची

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रस्तावित पाठ्यक्रम और श्रेणी-वार मेरिट सूची का दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

आवेदक द्वारा दर्ज किए गए अंक (यू.जी. प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण के समय) कला, वाणिज्य, गणित, विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, अनुपयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी के संकायों के माध्यम से पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ चार के कुल अंकों की गणना के आधार के रूप में कार्य करेंगे और

पाठ्यक्रम-विशिष्ट संयोजन में ये तीनों विषय के आधार पर विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान के संकायों के तहत पाठ्य क्रमों में प्रवेश लिए जा सकते हैं। यह कॉलेजों/विभागों द्वारा प्रथम कट-ऑफ अंकों की घोषणा से पहले करने से पहले यू.जी. प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

एक अलग अद्यतन मेरिट सूची आवेदकों के लिए अनुबंध के रूप में प्रकाशित की जाएगी, जिनके अंक प्रस्तावित पाठ्यक्रम और श्रेणी-वारमेरिट सूची के प्रकाशन के बाद अपडेट किए जाएंगे।

उक्त मेरिट सूची की सुविधा के लिए, आवेदक विषयों को सूची ए और सूची बी से सुसंगत चयन कर सकते हैं।

पाठयक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड में छूट

उनकी पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को संबंधित पात्रता मान दंड में 5% की सीमा तक छूटदी जाएगी और अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता होगी। यदि 5% छूट देने के बाद भी ये आरक्षित सीटें रिक्त रहती हैं, तो संबंधित पाठयक्रम में सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक सीमा तक और छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में उत्तीर्ण प्रतिशत ही योग्यता है।

योग्यता और मेरिट निर्धारित करने के लिए, ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों को अर्हक परीक्षा में संबंधित योग्यता में छूट दी जाएगी, जो अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित अंकों के 10% तक बढाइ जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यू.आर. श्रेणी के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% (अर्थात 40% का10%-40) हो सकती है।

पी.डब्ल्यू.बी.डी. श्रेणी के आवेदकों को अर्हक परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए पात्रता में 5% की सीमा तक छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी के आवेदक को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो पी.डब्ल्यू.बी.डी. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (अर्थात 40% का 40% - 5%) हो सकती है ।

सी.डब्ल्यू. श्रेणी के आवेदकों को पात्रता परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए पात्रता में 5% की छूटदी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो सी.डब्ल्यू. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (अर्थात 40% का 40% - 5%) हो सकती है।

ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत योग्यता आधारित प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अनारक्षित श्रेणी के समान होगा।

पाठ्यक्रम के विशिष्ट योग्यता और विषयों की मेरिट सूची की गणना करना:

<table>
<tr><th colspan="6">सूची A: भाषा विषय</th></tr>
<tr><th colspan="5">सूची A 1</th><th>सूची A2</th></tr>
<tr><td>असम कोर</td><td>गुजराती कोर</td><td>मैथिली कोर</td><td>उड़िया कोर</td><td>तमिल कोर</td><td>अरबी कोर</td></tr>
<tr><td>असमिया वैकल्पिक</td><td>गुजरती वैकल्पिक</td><td>मैथिली वैकल्पिक</td><td>उड़िया वैकल्पिक</td><td>तमिल वैकल्पिक</td><td>अरबी वैकल्पिक</td></tr>
<tr><td>बंगाली कोर</td><td>हिंदी कोर</td><td>मलयालम कोर</td><td>पंजाबी कोर</td><td>तेलुगु कोर</td><td>फ्रेंच कोर</td></tr>
<tr><td>बंगाली वैकल्पिक</td><td>हिंदी वैकल्पिक</td><td>मलयालम वैकल्पिक</td><td>पंजाबी वैकल्पिक</td><td>तेलुगु वैकल्पिक</td><td>फ्रेंच वैकल्पिक</td></tr>
<tr><td>बोडो कोर</td><td>कन्नड़ कोर</td><td>मणिपुरी कोर</td><td>संस्कृतकोर</td><td>उर्दू कोर</td><td>जर्मन कोर</td></tr>
<tr><td>बोडो वैकल्पिक</td><td>कन्नड़ वैकल्पिक</td><td>मणिपुरी वैकल्पिक</td><td>संस्कृत वैकल्पिक</td><td>उर्दू वैकल्पिक</td><td>जर्मन वैकल्पिक</td></tr>
</table>

डोगरी कोर	कश्मीरी कोर	मराठी कोर	संथाली कोर		इतालवीकोर
डोगरी वैकल्पिक	कश्मीरी वैकल्पिक	मराठी वैकल्पिक	संथाली वैकल्पिक		इतालवी वैकल्पिक
अंग्रेजीकोर	कोंकणी कोर	नेपाली कोर	सिन्धी कोर		स्पेनिशकोर
अंग्रेजी वैकल्पिक	कोंकणी वैकल्पिकी	नेपाली वैकल्पिक	सिन्धी वैकल्पिक		स्पेनिश वैकल्पिक

सूची बी वैकल्पिक विषय		
लेखा	कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर/अनुप्रयोग/सूचनाविज्ञान	गणित
नृविज्ञान	अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र/ न्यायशास्त्र और दर्शनशास्त्र
जीवविज्ञान / जैवरसायन / जैवप्रौद्योगिकी	भूगोल	भौतिकी
व्यावसायिक गणित	भूगर्भशास्त्र	राजनीति विज्ञान
रसायन शास्त्र	इतिहास	मनोविज्ञान

नागरिक शास्त्र	गृहविज्ञान	समाजशास्त्र
वाणिज्य / व्यवसाय अध्ययन	विधि अध्ययन	सांख्यिकी

मेरिट स्कोर की गणना :सामान्य दिशा निर्देश पाठ्यक्रम की विशेष पात्रता मानदंड उस योग्यता का निर्धारण करता है, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश होता है। आवेदकों को अपनी अर्हताको समझने के लिए इन मानदंडों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। पाठ्यक्रम के विशिष्ट मानदंड विस्तृत रूप से नीचे खंड 2.2 - 2.9 में हैं।

1. सभी शैक्षणिक विषयों को वैकल्पिक माना जा सकता है। विषय जो योग्यता निर्धारण के लिए हैं (पाठ्यक्रम के विषय-विशिष्ट मानदंड) ऊपर सूची ए और सूची बी में दिए गए हैं।

2. विश्वविद्यालय किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए किसी अन्य सुसंगत विषय को विशेष अकादमिक/वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकता है।

3. पाठ्यक्रम में योग्यता की संगणना-उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांक के विशेष संयोजन के आधार पर किया जाएगा, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कला, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान, मानविकी के साथ विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान में से तीन विषयों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष रूप से ले सकते हैं।

सी.बी.एस.ई. के अलावा अन्य बोर्ड के आवेदकों के लिए विशेष निर्देश

1. यदि किसी प्रश्न पत्र का नाम उपरोक्त सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट विषय के साथ मेल नहीं खाता है, तो आवेदक के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि इस से पूर्व संस्थान के प्रधानाचार्य / प्रमुख से विषय की समकक्षता प्रमाण पत्र उपस्थिति करें । यह तुल्यता प्रमाण पत्र संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रमुख द्वारा

सत्यापित हो कि प्रश्न पत्र की विषय सामग्री एन.सी. ई.आर.टी. के कक्षा 12 के पाठ्य क्रम के समकक्ष है, पाठ्यक्रम समेत इसकी एक प्रति, जो कि प्रधानाचार्य/प्रमुख द्वारा सत्यापित हो, संलग्न की जानी चाहिए। हालांकि, इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2. यदि उम्मीदवार ने वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान का अलग-अलग अध्ययन किया है, तो इन दोनों के सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्राप्तांक के कुल अंक प्रवेश फार्म में जीव विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत उल्लिखित किए जाए।

3. यदि आवेदक की मार्क शीट में कक्षा XI और XII दोनों के अंक हैं, तो आवेदक को प्रवेश फॉर्म में दिए गए संबंधित क्षेत्रों में केवल बारहवीं कक्षा के अंक दर्ज करने होंगे।

4. आवेदक को सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग पास होना चाहिए। सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों घटकों वाले किसी भी पेपर को 70 (सैद्धांतिक) : 30 (प्रायोगिक) के अनुपात में ही माना जाएगा। यदि प्रश्न पत्र का सैद्धांतिक घटक 70% से कम है, आवेदक को अलग से ऑन लाइन प्रवेश फॉर्म में अधिकतम अंक और प्राप्तांक सैद्धांतिक और प्रायोगिक के अंक और उनका सम्पूर्ण योग अंक पत्र के अनुसार अलग से भरना चाहिए। यदि सैद्धांतिक / प्रायोगिक ब्रेकअप निर्दिष्ट नहीं है, तो आवेदक को ऑन लाइन पंजीकरण फॉर्म में उस पेपर के लिए प्रथम क्षेत्र (सिद्धांत) में केवल अपने कुल अंक दर्ज करने होंगे। (गणना के लिए नमून परिशिष्ट IX, उदाहरण 1 देखें।)

5. आंतरिक मूल्यांकन के अंक, यदि अंक पत्र में उल्लिखित हो तो किसी भी गणना के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। (गणना के लिए नमूना परिशिष्ट IX, उदाहरण 2 देखें।)

6. सैद्धांतिक, प्रायोगिक या सम्पूर्ण योग से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में किसी भी तरह की विसंगति की उम्मीदवार की पूरी जिम्मेदारी होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण फॉर्म भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें क्यों कि प्रवेश में त्रुटियों के कारण फॉर्म को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।

पाठ्यक्रमों की सूची

कला संकाय द्वारा प्रस्तावित बी.ए. (विशेष) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

बी. ए. (विशेष) अंग्रेजी

उत्तीर्ण परीक्षा में कुल 45% अंक।

आवेदक को अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ चार विषयों की गणना में अंग्रेजी को शामिल। सर्वश्रेष्ठ चार में एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय के सर्वश्रेष्ठ तीन को संयोजन में शामिल करने से सर्व श्रेष्ठचार के कुल प्रतिशत में 2.5% की कटौती होगी।

सर्वश्रेष्ठ चार के प्रतिशत में 2% का लाभ उन आवेदकों को दिया जाएगा, जिन्होंने एक वैकल्पिक/शैक्षणिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया है (सूची ए देखें)।

बी. ए. (विशेष) हिंदी

उत्तीर्ण परीक्षा में कुल 45% अंक।

उत्तीर्ण परीक्षा में कुल 40% या उससे अधिक अंक और हिंदी में 50% अंक हासिल करने वाले आवेदक भी संबद्ध विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

आवेदक जिन्होंने भारत के किसी भी विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटर मीडिएट परीक्षा कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, हिंदी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

आवेदक को अर्हक परीक्षा में हिंदी का अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ चार विषय की गणना में हिंदी को शामिल करना चाहिए, सूची ए के विषयों में से एक भाषा और तीन सर्व श्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों में से सर्वश्रेष्ठ चार का निर्धारण सूची ए और सूची बी के आधार पर किया जाएगा।

सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने से कुल सर्वश्रेष्ठ चार विषय के कुल प्रतिशत पर 2.5% की कटौती होगी।

सर्वश्रेष्ठ चार विषयों की में 2% का लाभ उन आवेदकों को दिया जाएगा, जिन्होंने एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया है (सूची ए देखें)।

बी. ए. (विशेष) संस्कृत

योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक।

उत्तीर्ण परीक्षा में कुल 40% अंक और संबंधित विषय में 50% अंक हासिल करने वाले आवेदक भी संबद्ध विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं।

जिन आवेदकों ने किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटर मीडिएट परीक्षा कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई एक विषय होने पर विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे:

अरबी में मौलवी फ़ाज़िल

मुंशी फ़ाज़िल फ़ारसी में

पंजाबी में ज्ञानी

संस्कृत में शास्त्री

उर्दू में एक बोली फ़ाज़िल

ऊपर के सूची ए और सूची बी से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के आधार पर योग्यता निर्धारित की जाएगी।

सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने से कुल सर्वश्रेष्ठचार में 2.5% की कटौती होगी।

किसी भी भाषा आधारित पाठ्यक्रम में विशेष हेतु प्रवेश के लिए, कुल मिलाकर 2% का लाभ उन आवेदकों को दिया जाएगा, जिन्होंने वैकल्पिक भाषा के रूप में उसका अध्ययन किया हो।

यदि आवेदक ने अर्हक परीक्षा स्तर पर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया है और वह उस भाषा के विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, तो सर्वश्रेष्ठ चार विषयों के कुल प्रतिशत पर 5% की कटौती की जाएगी।

बी.ए.(विशेष)भूगोल /इतिहास /राजनीति विज्ञान

योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक।

मेरिट सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय के सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने पर ऐसे विषय में 2.5% की कटौती होगी।

ऊपर चुने गए तीन शैक्षणिक/ऐच्छिक विषयों में से एक संबंधित विषय होना चाहिए, जिसमें प्रवेश मांगा गया हो, ऐसा न करने पर कुल सर्वश्रेष्ठ चार पर 2.5% की कटौती की जाएगी। बी.ए.(विशेष) सामाजिक कार्य और बी.ए.(विशेष) दर्शनशास्त्र होने पर कटौती नहीं होगी।

बी.ए.(विशेष), अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में सर्वश्रेष्ठ चार के प्रतिशत के आधार पर बी.ए.(विशेष) मनोविज्ञान में प्रवेश होगा।

बी.ए.(विशेष) सामाजिक कार्य और बी.ए.(विशेष) दर्शनशास्त्र में प्रवेश एक भाषा और तीन शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों सहित सर्वश्रेष्ठ चार के प्रतिशत पर आधारित होगा।

बी.ए.(विशेष) अर्थशास्त्र

योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक।

आवेदक को बी.ए.(विशेष) अर्थशास्त्र में प्रवेश के लिए गणित विषय का अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए।

एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी जैसा कि ऊपर सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट है।

ऊपर चुने गए तीन शैक्षणिक/ऐच्छिक विषयों में से एक संबद्ध विषय से संबंधित होना चाहिए, जिसमें प्रवेश मांगा गया हो, ऐसा न करने पर सर्वश्रेष्ठ चार के कुल प्रतिशत पर 2.5% की कटौती की जाएगी।

सूची ए और बी में दिए गए विषयों के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन में शामिल करने से सर्वश्रेष्ठ चार के योग पर प्रतिविषय 2.5% की कटौती होगी।

बी. ए. (विशेष) प्रोग्राम (अनुशासन विषय-आधारित प्रवेश मानदंड)

योग्यता परीक्षा में कुल 40% अंक।

योग्यता का निर्धारण एक भाषा कोर/वैकल्पिक/कार्यात्मक के आधार पर किया जाएगा और उपरोक्त सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों का चयन किया जा सकता है।

एक गैर-सूचीबद्ध विषय (सूची ए और बी में वैकल्पिक विषयों के अलावा) को बिना किसी कटौती के 'सर्वश्रेष्ठचार' की गणना में शामिल किया जा सकता है।

यदि सर्वश्रेष्ठ चार की गणना के लिए एक से अधिक गैर-सूचीबद्ध विषयों को शामिल किया जाता है, तो सर्व श्रेष्ठचार विषय में शामिल प्रतिविषय पर 2.5% की कटौती की जा सकती है।

बी. ए. (ऑनर्स) पत्रकारिता

कुल 45% अंक और योग्यता परीक्षा में अंग्रेजी भाषा उत्तीर्ण होना चाहिए।

योग्यता अंग्रेजी भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जैसा कि ऊपर सूची और सूची बी में निर्दिष्ट है।

इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए मास मीडिया को एक अकादमिक विषय के रूप में माना जाएगा।

बी.वोक. (वेब डिजाइनिंग)

योग्यता परीक्षा में कुल 40% अंक।

मेरिट की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी-

एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) (कोर/वैकल्पिक/कार्यात्मक); एआईटी, वेब डिज़ाइन और कंप्यूटर विज्ञान की सूची में निर्दिष्ट गणित और किन्हीं दो वैकल्पिक विषयों को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में माना जाएगा और इसे वैकल्पिक माना जा सकता है और इस प्रकार अन्य वैकल्पिक विषयों के समान माना जाएगा। 2% लाभ उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय पास कर लिया है और जो बेस्ट फोर में शामिल है।

1% का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है यदि उम्मीदवार ने एक से अधिक संबंधित व्यावसायिक विषय का अध्ययन किया है जो सर्वश्रेष्ठ चार में शामिल है।

फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज के माध्यम से कॉमर्स में मेरिट-आधारित प्रवेश की पेशकश

बी.कॉम. (ऑनर्स।)

योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक।

उम्मीदवार ने बी.कॉम में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा में परिशिष्ट VIII में निर्दिष्ट गणित / व्यावसायिक गणित / समकक्ष पेपर का अध्ययन किया हो ।

चयन निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषयों सहित अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा:

अंग्रेजी/हिंदी में कुल 45% या उससे अधिक और निम्नलिखित विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजन: गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन / वाणिज्य।

सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में ऊपर वर्णित सूची बी के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने से कुल मिलाकर 1% प्रति विषय की कटौती होगी।

सूची ए और सूची बी के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने से सर्वश्रेष्ठ चार के कुल योग पर प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी।

बी.कॉम.

योग्यता परीक्षा में कुल 40% अंक।

चयन निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषयों सहित अर्हक परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

अंग्रेजी / हिंदी में कुल 40% या अधिक और निम्नलिखित विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजन: गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन / वाणिज्य।

सूची बी में से किसी भी विषय को शामिल करने के अलावा उपरोक्त तीन सर्वश्रेष्ठ के संयोजन में कुल मिलाकर 1% प्रति विषय की कटौती होगी।

सूची ए और बी के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने पर सर्वश्रेष्ठ चार के योग पर प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी।

कंप्यूटर और गणितीय विज्ञान संकाय के माध्यम से पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में योग्यता-आधारित प्रवेश

बीएससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस

मेरिट की गणना सर्वश्रेष्ठ चार गणित, एक भाषा और शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के रूप में सूचीबद्ध दो अन्य विषयों के आधार पर की जाएगी, जैसा कि ऊपर सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट है, निम्नलिखित के अनुसार-

गणित में 60% या अधिक अंकों की आवश्यकता; गणित में 60% या अधिक अंक, एक भाषा और भौतिकी, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान अभ्यास / कंप्यूटर अनुप्रयोग में से कोई भी दो।

अन्य धाराओं (बारहवीं कक्षा में गणित के साथ) के उम्मीदवारों को आवश्यक चार विषयों के कुल योग में 2% का नुकसान होगा

बीएससी (ऑनर्स) गणित

मेरिट का निर्धारण सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट एक भाषा, गणित और दो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक के आधार पर किया जाएगा।

विज्ञान संकाय के माध्यम से पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश।

बीएससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान

फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री (प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ) में 55% या उससे अधिक अंक और 50% मेरिट की गणना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

बीएससी (ऑनर्स।) जूलॉजी

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के कुल योग में 55% या अधिक अंक / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन (प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ) और 50% योग्यता की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान / भौतिकी

भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के कुल योग में 55% या अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% या अधिक अंक।

मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

बीएससी (कार्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

भौतिकी, रसायन विज्ञान / कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / सूचना अभ्यास / गणित (व्यावहारिक और सिद्धांत एक साथ) के कुल मिलाकर 45% या अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा (अर्थात अंग्रेजी) में उत्तीर्ण होना।

या

अनुप्रयोगों / सूचना कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर (व्यावहारिक और सिद्धांत एक साथ) गणित अनिवार्य भाषा के कुल में 45% या अधिक अंक।

मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

बीएससी (प्रोग.) लाइफ साइंस

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन (प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ) के कुल मिलाकर 45% या अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा (यानी अंग्रेजी) में उत्तीर्ण होना।

या

कुल रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन में 45% या अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 40%।

योग्यता की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण

अनारक्षित श्रेणी (यूआर) सीटों के लिए मेरिट सूची में योग्यता के क्रम में सभी उम्मीदवार शामिल होंगे। इससे किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के लिए मेरिट सूची में एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार भी शामिल होंगे, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, अगर वे यूआर श्रेणी के लिए योग्यता की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

किसी भी उम्मीदवार को यूआर श्रेणी की मेरिट सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उम्मीदवार एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित है या आवेदन किया है। ऐसा उम्मीदवार यूआर श्रेणी के साथ-साथ आरक्षित श्रेणी के तहत विचार करने का हकदार है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को छोड़कर यूआर श्रेणी की सीटों में प्रवेश योग्यता के क्रम में सख्ती से होगा।

श्रेणी/जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से गैर कानूनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस आधार पर किसी भी उम्मीदवार/छात्र के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करता है। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को सत्यापन प्रमाण पत्र अपने नाम पर प्रस्तुत करने होंगे।

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित-जन जाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण

कुल सीटों की संख्या का 22.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है| (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जन जाति के लिए 7.5%, यदि आवश्यक हो तो विनिमय) कॉलेजों की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना एक वैधानिक बाध्यता है।

कॉलेज किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को शिक्षा के माध्यम के आधार पर प्रवेश से मना नहीं करेंगे। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी कमी को दूर किया जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदान का उपयोग करके महाविद्यालय द्वारा उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

संबंधित कार्य क्रम में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी।

यदि 5 प्रतिशत छूट देने के बाद आरक्षित सीटें अभी भी खाली रह जाती हैं तो सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए अपेक्षित सीमा तक और छूट दी जाएगी। (एसी संकल्प A88, 14.6.1983) (चुनाव आयोग संकल्प157, 24.12.2001) ।सभी कॉलेजों / विभागों के लिए आरक्षित सभी सीटों को एस. सी./एस. टी. अभ्यथियों से भरना

अनिवार्य है। इन मामलों में न्यूनतम पात्रता उत्तीण प्रतिशत है| निम्नलिखित अपेक्षित एस. सी./एस.टी. प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकारी है:

क) जिला दंडाधिकारी/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी/जिलाधीश/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटीमजिस्ट्रेट/उपमंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ख) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

घ) उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ङ) प्रशासक सक के सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीपप्रशा /समूह।(

च) उम्मीदवार को यह ध्यान रखना होगा कि किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होता है, तो उम्मीदवार की जाति/जनजाति भारत सरकार की अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए:

(ए) उसका / उसकी जाति / जनजाति का नाम

(ख) आवेदक एससी या एसटी

(ग) जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आवेदक के सामान्य निवास स्थान से संबंधित है,और

(डी) उपयुक्त सरकार। भारत की अनुसूची जिसके तहत उसकी जाति / जनजाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुमोदित है।

यदि पंजीकरणआवेदन के समय अभ्यर्थी के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति/जनजाति / है प्रमाणपत्र नहीं, तो वे अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति जाति/जनजाति प्रमाणपत्र आवेदन की पावती पर्ची /

अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश के समय, उम्मीदवार को वैध मूल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। /

हालांकि, यदि कोई एस.सी./एस.टी.उम्मीदवार किसी अन्य श्रेणी के तहत प्रवेश चाहता है (उदाहरण के लिए: पी.डब्ल्यू.बी.डी./कर्मचारी वार्ड, आदि) उम्मीदवार को उस विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

नोट: सामान्य योग्यता (अनारक्षित) के तहत प्रवेश पाने वाले एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 22.5% (एस.सी.के लिए 15% और एस.टी.के लिए 7.5%)

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी, नॉनक्रीमीलेयर, केंद्रीयसूची) के लिए सीटों का आरक्षण

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (नॉन क्रीमीलेयर, सेंट्रललिस्ट) के उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

ओ.बी.सी. उम्मीदवार को प्रवेश देते समय कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि जाति ओ.बी.सी. की केंद्रीय सूची में शामिल हो (ओ.बी.सी. का दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (पिछड़ा classes/index.html की http://ncbc.nic.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध) की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ओ.बी.सी. की सूची के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की गैरक्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए (डीओपीटी ओ सीई ज्ञापन संख्या - -36012/22/93स्थापना मलाईदार -एससीटी) दिनांक 15.11.1993 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा जारी गैर) परत स्थिति)।

ओबीसी उम्मीदवार जो 'नॉनक्रीमी लेयर-' से संबंधित हैं और जिनकी जाति केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है, ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे ओबीसी प)्रमाण पत्र की

वैधता अवधि गैर-डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013 -स्थापना)आरईएस-I) दिनांक मार्च 31 के अनुसार उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर 2016'स्थिति। गैर क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की वैधता-

वित्तीय वर्ष मार्च 31) 2022-2021, प्त होने वालेको समा 2021आकलन वर्ष के लिएके लिए होगी (, जो 31 मार्च, को या उसके बाद जारी किया जाएगा। 2021

यदि उम्मीदवार के पास पंजीकरण के समय नवीनतम वित्तीय वर्ष क्रीमी लेयर -का ओबीसी नॉन 2022-2021 प्रमाणपत्र नहीं है, तो उम्मीदवार पहले से जारी मी लेयरक्री-पुराना) ओबीसी नॉन)सर्टिफिकेट या ओबीसी नॉन की पावती पर्ची अपलोड कर सकता है। हालांकि, प्रवेश के समय, उम्मीदवार को हाल के वित्तीय वर्ष -2021) क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा-ओबीसी गैर (22, जो उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इस अतिरिक्त प्रमाण पत्र में उम्मीदवार के पहले से जारी मूल जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ होना चाहिए।

ओ.बी.सी. उम्मीदवारों को उक्त कार्यक्रम के न्यूनतम पात्रता अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य/यू.आर. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों में से 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता यू.आर. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40% है, तो ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% (यानी 40% से 40% घटा का 10% होगी)।

कॉलेजों को ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना एक वैधानिक बाध्यता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीति (ईडब्ल्यूएस)

दिल्ली विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन (सन्दर्भ संख्या एसीए I/ईडब्ल्यूएस/2019/63 दिनांक 28 मार्च 2019 का आरक्षण और संदर्भ संख्या एसी ए I/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के आरक्षण के लिए ई.डब्ल्यू.एस./2019/101/101 दिनांक 15 मई 2019 का आरक्षण, विश्वविद्यालय विभागों/केंद्रों/कॉलेजों ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में इसके लिए प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की हैं। ऐसे उम्मीदवारों की पात्रता उपरोक्त अधिसूचनाओं में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर तय की जाएगी, और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजों को परिशिष्ट V में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

अस्वीकरण

1. किसी भी परिस्थिति में आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई और विस्तार/छूट नहीं दी जाएगी।
2. यदि निरीक्षण या गलती से आवेदक या अन्य किसी अन्य कारण से हाल ही में वित्त वर्ष (2021-22) गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय/विभाग बिना पूर्व सूचना और बिना किसी दायित्व के प्रवेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण; सशस्त्र बलों के कार्मिको के बच्चों/विधवाओं के लिए; कश्मीरी प्रवासी; जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति; सिक्किमी छात्रों को नामित; वार्ड कोटा

बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (पीडब्ल्यूबीडी)

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार पांच प्रतिशत से कम) पांच प्रतिशत (सीटें बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।- बेंचमार्क disability॥ वाले व्यक्ति का अर्थ है एक निर्दिष्ट

विकलांगता के चालीस प्रतिशत (%40) से कम नहीं, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पूर्ववर्ती विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995, जिसके तहत पहले प्रवेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था, अब निरस्त कर दिया गया है।

पी.डब्ल्यू.बी.डी. उम्मीदवारों को क्वालीफाइंग परीक्षा में कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता और प्रवेश प्रवेश परीक्षा में 5% तक की छूट दी जाएगी, जब तक कि सीटें नहीं भर जातीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता यू.आर. श्रेणी के आवेदकों के लिए 40% है, तो पी.डब्ल्यू.बी.डी. श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (यानी 40% में घटा 5%, 38% होगी)।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 [विकलांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियम अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (जेडसी) के अनुसूची में उल्लिखित निर्दिष्ट श्रेणियां उक्त आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

1. शारीरिक अक्षमता

लोको मोटर विकलांगता

1. लोकोमोटर विकलांगता एक व्यक्ति की स्वयं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित) करने में असमर्थता और मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्रया दोनों के प्रभाव से उत्पन्न वस्तुओं(, जिसमें शामिल हैं-
2. "कुष्ठ रोग ठीक व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन उस से पीड़ित है-

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथसाथ आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस - की हानि लेकिन विकृति की कोईअभिव्यक्ति नहीं;

(ii) प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकें

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उन्नत आयु जो उसे से रोकता हैकोई भी लाभकारी व्यवसाय करना, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोगमुक्त" का अर्थ लगाया जाएगा

इसलिए;

3. "मस्तिष्क पक्षाघात" का अर्थ गैर प्रगतिशील स्नायविक स्थिति को प्रभावित करने वाले शरीर के एक समूह आंदोलनों और मांसपेशियों के समन्वय, के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान की वजह से मस्तिष्क, आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है

4. "बौनापन" का अर्थ एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 . की वयस्क ऊंचाई होती है इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम।

5. "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांस पेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गुम जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकता है। यह प्रगतिशील कंकाल मांसपेशियों की कमजोरी, मांस पेशियों के प्रोटीन में दोष, और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मौत की विशेषता है;

6. "एसिड हमले पीड़ितों" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

बी दृश्य हानि

7. "अंधापन" का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति के पास सबसे अच्छी सुधार के बाद कोई भी पुरानी स्थिति है -

(i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; या

(ii) दृश्य तीक्ष्णता से कम 3/60 या 10/200 कम से कम (स्नेलेन) बेहतर में आंख सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण को घटाना।

8. "कम दृष्टि" का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती है, अर्थात्:

(i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 या 20/60 की तुलना में कम से अनधिक तक 3/60

या तक 10 /200 (स्नेलेन) सबसे अच्छा संभव सुधार के साथ बेहतर आंखों में; या

(ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना ।

सी. श्रवण दोष

9. "बधिर" का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति;

10. "सुनने में कठिन" का अर्थ है दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति ;

11. " भाषण और भाषा विकलांगता" से उत्पन्न एक स्थायी विकलांगता का मतलब कब्जा - माहौल में इस तरह के रूप में laryngectomy या वाचाघात वजह से भाषण और भाषा में से एक या अधिक घटकों को प्रभावित करने के लिए जैविक या न्यूरोलॉजिकल कारणों।

II. बौद्धिक विकलांगता, एक शर्त होती दोनों बौद्धिक कार्य में महत्वपूर्ण सीमा (तर्क, सीखने, समस्या को हल) और अनुकूली में से व्यवहार जो एक रेंज को कवर के हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल, including-

12. *"विशिष्ट सीखने विकलांग"* साधन की स्थिति की एक विषम समूह जिसमें भाषा प्रसंस्करण में कमी नहीं है, बात की या लिखित, कि हो सकता है एक के रूप में अभिव्यक्त di culty समझ, बात करने के लिए, पढ़ने, लिखने, वर्तनी, या गणितीय गणना करने के लिए और भी शामिल है अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया , डिस्केकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां ;

13. *"ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का* अर्थ एक न्यूरो- डेवलपमेंटल स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है , और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है ।

III. मानसिक व्यवहार

14. *"मानसिक बीमारी"* सोच, मूड, धारणा, का एक बड़ा विकार का मतलब orienta - tion या स्मृति निहायत impairs निर्णय, कि व्यवहार , की क्षमता को पहचान वास्तविकता या जीवन की साधारण मांगों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन मंदता जो है शामिल नहीं है एक शर्त एक व्यक्ति के मन की गिरफ्तार या अधूरा विकास की, विशेष रूप से विशेषता द्वारा subnormality खुफिया की।

चतुर्थ। विकलांगता के कारण

(ए) पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे-

15. *"मल्टिपल स्क्लेरोसिस"* का अर्थ है एक सूजन, तंत्रिका तंत्र रोग है जिसमें माइलिन आवरण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन आसपास dam- आयु वर्ग के हैं, के लिए

अग्रणी माइलिन रहित और करने के लिए मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करने वाले एक दूसरे के साथ संवाद;

16. *"पार्किंसंस रोग" का* अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, पेशीय कठोरता, और धीमी गति से, सटीक गति से चिह्नित होता है, जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अध: पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है।

(बी) रक्त विकार-

17. *" हीमोफिलिया " का* अर्थ एक विरासत में मिली बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों को संक्रमित करती है, जो रक्त के सामान्य थक्का जमने की क्षमता की हानि या हानि की विशेषता होती है, ताकि एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

18. *" थैलेसीमिया "* विरासती विकारों के एक समूह का मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होगी।

19. *"सिकल सेल रोग" का* अर्थ एक हेमोलिटिक विकार है जो पुरानी रक्ताल्पता, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है; " हेमोलिटिक " लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्राव होता है ।

V. एकाधिक विकलांगता (उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक)

20. बहरा अंधापन सहित बहु-विकलांगता, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति में सुनने और देखने की अक्षमताओं का संयोजन हो सकता है, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

21. **कोई अन्य श्रेणी** जिसे केंद्र सरकार द्वारा **अधिसूचित** किया **जा सकता है** ।

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में रियायती/शुल्क की छूट

क) विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों और संस्थानों / कॉलेजों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सदस्यता शुल्क को छोड़कर **परीक्षा शुल्क और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क सहित शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी ।** संघ और पहचान पत्र शुल्क (विश्वविद्यालय के अध्यादेश X(4) में संशोधन के अनुसार)।

ख) PwBD वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ को पूरा करने और एडमिशन लेने में मदद मिलती है।

ग) कार्यकारी परिषद संकल्प संख्या **50** दिनांक **03.11.2012** के अनुसार**,** विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों / हॉल में रहने वाले शारीरिक दिव्यांग छात्रों को वापसी योग्य जमानत राशि और भोजनालय शुल्क को छोड़कर सभी छात्रावास फीस और शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति जो छात्र हैं**,** उन्हें भोजनालय शुल्क का **50%** भुगतान करना होगा और शेष **50%** भोजनालय शुल्क का भुगतान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। कॉलेजों के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पी.डब्ल्यू. बी. डी. छात्रों के संबंध में कॉलेजों द्वारा इसी तरह के मानदंड अपनाए जाने हैं।

घ) फेलोशिप/वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क/शुल्क/मेस शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।सभी प्रविष्ट किये जायेंगें:

कॉलेजों में फेलोशिप के लिए योग्य छात्र जो एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी., ई.डब्ल्यू.एस., पी.डब्ल्यू.बी.डी.से हैं, वे समय पर प्रसंस्करण के लिए फरवरी तक अपने छात्रवृत्ति फॉर्म अपेक्षित कार्यालय में जमा करें।

01.06.2021के बाद जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र राजपत्र अधिसूचना संख्या, 1736 (ई) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार होना चाहिए जिसे दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी किया गया हो और यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया हो ।हालांकि, 01.06.2021 से पहले जारी किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य मौजूदा लागू नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार माने जाएंगे।

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों / विधवाओं के लिए आरक्षण (सीडब्ल्यू)

1. सभी कॉलेजों में पाठ्यक्रमवार इस श्रेणी के तहत आवेदकों के लिए पांच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं।

2. ऐसे सभी आवेदकों को उचित लेटरहेड पर निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी द्वारा जारी किए जाने वाले संलग्न प्रारूप नमूने में शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा:

(क) सचिव, केंद्रीय विद्यालय बोर्ड, दिल्ली।

(ख) सचिव, राज्य ज़िलासैनिक बोर्ड।

(ग) प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड कार्यालय।

(घ) प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट

(ड) गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कार की प्राप्ति में पुलिस कार्मिक के लिए)

किसी अन्य प्रारूप की अनुमति नहीं होगी। माता-पिता या आश्रित के आईडीकार्ड, मेडिकल कार्ड, राशन कार्ड, सीएसडी कार्ड, आदि के रूप में सीडब्ल्यू श्रेणी के प्रमाण सही प्रारूप में प्रमाण पत्र के स्थान पर स्वीकार्य नहीं हैं। प्रमाण पत्र में प्राथमिकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करने वाले प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं कि या जाएगा।

सशस्त्र बलों के बच्चों / विधवाओं को (प्राथमिकता I से IX) प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में पैरा-सैन्य कार्मिक (केवल प्राथमिकता I से V तक) सहित: प्रवेश की पेशकश की जा सकती है

प्राथमिकता I

कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं / वार्ड;

प्राथमिकता II

रक्षा कार्मिकों के वार्डों को कार्रवाई में अक्षम कर दिया गया और सैन्य सेवा के लिए विकलांगता के साथ सेवा से बाहर कर दिया गया।

प्राथमिकता III

रक्षा कर्मियों की विधवाओं / वार्डों की शांति के समय मृत्यु हो गई

प्राथमिकता IV

सैन्य सेवा के कारण;

रक्षा कार्मिक की वार्ड सेवा में अक्षम हो गई और विकलांगता के साथ बाहर निकल गई

सैन्य सेवा के कारण; पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवा करने वाले / पूर्व सैनिकों की

प्राथमिकता v वार्ड

वीरता पुरस्कारों की प्राप्ति;

i॰ परमवीर चक्र

ii अशोक चक्र

iii महावीर चक्र

iv कीर्ति चक्र

v वीर चक्र

vi शौर्य चक्र

vii गैलेंट्री के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक

viii सेना पदक (वीरता), नौ सेना पदक (वीरता), वायु सेना पदक (वीरता)

ix उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर प्रस्तावित किए गए अवार्ड

x वीरता के लिए पुलिस पदक

VI प्राथमिकता

भूतपूर्व सैनिकों के वार्ड

VII प्राथमिकता

कार्मिकों की पत्नियाँ

i रक्षा कर्मी कार्रवाई में अक्षम हो गए और सेवा से बाहर हो गए।

ii रक्षा कर्मियों को सेवा में अक्षम कर दिया गया और सैन्य सेवा के लिए विकलांगता के साथ बाहर कर दिया गया

iii पूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी जो गैलेंट्री अवार्ड्स की प्राप्ति में हैं।

VIII प्राथमिकता

सेवारत कार्मिक की प्राथमिकता

IX प्राथमिकता

कार्मिकों की पत्नियाँ

कश्मीरी प्रवासियों का आरक्षण (अतिरिक्त सीटें)

1. कश्मीरी प्रवासियों के सभी बच्चे जो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प् रवेश के लिए विचार करना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
2. कश्मीरी प्रवासियों के वार्ड के लिए सभी कॉलेजों में %5सीटें आरक्षित हैं।

3. कश्मीरी प्रवासियों के सभी बच्चों को पंजीकरण का संभागीय आयुक्तजारी राहत आयुक्त द्वारा/ कश्मीरी प्रवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा कश्मीरी प्रवासियों के वार्डों का प्रवेश कॉलेजों द्वारा | घोषित किएजाने वाले कटऑफ पर आधारित होगा। अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित-ऑफ अंकों में अधिकतम 10%-अंतिम कटकी रियायत कश्मीरी प्रवासियों को दी जाएगी। इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है, जहां प्रवेश प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है।

जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति- योजना

जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चुने गए आवेदकों को सीधे कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है। उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाने वाली अनुसूची के अनुसार विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

सिक्किम की छात्राओं के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम सरकार द्वारा नामित सिक्किमी छात्रों को उन कॉलेजों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाएगा जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है(एसी संकल्प 51 दिनांक 05/06/1980 और 122 दिनांक 17/12/1990) सिक्किम के छात्रों का प्रवेश और छात्रावास के लिए आवंटन कुलपति द्वारा अपने विवेक पर किया जाएगा। इस श्रेणी के तहत उन पाठ्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध नहीं है जहां प्रवेश, प्रवेश परीक्षा पर आधारित है। उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाने वाली अनुसूची के अनुसार विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इन नामांकित सीटों की संख्या नीचे दी गई है:

पाठयक्रम	सीट
बी.ए.(प्रोग्राम)	3
बी.ए.(विशेष)	1
बी.कॉम.	4
बी.कॉम.(विशेष)	2
बी॰एस सी फिजिकल साईंस/एपलाईड फिजिकल	2
बीएस सी लाइफ साईंस /एपलाईड लाइफ साईंस	2
कुल	14

वार्ड कोटा के लिए सीटें

विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों, शिक्षण और गैरशिक्षण दोनों में प्रवेश अकादमिक - कल्प 9 ए और बी दिनांक 27.11.2020 के अनुसार किया जाएगा।परिषद के सं

वर्तमान कोविड 19-महामारी की स्थिति और जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य गाइड लाइन के कारण ईसीए के आधार पर प्रवेश केवल एन.सी.सी और एन.एस.एस की श्रेणी के लिए होगा , | के आयोजन के बिना होगा परीक्षण-खेल के आधार पर होने वाले प्रवेश, खेल |

1. कॉलेजों के लिए यह आवश्यक है कि वे इंटर करके शुरुआत की खेलों सामूहिक और प्रतियोगिताओं क्लास- करें। प्रोत्साहित लिए के लेने भाग में गतिविधियों अतिरिक्त और खेल को छात्रों सभीECA और Sports के लिए ECA और Sports की कम से कम) %1कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमताप्र का (तिनिधित्व सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य है, ECA और स्पोर्ट्स के लिए कुल मिलाकर) %5कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता का।(

2. ईसी.ए और खेल के आधार पर भरी जाने वाली सीटों की वास्तविक संख्या कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं., कॉलेजों की आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए तय की जाती है।
3. ईपरीक्षा पर -सी.ए और खेल के आधार पर प्रवेश उन कार्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहां प्रवेश, प्रवेश. आधारित है
4. अभ्यर्थी को ईसी.ए एवं खेलकूद के आधार पर पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आवंटन विश्वविद्यालय . कृत तरीके से कियाद्वारा केन्द्री जायेगा।
5. ईसी.ए और खेल के कार्यक्रम और सीटों की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी डीयू की वेबसाइट . पर अधिसूचित की जाएगी।
6. ईसी.ए और खेल के आधार पर प्रवेश लेने के लिए झूठे / नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार . लिए किसी भी कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे दाखिले रद्द कर दिए को तीन साल के जाएंगे और एफ.आई.आर भी दर्ज की जाएगी।

पाठ्येतर गतिविधियां ई.सी.ए) औ)र खेल कोटा

वर्तमान कोविड 19-महामारी की स्थिति और जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य गाइड लाइन के कारण र पर स्नातक प्रवेश ऑनलाइन /ऑफलाइन परीक्षण के बिना ई.सी.ए कोटा के आधा , | होगा

ईसीए कोटा

I. कॉलेजों को अंतर-श्रेणी की प्रतियोगिताओं को शुरू करके और आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करके अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों (ईसीए) में भाग लेने के लिए सभी छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए । ईसीए और खेल के लिए ईसीए और खेल के लिए कम से कम 1% प्रत्येक (कॉलेज की

कुल सेवन क्षमता का) का प्रतिनिधित्व सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य है, जो ईसीए और खेल के लिए कुल 5% (कॉलेज की कुल सेवन क्षमता) की अधिकतम सीमा के अधीन है।

II. ईसीए को आवंटित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या उपलब्ध सुविधाओं, कॉलेजों की आवश्यकता और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर तय की जाती है ।

III. ईसीए कोटा के तहत यूजी कार्यक्रम में प्रवेश केवल मेरिट आधारित कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है और उन कार्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहां प्रवेश प्रवेश परीक्षा पर आधारित होता है ।

IV. ईसीए कोटे के तहत एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी को दिल्ली यूजी एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

V. ईसीए के आधार पर अभ्यर्थी को कार्यक्रम और कॉलेज का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत ईसीए मेरिट सूची के माध्यम से और आवेदक द्वारा दर्शाए गए कॉलेजों की वरीयताओं और कार्यक्रमों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा । यह आवंटन केंद्रीकृत ईसीए मेरिट सूची, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, कार्यक्रम की उपलब्धता और कॉलेज में ईसीए कोटा/उप-कोटा के क्रम में आवेदक के रैंक के आधार पर किया जाएगा ।

VI. स्नातक प्रवेश (2021-2022 के लिए) ईसीए प्रवेश और ईसीए सीट मैट्रिक्स के शेड्यूल के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिल्ली प्रवेश वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी । उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ईसीए कोटे के तहत प्रवेश के लिए आगे के दिशा-निर्देशों और प्रवेश संबंधी अन्य जानकारी के लिए डीयू की वेबसाइट की नियमित रूप से जांच करते रहें ।

VII. ईसीए के आधार पर प्रवेश लेने के लिए झूठे/फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थी को तीन साल के लिए किसी भी कॉलेज में प्रवेश से वर्जित किया जाएगा । ऐसे मामलों में दाखिले निरस्त किए जाएंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों (ईसीए) के आधार पर प्रवेश के लिए दिशानिर्देश:

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी कार्यक्रमों में ईसीए कोटे के माध्यम से प्रवेश के अंतर्गत अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों (ईसीए) की अंतिम वर्ष की सभी चौदह श्रेणियों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

2021-22 अकादमिक वर्ष में ईसीए कोटे के तहत प्रवेश के लिए कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सीटों में विभिन्न नीचे उल्लिखित श्रेणियों और उप-श्रेणियों के अधीन किया जाएगा:

क्रमांक	कोटा	उप कोटा
1.	रचनात्मक	1.ए रचनात्मक लेखन (हिंदी) 1.अ लेखन 1.बी रचनात्मक लेखन (अंग्रेज़ी)
2.	नृत्य	2. .अ नृत्य: भारतीय शास्त्रीय 2.बी नृत्य: भारतीय लोक 2.सी नृत्य: पश्चिमी 2.डी डांस: कोरियोग्राफी
3.	वाद विवाद	3.अ.वाद-विवाद: हिन्दी 3.बी बहस: अंग्रेजी
4.	डिजिटल मीडिया	4.ए. डिजिटल मीडिया: फोटोग्राफी मीडिया 4.बी डिजिटल मीडिया: फिल्म निर्माण 4.सी डिजिटल मीडिया: एनिमेशन
5.	ललित कला	5.ए. ललित कला: स्केचिंग और पेंटिंग 5.बी ललित कला: मूर्तिकला

6.	गायन (वोकल)	6.ए. संगीत (वोकल): भारतीय (वोकल) 6.बी. म्यूजिक (वोकल): वेस्टर्न
7.	संगीत	7.ए. संगीत (वाद्य यंत्र (वाद्य यंत्र: भारतीय) तालिका : भारतीय) 7.बी संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) मृदंगम 7.सी संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) ढोलकी 7.डी संगीत 7.ई. संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) घटम 7.एफ. संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) हारमोनियम 7.जी संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) बांसुरी 7.एच संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) सितार 7.आई संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) वायलिन

		7.जे संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) सरोद 7.k संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय) संतूर
8.	संगीत	8.ए संगीत (वाद्य यंत्र (वाद्य यंत्र: पश्चिमी) ड्रम : पश्चिमी) 8.बी संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिमी) पश्चिमी बांसुरी 8.सी संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिमी) सैक्सोफोन 8.डी संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिमी) गिटार (लीड) 8.ई संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिमी) गिटार (बास) 8.एफ संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिमी) वायलिन 8.जी संगीत (वाद्य यंत्र: पश्चिमी) कीबोर्ड
9.	थिएटर	9. थिएटर
10 .	क्विज़	10. क्विज़

11 .	देवत्व	11. देवत्व
12 .	एन सी सी	12. एन सी सी
13 .	एन एस एस	13. एन एस एस
14.	योग	14. योग
	*सिर्फ सिख अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए लागू	

महत्वपूर्ण नोट: इन श्रेणियों और उप-श्रेणियों में प्रवेश कॉलेजों द्वारा दी जाने वाली सीटों के अधीन है।

विश्वविद्यालय उन ईसीए श्रेणियों / उपश्रेणियों के तहत प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं करेगा, जिनके लिए किसी कॉलेज द्वारा सीटों की पेशकश नहीं की जाती है।

उम्मीदवार अधिकतम तीन ईसीए श्रेणियों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं:

ईसीए कोटा के तहत आवेदन करने के लिए (यूआर/ओबीसी/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस) पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त 100 रुपयेका अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क होगा ।

ईसीए के तहत प्रवेश उम्मीदवारों के योग्यता / भागीदारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। कोविड -19 महामारी से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण, इस वर्ष उम्मीदवारों को पिछले चार वर्षों के प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति है। (केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए)। उम्मीदवारों को पिछले चार वर्षों (1 मई 2017 - 30 अप्रैल 2021) के अधिकतम पांच सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।

अदिनांकित प्रमाणपत्र, लेटरहेड पर प्रमाणपत्र और आंशिक रूप से अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों पर किसी भी परिस्थिति में अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

एक प्रमाण पत्र एक से अधिक बार अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। कैंडिडेट किसी इवेंट के लिए केवल एक बार पॉइंट्स क्लेम कर सकता है।

उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी और अधिकतम 100 अंकों में से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। केवल अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों (एनसीसी और एनएसएस को छोड़कर) में 20 अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ईसीए के आधार पर प्रवेश की अंतिम योग्यता सूची के लिए पात्र होंगे। ईसीए कोटा के तहत अंक उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए तीन सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्रों (अपलोड किए गए पांच में से) में दिए गए कुल अंकों के योग के आधार पर दिए जाएंगे।

ईसीए मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों का नाम किसी कॉलेज और कार्यक्रम में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। उम्मीदवार का प्रवेश कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, कॉलेज में ईसीए कोटा के तहत कार्यक्रम और सीटों की उपलब्धता और योग्यता सूची के क्रम में रैंक के अधीन है।

सूची में आने वाले उम्मीदवारों का नाम कॉलेज और कार्यक्रम में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। उम्मीदवार का प्रवेश कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, कॉलेज में कार्यक्रम और ईसीए कोटा की उपलब्धता और योग्यता सूची के क्रम में रैंक के अधीन है।

ईसीए कोटे के तहत भर्ती हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की फोरेंसिक जांच की जाएगी।

अंतिम प्रासंगिक कट-ऑफ से अनारक्षित कोटा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता में 15% से अधिक रियायत कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड के अधीन किसी विशिष्ट कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नहीं दी जाएगी। प्रत्येक कॉलेज द्वारा विशिष्ट रियायत की घोषणा की जाएगी।

कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए ईसीए के तहत प्रवेश के लिए प्रत्येक कोटा और उप-कोटा में अपनी आवश्यकता प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

ईसीए मेरिट

क्रमांक	कोटा	अधिकतम अंक
1.	प्रतियोगिता में भागीदारी/पुरस्कार	44
2.	प्रशिक्षण/परीक्षाएं	28
3.	कार्यशालाएं	16
4.	प्रदर्शन / प्रकाशित कार्य / प्रदर्शनी (पब्लिक)	12
	कुल अंक	100

प्रतियोगिताओं में भागीदारी/पुरस्कार:

प्रमाण पत्रों के लिए अधिकतम अंक40 ; सतत गतिविधि के लिए अंक 4**

		अधिकतम अंक			
क्रमांक	स्तर	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तीसरा पुरस्कार	भागीदारी
1	अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय	24	20	16	12
2	राज्य	20	16	12	08

3	जोनल/इंटर	16	12	08	00
4	इंट्रा स्कूल	12	08	04	00

उपर्युक्त अंक एकल प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे। एक समूहगति विधि के लिए, प्रत्येक समूह गतिविधि के लिए उपर्युक्त अंकों में से 4 अंक काटे जाएंगे।

यदि इस कोटे के लिए किसी भी उम्मीदवार के कुल अंक 40 से अधिक हैं, तो उसे निरंतर गतिविधि के लिए 4 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

नोट: यदि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया है या पूर्व राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है या चयन प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा प्रायोजित किया गया है तो उसके "अंतर्राष्ट्रीय स्तर" भागीदारी/पुरस्कारों पर विचार किया जा सकता है|

अन्य राज्यों या देशों के स्कूलों की भागीदारी वाले स्कूलों द्वारा आयोजित इंटर-स्कूल कार्यक्रमों को इंटर-स्कूल स्तर पर माना जाएगा, न कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।

भारत में भी एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है जब तक कि उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है।

बी) प्रशिक्षण / परीक्षाएं :

प्रमाणपत्रों के लिए अधिकतम अंक 24; सतत गतिविधि के लिए अंक 4**

सीनियर नहीं	स्तर	अधिकतम अंक			
		2 साल	3 वर्ष	चार वर्ष	>4 साल
1	गुरु के अधीन प्रशिक्षण/ उस्ताद/संस्था	8	12	16	20
2	उत्तीर्ण होने के साथ परीक्षा प्रमाणपत्र	8	12	16	20

यदि एक उम्मीदवार ने कई गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है (उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र ने हिंदुस्तानी वोकल के साथ- साथ कर्नाटक गायन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है), तो प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि के लिए अंकन की एक ही योजना का पालन किया जाएगा और अंक जोड़े जाएंगे।

परीक्षा प्रमाण पत्र के मूल्यांकन के लिए, छात्र द्वारा पारित परीक्षा के उच्चतम स्तर पर विचार किया जाना। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र के पास दूसरे वर्ष के साथ-साथ तीसरे वर्ष के लिए गंधर्व से प्रमाण पत्र है, तो केवल तीसरे वर्ष के परीक्षा प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।

कोटा (परीक्षा अनुभाग) के अंतर्गत प्राप्तांकों के लिए सीसीआरटी छात्रवृत्ति प्रमाणपत्रों/पुरस्कारों पर विचार किया जा सकता है । हालांकि, सीसीआरटी छात्रवृत्ति सीसीआरटी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए।

यदि इस कोटे के लिए किसी भी उम्मीदवार के कुल अंक 24 से अधिक हैं, तो उसे निरंतर गतिविधि के लिए 4 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

सी (कार्यशालाएं):

प्रमाणपत्रों के लिए अधिकतम अंक 12 ; सतत गतिविधि के लिए अंक 4**

क्रम संख्या	**कार्यशाला की अवधि अधिकतम**	**अंक**
1	1 सप्ताह से कम	4
2	1सप्ताह से 1माह 30)दिन(	8
3	30 दिनों से अधिक	12 4 दिया जाए

यदि इस कोटे के लिए किसी उम्मीदवार के कुल अंक 12 से अधिक हैं, तो वह निरंतर गतिविधि के लिए अतिरिक्त अंक होगा।

डी (सार्वजनिक प्रदर्शन /प्रकाशित कार्य /प्रदर्शनी)सार्वजनिक:(

अधिकतम अंक) 12 -उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर(

i) संगीत)गायन /वाद्य - (एकल /बैंड /समूह /गाना बजानेवालों

ii) नृत्य)शास्त्रीय /लोक /पश्चिमी - (एकल /समूह)एकल सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जैसे अरंगेट्राम -ब्रोशर और /या प्रदर्शन स्थल के प्रबंधन से फ़्लायर, समाचार पत्रों के नोटिस /कतरनों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है(

iii) कोरियोग्राफी - एकल / समूह प्रदर्शन

iv) रंगमंच - एकल / समूह

v) ललित कला-प्रदर्शनी

vi) मीडिया:

ए) फिल्म निर्माण- फिल्म क्रेडिट में स्वीकृत

बी) एनिमेशन - फिल्म क्रेडिट में स्वीकृत

ग) फोटोग्राफी - प्रदर्शनी

vii) रचनात्मक लेखन - प्रकाशित कार्य (सार्वजनिक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पर विचार किया जाएगा)। यदि किसी उम्मीदवार के पास सार्वजनिक प्रदर्शन/प्रदर्शनी या प्रकाशित कार्य है, तो उम्मीदवार को इस कोटे के तहत 12 अंक प्राप्त होंगे। प्रत्येक सार्वजनिक प्रदर्शन/प्रदर्शनी या प्रकाशित कार्य के लिए 4 अंक। कविताओं/लघु कथाओं/उपन्यासों/नाटकों के एकल लेखक संग्रह के लिए 4 अंक आवंटित किए जाएंगे। एक संकलन में कविता या कविता/कहानी या कहानियों/नाटकों या नाटकों में से प्रत्येक के लिए 2 अंक आवंटित किए जाएंगे।

इस कोटे के तहत निरंतर गतिविधि के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे।

**निरंतर गतिविधि का अर्थ है पुरस्कार/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसी गतिविधि को जारी रखना।

वाद-विवाद

क) उम्मीदवार केवल एक बार किसी गतिविधि के लिए अंक का दावा कर सकता है। एक ही घटना के लिए दो प्रमाणपत्रों में से, एक उच्च अंक प्राप्त करने वाले को गणना के उद्देश्य से माना जाएगा।

ख) प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर के प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। वाद-विवाद के अंतिम दौर में भाग लेने वाले प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा।

नृत्य (भारतीय शास्त्रीय / भारतीय लोक / पश्चिमी / नृत्यकला):

क) केवल उस गातिविधि से संबंधित प्रमाण पत्र जिसके लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है, पर विचार किया जाएगा।

ख) भागीदारी प्रमाण पत्र में कोटा/उप-कोटा और प्रदर्शन का स्तर (एकल और समूह) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए।

संगीत (भारतीय /पाशचात्य गायन): भागीदारी प्रमाणपत्रों में कोटा/उप-कोटा और प्रदर्शन का स्तर (एकल और समूह) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए।

संगीत (भारतीय / पश्चिमी वादय):केवल उस वाद्य से संबंधित प्रमाण पत्र जिसके लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है, पर विचार किया जाएगा।

डिजिटल मीडिया (फिल्म निर्माण और एनिमेशन): अन्य गैर-सहकर्मी की समीक्षा की गई वीडियो स्ट्रीमिंग साइटों पर YouTube अपलोड और अपलोड के अंकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

योग: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने पर अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

देवत्व :

a) केवल सिख अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए लागू

i) श्री गुरु तेग बहादुर खालसा

ii) श्री गुरु नानक देव खालसा

iii) माता सुंदरी कॉलेज

iv) माता सुंदरी कॉलेज

बी) गुरबानी में भाषण प्रतियोगिता से संबंधित प्रमाण पत्र, आदि ग्रंथ और दसम ग्रंथ से शबद गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब से पाठ का पाठ और दसम ग्रंथ और दधी परंपरा, गायन के साथ धार्मिक / ऐतिहासिक कहानी कहने पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)

1. कोविड -19 महामारी से उत्पन्न आपदा की स्थिति के कारण, इस वर्ष उम्मीदवारों को पिछले चार वर्षों के प्रमाण पत्र (केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए) अपलोड करने की अनुमति है। उम्मीदवारों को पिछले चार वर्षों 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक के अधिकतम पांच सर्वश्रेष्ठ एनसीसी प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।
2. एनसीसी इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर के बिना अद्यतन प्रमाण पत्र पर अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
3. ए और बी प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के अनंतिम प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वे उक्त परीक्षा में परिणाम का उल्लेख नहीं करते हैं।
4. स्कूल या एएनओ द्वारा प्रदान किए गए ए और बी प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए अनंतिम प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा
5. उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी और अधिकतम 100 अंकों में से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ईसीए के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को अपलोड किए गए एनसीसी प्रमाणपत्रों के अंकन में न्यूनतम 04 अंक सुरक्षित करने चाहिए।

पांच अलग-अलग शीर्षों के तहत उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

1. नियमित गतिविधि
2. परीक्षा
3. कैम्प

4. कैम्प

5. आर.डी. कैम्प

प्रत्येक कोटा (प्रतिभागिता) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक नीचे दिए गए हैं:

क्र. संख्या	कोटा	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
01	नियमित गतिविधि-ऑनलाइन*** और ऑफलाइन (सर्वश्रेष्ठ कैडेट / स्वतंत्रता दिवस / आत्मरक्षा / आईडीवाई / प्रशंसा सामाजिक जागरूकता में प्रमाण पत्र, समुदाय विकास और प्राकृतिक आपदा, कोविड-19 ***/कोई दूसरा)	04	**08**
02	परीक्षा ए / बी; एडीजी कॉम/डीजी कॉम	**12**	**20**
03	शिविर (शूटिंग शिविर/साहसिक शिविर/मुख्यमंत्री .) रैली/प्रधानमंत्री रैली एटीसी/ईबीएसबी/ सीएटीसी ट्रेकिंग/बीएलसी/एएलसी/आरसीटीसी/प्री-आरडी/प्री-टीएससी/प्री- वीएससी/प्री-एनएससी/एसएनआईसी एटीसी/ईबीएसबी/ सीएटीसी/कोविड-19***	**20**	**32**
04	विशेष शिविर (टीएससी/वीएससी/एनएससी)	**16**	**16**
05	आरडी	**24**	**24**
	कुल प्राप्त अंक		**100**

*** केवल **COVID**-19 महामारी के कारण सत्र 2021-2022 के लिए **ECA - NCC** सब-कोटा प्रवेश के लिए लागू

नोट: न्यूनतम अंक एक गतिविधि के लिए हैं और अधिकतम अंक दो या अधिक गतिविधियों के लिए हैं

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

1. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण, इस वर्ष उम्मीदवारों को पिछले चार वर्षों के प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति है। (केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए)। उम्मीदवारों को अधिकतम बेस्ट अपलोड करने की आवश्यकता होगी
2. पिछले चार वर्षों के पांच एनसीसी प्रमाण पत्र -1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021।
3. अद्यतन प्रमाण पत्र और एनएसएस के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर के बिना अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. प्रमाण पत्र में भाग लेने वाली गतिविधि में उम्मीदवार का एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में उल्लेख होना चाहिए।
5. कार्य डायरी हस्तलिखित नहीं होनी चाहिए। कार्य डायरी में प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यक्रम अधिकारी और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।
6. उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी और अधिकतम 100 अंकों में से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ईसीए के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को अपलोड किए गए एनसीसी प्रमाणपत्रों के अंकन में न्यूनतम 04 अंक सुरक्षित करने चाहिए।

नीचे दिए गए पांच अलग-अलग शीर्षों के तहत उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

क) नियमित गतिविधि

बी) काम के घंटे

ग) राष्ट्रीय शिविर

घ) विशेष शिविर

ई) प्री-आरडी कैंप

प्रत्येक भागीदारी (कोटा) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक नीचे दिए गए हैं:

S. No	Quota	Minimum Marks	Maximum Marks
1	नियमित गतिविधिऑनलाइन*** और ऑफलाइन - (स्वच्छता /वृक्षारोपण /श्रम दान / सड़क सुरक्षा मतदाता जागरूकता/महिला सुरक्षा/लिंग संवेदीकरण/कोविड-19*** या इसी तरह की कोई सामाजिक जागरूकता गतिविधि)	4	8
2	काम के घंटे (ऑनलाइन **** और ऑफलाइन)	8 अंक 120 घंटे के लिए	16 अंक 120 घंटे के लिए
3	राष्ट्रीय शिविर- SBSI/RD/NSS IG पुरस्कारNYF/NIC	24	32
4	विशेष शिविर/कार्य डायरी/कार्य डायरी के साथ विशेष शिविर	20	28
5	प्री- आरडी कैंप / स्टेट कैंप / कोविड-19 गतिविधियों के लिए एक महीने से ज़्यादा***	16	16
	कुल अंक	16	16

*** केवल COVID-19 महामारी के कारण सत्र 2021-2022 के लिए ECA - NSS सब-कोटा प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम हैं :-

नोट: न्यूनतम अंक एक गतिविधि के लिए हैं और अधिकतम अंक दो या अधिक गतिविधियों के लिए हैं।

टाई के मामले में:

एक ही ई.सी.ए. कोटा में ई.सी.ए. प्रमाणपत्रों में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले और उसी कॉलेज और उसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र अन्य उम्मीदवारों के समान अंक (टाई)को निम्नलिखित क्रम में हल किया जा सकता है: -

(i) सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा।

(ii) यदि उम्मीदवारों के सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, तो द्वितीय-सर्वोत्तम प्रमाणपत्र अंकों को टाई खत्म करने के लिए माना जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवारों के दूसरे-सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, तो तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र के अंकों को टाई खत्म करने के लिए माना जाएगा।

(iv) यदि उम्मीदवारों के तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, तो चौथे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र अंकों को टाई खत्म करने के लिए माना जाएगा

(v) यदि उम्मीदवारों के चौथे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, पांचवें सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र अंकों को टाई खत्म करने के लिए माना जाएगा।

यदि टाई अभी भी बनी रहती है तो निम्नलिखित टाई-ब्रेकिंग नियमों को अपनाया जाएगा

1. परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंक (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ चार विषयों का कुल) वाले उम्मीदवार को आवंटन / प्रवेश के लिए पहले माना जाएगा।
2. अर्हक परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंक (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ पांच विषयों का कुल) वाले उम्मीदवार को आवंटन / प्रवेश के लिए पहले माना जाएगा।
3. दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि के आधार पर जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पहले (earlier) होगी उस उम्मीदवार के आवंटन / प्रवेश पर विचार किया जाएगा।

यदि टाई बनी रहती है, तो सभी उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा सकता है।

अपलोड किए गए ई.सी.ए. प्रमाणपत्रों के अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायत का निवारण विश्वविद्यालय की यू.जी. ई.सी.ए. शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय की यू.जी. ई.सी.ए. शिकायत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार को प्रवेश के समय एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए सांस्कृतिक / एन.एस.एस. / एन.सी.सी. गतिविधियों में भाग लेगा, स्नातक कार्यक्रम की अपनी पूरी अवधि के दौरान छात्र को इन गतिविधियों में भाग नहीं लेने पर (अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने पर) कॉलेज को प्रवेश रद्द करने का अधिकार है

खेल कोटे से प्रवेश

कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व स्थिति और प्रचलित सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के कारण ईसीए और खेल के आधार पर प्रवेश ट्रायल के बिना होगा।

1. महाविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वह खेल सुविधाएं प्रदान करे और सभी छात्रों के लिए अंतर्कक्षीय प्रतियोगिताओं और सामूहिक खेलों की शुरुआत करके खेल और पाठ्येतर गतिविधियों (ईसीए) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे । ईसीए और खेल के लिए कम से कम 1% (महाविद्यालय की कुल सेवन क्षमता) का प्रतिनिधित्व सभी महाविद्यालयों के लिए अनिवार्य है, जो ईसीए और खेल के लिए कुल मिलाकर 5% (महाविद्यालय कुल सेवन क्षमता का) की सीमा के अधीन है।
2. ईसीए और खेल के आधार पर भरी जाने वाली सीटों के वास्तविक संख्या, उपलब्ध सुविधाओं, महाविद्यालय की आवश्यकताओं और प्रासंगिक कारकों को देखते हुए तय की जाती है।
3. ईसीए और खेल श्रेणी पर आधारित प्रवेश उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश, प्रवेश- परीक्षा पर आधारित है।
4. ईसीए और खेल के आधार पर आवेदक को पाठ्यक्रम और महाविद्यालय का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा।आवेदक के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम (विषयवार) का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

5. ईसीए और खेल के कार्यक्रम और सीटों की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।
6. ईसीए और खेलकूद के आधार पर प्रवेश लेने के लिए झूठे / फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक को 3 साल के लिए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे दाखिले रद्द कर दिए जाएंगे और एफआईआर दर्ज की जाएगी।

खेल के आधार पर प्रवेश लेने के लिए दिशानिर्देश:

महाविद्यालय **डीयू यूजी** प्रवेश पोर्टल पर स्पोर्ट्स कोटा (सुपरन्यूमेरी) के तहत सीटों की कुल संख्या के साथ साथ पुरुषों / महिलाओं में विभिन्न खेलों / खेलों में आवश्यकताओं के साथ प्रदर्शित करेंगे।

खेल के आधार पर प्रवेश खेल प्रवेश सूची के माध्यम से केंद्रीकृत खेल अंक पुरस्कार सूची में प्राप्त अंकों और रैंक के आधार पर प्रशासित किया जाएगा जो अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्रों के आदेश के अंकन के मूल्यांकन पर आधारित होगा।आवेदक के द्वारा पाठ्यक्रम और महाविद्यालय की वरीयता की प्राथमिकताएं महाविद्यालय में खेल / खेल की उपलब्धता के अधीन होगी।

1. खेल के आधार पर प्रवेश पाने वाले आवेदक को **डीयू यूजी** प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. आवेदक एक खेल / खेल के लिए एक पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।आवेदक अधिकतम तीन खेलों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
3. आवेदक को खेल श्रेणी में आवेदन के लिए प्रत्येक खेल / खेल के लिए ₹100/- के रूप में अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क देना होगा । (यूआर/ ओबीसी/ एससी /एसटी /पीडब्ल्यूडी/ ईडब्ल्यूएस) पंजीकरण के लिए लागू शुल्क के अतिरिक्त खेल श्रेणी में लागू होगा।

यहाँ प्रवेश का आधार होगा :

I. योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन के लिए मानदंड की श्रेणी ए के आधार पर **सीधे प्रवेश**।

II. योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड की श्रेणी बी,सी और डी के आधार पर प्रवेश।

III.योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड श्रेणी ए के आधार पर **सीधे प्रवेश**।

युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित अंडर- उल्लिखित प्रतियोगिता (प्रतियोगिता) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को पॉइंट नंबर पर खेल / खेल के लिए सीधे प्रवेश दिया जाएगा।II (बी) जहां खेल / खेल की आवश्यकता महाविद्यालयों द्वारा दी गई है।

क) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) द्वारा ओलंपिक खेल

ख)अंतरराष्ट्रीय खेल संघ (आईएसएफ) द्वारा विश्व चैंपियनशिप / विश्वकप

ग) कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (सीजीएफ) द्वारा कॉमनवेल्थ खेल

घ) एशिया ओलंपिक काउंसिल (ओसीए) द्वारा एशियाई खेल इंटरनेशनल

च)अंतरराष्ट्रीय खेल संघों (आईएसएफ) द्वारा एशियाई सीनियर चैंपियनशिप

छ)दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एसएओसी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एसएजी)

ज) अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) द्वारा पैरालंपिक खेल

II. योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड की श्रेणी बी, सी और डी के आधार पर प्रवेश

क. योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 100 अंक

1. योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड खेल / खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के अंक प्रदर्शित करते हैं।
2. आमंत्रण स्मारक ओपन पुरस्कार राशि लीग चयन ट्रायल दस्ते रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । योग्यता के पत्र / लेटरहेड / खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
3. आवेदक अधिकतम तीन योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड कर सकते हैं।
4. अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र का मूल्यांकन योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को चिन्हित करने के मापदंड के अनुसार किया जाएगा। उच्चतम अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों में प्राप्त अंकों को केंद्रीकृत खेल पुरस्कार सूची तैयार करने के लिए विचार किया जाएगा।
5. कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक 4 वर्षों के योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा।
6. आवेदक की योग्यता का उत्तर केवल उन्हीं के लिए निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने पिछले 4 वर्षों के दौरान पॉइंट नंबर II (बी) पर खेल / खेल में विशिष्ट स्थान हासिल किया है।
7. खेल के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए आवेदन को अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।

ख. प्रवेश के लिए खेल / खेल टीमों के आधार पर विचार किया गया :

बेसबॉल (पुरुष) , बास्केटबॉल (पुरुष और महिला), क्रिकेट (पुरुष और महिला), फुटबॉल (पुरुष और महिला), हैंडबॉल पुरुष और महिला, हॉकी (पुरुष और महिला) , कबड्डी (पुरुष और महिला) , खो-खो (पुरुष और महिला) , नेटबॉल (महिला), सॉफ्टबॉल (महिला) और वॉलीबॉल (पुरुष और महिला)

युगल और मुकाबले खेल :

बैडमिंटन (पुरुष और महिला),मुक्केबाजी (बॉक्सिंग) (पुरुष और महिला) , जूडो (पुरुष और महिला), स्क्वैश (पुरुष और महिला), टेबल टेनिस (पुरुष और महिला), ताइक्वांडो (पुरुष और महिला), टेनिस (पुरुष और महिला) और कुश्ती (पुरुष और महिला)

* क्योरोगी

** फ्री स्टाइल

एकल खेल:

तीरंदाजी *** (पुरुष और महिला), एथलेटिक्स (पुरुष और महिला), शतरंज (पुरुष और महिला),डाइविंग (पुरुष और महिला) , जिमनास्टिक पुरुष और महिला , शूटिंग **** (पुरुष और महिला), तैराकी पुरुष और महिला और भारोत्तोलन पुरुष और महिला।

***कंपाउंड और रिकर्व

**** 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल

ध्यान दें :

1. आवेदक को पाठ्यक्रम का आवंटन पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने और विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुरूप होने के अधिक होगा।
2. केंद्रीकृत खेल अंक पुरस्कार सूची में आने वाले आवेदक का नाम किसी पाठ्यक्रम और महाविद्यालय में प्रवेश की गारंटी है।
3. आवेदक का प्रवेश पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता और महाविद्यालय में खेल / खेल के अधीन है।

महाविद्यालय की खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगी :

i. अध्यक्ष : प्राचार्या / प्राचार्या नामांकित

ii. संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग

iii. सदस्य/ सदस्य : शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग

iv. नामांकित व्यक्ति : स्टाफ़ काउंसिल का एक संकाय सदस्य

महाविद्यालय की प्रवेश समिति:

i. आवेदक द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म को स्क्रीन करें

ii. आवेदक के मूल योग्यता/ भागीदारी खेल प्रमाण पत्र से आवंटित अंको के अनुसार आवेदक के अपलोड किए गए योग्यता/ भागीदारी खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें।

टाई के मामले में:

एक ही खेल/खेल में मूल्यांकन अपलोड की गई योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र में एक ही अंक हासिल करने वाले आवेदकों और एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र और एक ही कॉलेज को निम्नलिखित क्रम में अपनाया जा सकता है:

क) सर्वश्रेष्ठ अपलोड की गई योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र में उच्च अंक हासिल करने वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

ख) यदि आवेदकों के पास सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र में समान अंक हैं, तो टाई को तोड़ने के लिए आवंटन/प्रवेश के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा ।

ग) यदि आवेदकों के पास दूसरे सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र में समान अंक हैं, तो तीसरे सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र को टाई तोड़ने के लिए आवंटन/प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा ।

यदि टाई अभी भी बनी रहती है तो प्रवेश आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनाए गए टाई-ब्रेकिंग नियम को निम्नलिखित क्रम में अपनाया जाएगा:

I. अर्हता/बोर्ड परीक्षा में अंकों के अधिक प्रतिशत (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ चार विषयों का कुल) वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए पहले माना जाएगा ।

II. अर्हता/बोर्ड परीक्षा में अंकों के अधिक प्रतिशत (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ पांच विषयों का कुल) वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए पहले माना जाएगा ।

III. अंकित जन्म तिथि (जैसा कि दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है) वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए पहले माना जाएगा ।

यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो ऐसे सभी आवेदकों को प्रवेश दिया जा सकता है।

अपलोड की गई योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकों के पुरस्कार से संबंधित शिकायत का निवारण विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा। अपलोड किए गए योग्यता/सहभागिता खेल प्रमाण पत्र के अंक आवेदक के सूचनापट पर तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि शिकायत दर्ज की जा सके । विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत समिति द्वारा सभी शिकायतों का समाधान तीन दिन के भीतर किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत समिति द्वारा अपलोड किए गए योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र / दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम जांच के अधीन आवेदक के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए गए अंक अनंतिम हैं।

विश्वविद्यालय की यूजी खेल शिकायत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

महाविद्यालय खेलकूद के आधार पर प्रवेश दिए गए आवेदकों के दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।

खेल के आधार पर अंतिम रूप से प्रवेश प्राप्त आवेदकों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर कॉलेजों द्वारा डीन, प्रवेश और निदेशक, डीयूएससी को भेजी जाएगी।

आवेदक अपनी आयु के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और कहीं भी अंशकालिक / पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए।

आवेदक को प्रवेश के समय एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कहा गया हो कि आवेदक कॉलेज के लिए अभ्यास करेगा और भाग लेगा और यदि चयनित हो तो वह कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें विफल होने पर कॉलेज को उसके प्रवेश रद्द करने का अधिकार है। यदि आवेदक अध्ययन के स्नातक पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान नियम का उल्लंघन करता है।

योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड

श्रेणी	**खेल का स्तर/खेल प्रतियोगिताएं**	**प्रमाणपत्र जारी**	**अधिकतम अंक** (100)			
	(एस)	**करने वाले**	**प्रथम**	**द्वितीय**	**तृतीय**	**भागीदारी**
		प्रदाधिकारी	**स्थान**	**स्थान**	**स्थान**	
क	भारत का प्रतिनिधित्व	आईओसी/ आईएसएफ/				
	ओलंपिक खेलों /	सीजीएफ/	सीधे प्रवेश			

	विश्व चैम्पियनशिप /	ओसीए/एसएओसी/				
	विश्व कप/	आईपीसी				
	राष्ट्रमंडल	मान्यताप्राप्त				
	खेल/	और वित्त पोषित				
	एशियाई खेल/	मंत्रालय द्वारा				
	एशियाई वरिष्ठ	युवाओं की				
	चैम्पियनशिप/	मामलों और				
	दक्षिण एशियाई खेल/	खेल-कूद				
	पैरालंपिक खेल में किया	(एमवाईएएस)				
ख	स्थिति और/या	आईएसएफ/आईओए/				
	हिस्सेदारी	एनएसएफ	**100**	**90**	**80**	**70**
	एशियाई जूनियर में/	मान्यताप्राप्त				
	युवा/चैंपियनशिप	और				
	/प्रतियोगिताएं/	वित्त पोषित				
	राष्ट्रीय	मंत्रालय				
	खेल/ फेडरेशन	युवाओं की				
	कप/ सीनियर	मामलों और				

	राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय /	खेल-कूद				
	इंटर जोनल राष्ट्रीय /	(एमवाईएएस)/				
	राष्ट्रीय	स्कूल				
	स्कूल खेल	खेल				
	अंडर 17/19/ खेल	फ़ेडरेशन				
	भारतीय स्कूल/	भारत की				
	युवा खेल के तहत	(एसजीएफआई)				
	17/21/ युवा/					
	जूनियर राष्ट्रीय/					
	सब-जूनियर/जोनल					
	राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं					
ग	राज्य में स्थित	राज्य खेल				
	प्रतियोगिता/	संगठन /	**60**	**50**	**40**	अयोग्य
	इंटर जोनल//	राज्य				
	अंतर-जिला//	निदेशालय				
	सीबीएसई राष्ट्रीय/	का				
	केवीएस राष्ट्रीय /	शिक्षा/				
	आईपीएससी राष्ट्रीय /	राज्य स्कूल				
	डीएवी राष्ट्रीय /	बोर्डों				
	एनवीएस राष्ट्रीय /					

	विद्या भारती राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं					
घ	जिले में स्थित/ आंचलिक प्रतियोगिता/ सीबीएसई क्लस्टर/ जोनल, केवीएस/एनवीएस क्षेत्रीय, डीएवी/ विद्या भारती आंचलिक, सुब्रतो कप/ स्कूल खेल बोर्ड प्रतियोगिताएं	जिला खेल-कूद संगठन / जिला / आंचलिक / क्षेत्रीय निदेशालय का शिक्षा / जिला स्कूल बोर्ड	30	20	10	अयोग्य

ध्यान दें:

1. आमंत्रण पुरस्कार राशि/ओपन/स्मारक/लीग रैंकिंग प्रतियोगिताओं के /दस्ते/चयन ट्रायल/ खेल प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। लेटर खेल /लेटरहेड ऑफ मेरिट/ प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

2. कोविड महामारी की स्थिति को ध्या 19 - सहन में रखते हुए अधिकतम अंक प्राप्त भागिता खेल प्रमाण पत्र की अवधि को आगे बढाते हुए अप्रैल 30 से 2017 मई 1 तक के प्रमाण पत्र पर विचार किया जायेगा। 2021
3. आवेदक अधिकतम तीन खेलों के प्रमाण पत्रों की योग्यतास्वप्रमाणित भागिता की-सह/ प्रतियां अपलोड कर सकते हैं।
4. अपलोड किए गए अधिकतम प्राप्तांक भागिता खेल-सह/प्रमाणपत्र का मूल्यांकन - उपरोक्त मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, अधिकतम अंक प्राप्त अपलोड किए गए अधिकतम अंक प्राप्तभागिता खेल प्रमाण पत्र-सह/ में प्राप्त अंकों पर, केंद्रीकृत खेल अंक पुरस्कार सूची तैयार करते समय विचार किया जाएगा।
5. अपलोड किये गए अधिकतम अंक प्राप्त /काटने/भागिता खेल प्रमाण पत्र में अपूर्ण-सह/ ओवरराइटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

नॉन में प्रवेश (एनसीडब्ल्यूईबी) कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड-

नॉनउन हजारों युवतियों को सक्षम (एनसीडब्ल्यूईबी) जिएट महिला शिक्षा बोर्डकॉले- बनाता है जो विभिन्न कारणों से नियमित कॉलेज में शामिल नहीं हो सकतीं, शनिवार रविवार के दौरान और शैक्षणिक अवकाश के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और / लिए कक्षाओं में शामिल हो सकती हैं। एनसीडब्ल्यूईबी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के अपनी सुविधाओं के साथ एनसीटी दिल्ली कीमहिला छात्रों को नियमित कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना सप्ताह में एक बार विशेष कोचिंग के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा देने की सुविधा देता है। एनसीडब्ल्यूईबी महिला छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक विकल्प के रूप में उभरा है।

NCWEB अब लगभग 32,000 छात्रों के साथ 26 स्नातक केंद्रों और एक स्नातकोत्तर केंद्र के रूप में स्थित है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में 26 स्नातक सेंटर चलते हैं।

महिला उम्मीदवार जो धारा 2.4 और 2.7 में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें केंद्रीकृत स्नातक प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। उन्हें भर्ती किया जाएगा

नॉनकॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के शिक्षण केंद्रों- द्वारा बी) .ए. प्रोग्राम .कॉम.बी / (में (पास) तीन वर्ष के लिए उन्हें दिया जाएगा। प्रवेश, अनुसूची के अनुसार कटऑफ घोषित - करके योग्यता के आधार पर दिया जाता है। नॉनकॉलेजिएट छात्रों को एक साथ किसी अन्य - पूर्णकालिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अनुमति नहीं है।

एनसीटी दिल्ली में रहने वाली इच्छुक महिला उम्मीदवारों को एनसीडब्ल्यूईबी में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के चयन के आधार पर स्वचालित रूप से एनसीडब्ल्यूईबी के लिए नामांकित किया जाता है अर्थात् बी) .ए. प्रोग्रामकॉम.या बी (., या दोनों। एनसीडब्ल्यूईबी केंद्रों पर कक्षा शिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्रों से नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने की उम्मीद की जाती है क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में न्यूनतम 66.67% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जो मई के महीने में सेमेस्टर मोड वार्षिक रूप में आयोजित की जाती हैं। / एनसीडब्ल्यूईबी अपने स्नातक छात्रों को तीन साल के बीपाठ्यक्रम को पूरा करने केलिए पाँच व .कॉम.बी/.ए.र्ष की भी अनुमति देता है। बोर्ड सभी स्नातक छात्रों को संबंधित शिक्षण केंद्रों में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। बोर्ड जरूरतमंद और योग्य छात्रों को शैक्षणिक वर्ष के लिए वित्तीय सहायता और पुस्तक ऋण की सुविधा देता है।

एक शैक्षणिक वर्ष मे50 दिन कक्षाएँ चलती हैं, जो शनिवार या रविवार को और दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अवकाश के दौरान आयोजित की जाती हैं। स्नातक केन्द्रों पर कक्षाएं प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे के बीच आयोजित की जाती हैं।

*** वर्तमान में कोविड परिस्थितियों के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों- के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशा*निर्देशों के अनुसार है-**

नॉनपाठ्यक्रम का एक प्रमुख लाभ कॉलेजिएट शिक्षण-, इसकी नाममात्र की फीस के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने को मिलता है। छात्रों को कौशल विकास कार्यशालाओं, रोजगार के लिए प्लेसमेंट अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण जागरूकता जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । विभिन्न सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियाँ छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं। महिला शिक्षा के लिए एक नया क्षितिज प्राप्त करने की दिशा में, एनसीडब्ल्यूईबी महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए छोटे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे कदम उठा रहा है। यह समग्र विकास प्रदान करने और महिलाओं के दिमाग को शैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक समतावादी समाज के उद्भव के लिए प्रेरित करके सामाजिक परिवर्तन के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने की कोशिश करता है।

प्रवेश प्रक्रिया बी. ए. प्रोग्राम/बीकॉम:

बी.ए. (प्रोग्राम कोर्स में संयोजित सीटों की संख्या निश्चित होती है। एससी /ओबीसी/एसटी/ अनुसार लागू सीडब्ल्यू के लिए आरक्षण विश्वविद्यालय के नियमों के/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस होगा।

कट-ऑफ प्रतिशत का निर्धारण चुने हुए विषयों में से 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों में परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर खंड 2.4 और 2.7 में मानदंड के अनुसार किया जाएगा।

कोई भी छात्र जो एनसीडब्ल्यूईबी के किसी एक केंद्र में प्रवेश लेता है, उसे प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी अवस्था में केंद्र बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े जिन महाविद्यालयों में एनसीडब्ल्यूईबी के केन्द्र हैं उनकी सूची नीचे दी गई है:

मौजूदा एनसीडब्ल्यूईबी स्नातक केंद्रों की सूची (ता हैरविवार को खुला रह)

अदिति महाविद्यालय

भारती कॉलेज

डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज

जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज

कालिंदी कॉलेज

लक्ष्मी बाई कॉलेज

महाराजा अग्रसेन कॉलेज

मैत्रेयी कॉलेज

माता सुंदरी कॉलेज

मिरांडा हाउस

मोतीलाल नेहरू कॉलेज

पीजीडीएवी कॉलेज

राजधानी कॉलेज

सत्यवती कॉलेज (संध्या)

श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स

श्री अरबिंदो कॉलेज

विवेकानंद कॉलेज

मौजूदा एनसीडब्ल्यूईबी स्नातक केंद्रों की सूची (शनिवार को खुला रहता है)

आर्यभट्ट कॉलेज

भगिनी निवेदिता कॉलेज

व्यावसायिक अध्ययन कॉलेज

दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज

हंसराज कॉलेज

जीसस एंड मैरी कॉलेज

केशव महाविद्यालय

रामानुजन कॉलेज

श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वूमेन

*विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के एनसीडब्ल्यूईबी के लिए और अधिक केंद्र जोड़ने का अधिकार रखता है।

सामान्य जानकारी

प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

प्रवेश शुल्क करीब रुपये 3,500 (तीन हजार पांच सौ रुपयेहोगा। (

पी.डब्ल्यू.डी. श्रेणी के छात्रों से केवल रु.100/- (एक सौ रुपये मात्र) का शुल्क लिया जाएगा।

नॉन-कॉलेजिएट छात्रों को किसी अन्य पूर्णकालिक/डिग्री पाठ्यक्रम को करने की अनुमति नहीं है।

यह सुझाव दिया जाता है कि यदि संभव हो तो छात्र अपने निवास स्थान के नजदीक किसी केंद्र में प्रवेश ले सकते हैं।

एनसीटी दिल्ली का निवास प्रमाण (यानी आधार कार्ड / पासपोर्ट / वोटरआई.डी. कार्ड / आवेदक के नाम के ड्राइविंग लाइसेंस और / आवेदक के नाम के साथ राशन कार्ड) मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश के लिए अधिक जानकारी और कार्यक्रम के लिए, आवेदक को निदेशक, नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षाबोर्ड, ट्यूटोरिय लबिल्डिंग, से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.ncweb.du.ac.in देखें

प्रवेश की मंजूरी के बाद, आवेदक को ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए स्नातक प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संस्तुति के 24 घंटे के भीतर शुल्क भुगतान किया जाना चाहिए।

प्रवेश के लिए योग्यता: परीक्षा आधारित :

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक पाठ्यक्रमों (मेरिट के साथ-साथ प्रवेश आधारित) के पहले वर्ष में प्रवेश के उद्देश्य के लिए योग्यता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा बारहवीं) या मान्यता प्राप्त परीक्षा होगी। उसके समकक्ष के रूप में । विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित इन स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाली अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

आयु सीमा:

विश्वविद्यालय के अध्यादेश- । के अनुसार, विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जहां संबंधित विनियामक निकाय, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.), आदि ने अपने नियमों में न्यूनतम आयुसीमा निर्धारित की है।

तुल्य तामानदंड:

भारतीय विश्वविद्यालय संघ/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों के परीक्षा निकायों से संबंधित आवेदकों के आवेदन पर दिनांक 13.01.2005 को विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र में उल्लिखित निम्न लिखित संस्तुति के आधार पर कॉलेज / विभाग

के सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.)/भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सी.ओ.बी.एस.ई.)/मानव संसाधन विकास मंत्रालय या किसी द्विपक्षीय समझौते द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विभिन्न डिग्रियां दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्रियों के समकक्ष माना है, बशर्ते कि पाठयक्रम की अवधि दिल्ली विश्वविद्यालय के समान हो, विभिन्न पाठयकर्मो में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से और विभागों / कॉलेजों को उस माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

विदेशी विश्वविद्यालयों/ बोर्डों की विभिन्न डिग्रियां/ स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक, जो समय-समय पर समकक्ष समिति द्वारा पहले ही संस्तुत होते रहेहैं, नियमित रूप से पात्र माने जाएंगे। केवल वे अभ्यर्थी जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.)/भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सी.ओ.बी.एस.ई.)/मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सूची में नहीं आते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्डों/ विश्वविद्यालयों को व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

किसी भी बोर्ड/स्कूल द्वारा प्रोजेक्ट पर दिए गए अंक के आधार पर पाठयक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ग्रेड परिवर्तन (ए.सी .संकल्प संख्या 319 के अनुसार, दिनांक: 22.3.1976)

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से केंद्रीयमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की उच्च माध्यमिक परीक्षा स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा/मलेशिया/ओवरसीज/अफ्रीकी जी.सी.ई./एग्जामिनेशन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में दिए गए अंकों के प्रतिशत के साथ कैंब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र और अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, नई दिल्ली की 12वीं कक्षा की परीक्षा में दिए गए औसत ग्रेड का फॉर्मूला/समतुल्यता

ग्रेड	प्रत्येक ग्रेड का न्यूनतम%	ग्रेड	परिणाम प्रतिशत
1	90	ए	90
2	75	बी	75
3	66	सी	60
4	61	डी	40
5	57	ई	30
6	51	एफ	विफल
7	47		

8	**40**		
9	**विफल**		

आईबी छात्रों को प्रवेश (आईबी ग्रेड टू मार्क्स स्कीम):

7	96-100	मध्यबिंदु 98
6	83-95	मध्यबिंदु 89
5	70-82	मध्यबिंदु 76
4	56-69	मध्यबिंदु 62.5
3	41-55	मध्यबिंदु 48
2	21-40	मध्यबिंदु 30.5
1	01-20	मध्यबिंदु 10.5

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा) के छात्रों के लिए प्रवेश

ग्रेड	**प्रतिशत समान मार्क**	**माध्य परिणामी**
	श्रेणी	**प्रतिशत**
ए	80-89	85
बी	70-79	75
सी	60-69	65

डी	50-59	55
इ	40-49	45

* जहां कहीं भी जीसीई प्रमाणपत्र ग्रेड इंगित करता है; इसे प्रवेश आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के ग्रेड के समान माना जाएगा। (ग्रेड रूपांतरण देखें)

* ऑनर्स पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवार, उस विषय में अच्छे अंकों के साथ पास (उत्तीर्ण) हुए हों। भूविज्ञान और नृविज्ञान विषय में प्रवेश लेने के लिए, उम्मीदवार को भौतिकी/रसायन विज्ञान/गणित/जीव विज्ञान में से किसी भी एक विज्ञान विषय में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए।

भौतिकी / रसायन विज्ञान में ऑनर्स प्रोग्राम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार उत्तीर्ण होने चाहिए। सामान्य स्तर पर गणित और अतिरिक्त गणित और उन्नत स्तर पर कम से कम एक विषय (1) शुद्ध गणित (2) अनुप्रयुक्त गणित (3) गणित (शुद्ध और अनुप्रयुक्त) और (4) आगे, गणित या साधारण में अतिरिक्त गणित उन्नत स्तर पर स्तर और एक विषय।

कैंब्रिज इंटरनेशनल परीक्षाओं का नामकरण 2017 **से कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन में बदल दिया गया है** ।

इसके अलावा विश्वविद्यालय इस बोर्ड से 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10 + 2 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के समान मानता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों के योग्य मानता हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक समान प्रतिशत के अंकों का उपयोग किया जाएगा।

जहां प्रतिशत समान अंक उपलब्ध हैं। ग्रेड को अंकों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ अलग-अलग विषयों के प्रतिशत अंक घोषित करता है, तो प्रतिशत अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।

रीचेकिंग/पुनर्मूल्यांकन

कॉलेज उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार कर सकते हैं जिनके अंक उनके संबंधित बोर्डों द्वारा पुन: जांच/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में बढ़ जाते हैं; सीटों की उपलब्धता और विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाने पर प्रवेश की अंतिम तिथि तक वांछित पाठ्यक्रम में निर्धारित पात्रता मानदंड की पूर्ति के अधीन। कॉलेज को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर सभी जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता होगी।

प्रवेश शिकायत निवारण समितियाँ

एक ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश शिकायत निवारण समिति होगी। प्रत्येक कॉलेज की अपनी शिकायत निवारण समिति होगी। अभ्यर्थी 'शिकायत' टैब के तहत विश्वविद्यालय के स्नातक पोर्टल पर दिए गए लिंक का उपयोग करके एक ईमेल भेज सकते हैं। कॉलेज शिकायत समिति सदस्यों के नाम भी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा सी। प्रवेश के बारे में शिकायत रखने वाले उम्मीदवारों को पहले कॉलेज की शिकायत समिति से संपर्क करना चाहिए। यदि शिकायत का उचित समाधान के भीतर समाधान नहीं होता है

समय हो, तभी उम्मीदवार केंद्रीय प्रवेश शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं।

एसटी / ओबीसी / EWS और PW के लिए एक दूसरे से एक शिकायत उप समिति अनुसूचित जाति की शिकायतों की जांच के लिए किया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में एससी/एसटी/ ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए एक अलग शिकायत समिति भी होगी, जिसमें संयोजक के रूप में संपर्क अधिकारी के साथ तीन सदस्य होंगे। कॉलेज एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शिकायत समिति के सदस्यों के नाम, संपर्क नंबर और ईमेल पते को कॉलेज की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे ताकि उम्मीदवारों की जरूरतों / प्रश्नों को सुविधाजनक बनाया जा सके।

कालिंदी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)

शुल्क संरचना)2021-22) प्रथम वर्ष									
Fee details	B.A. / B.Com / B.A. (H)	B.Com (H)	Geog. (H)	Journ. (H)	B.Sc(H) - Maths/ Botony/ Zoology / Chemistry/ Physics / Life Sc	B.Sc (Phy.Sc)/ B.A (Prog) Com. Appl	B.Sc (H) Comp. Science	B.Voc (Printing Tech./ Web Designing)	M.A. (Previous Yr)
कॉलेज बकाया (ए)									
प्रवेश शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5
टयूशन शुल्क	180	180	180	180	180	180	180	180	216
पानी और बिजली	300	300	300	300	300	300	300	300	50
हाउस परीक्षा शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	60
पुस्तकालय और वाचनालय	500	500	500	500	500	500	500	500	300
पहचान पत्र	100	100	100	100	100	100	100	100	10
पत्रिका शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100
उद्यान शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	40

लैब शुल्क	-	50	50	50	50	50	50	50	-
कुल = (ए)	1365	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	781
विश्वविद्यालय बकाया									
विश्वविद्यालय उपस्थिति पंजी.	200	200	200	200	200	200	200	200	150
विश्वविद्यालय एथलेटिक शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50
सांस्कृतिक परिषद	5	5	5	5	5	5	5	5	5
विश्वविद्यालय देव .निधि	600	600	600	600	600	600	600	600	600
विश्वविद्यालय पुस्तकालय विकास शुल्क	60	60	60	60	60	60	60	60	200
विश्वविद्यालय पुस्तकालय सुरक्षा शुल्क वापसी) (योग्य	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
विश्वविद्यालय ए	20	20	20	20	20	20	20	20	20

नएसएस फंड									
विश्वविद्यालय एसएच शुल्क	2	2	2	2	2	2	2	2	2
विश्वविद्यालय डब्ल्यूएस फंड	120	120	120	120	120	120	120	120	120
विश्वविद्यालय डब्ल्यूएस शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5
कुल = (बी)	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062
छात्र निधि (बी)									
साइबर केंद्र	250	250	250	250	250	250	250	250	300
मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम	150	150	150	150	150	150	150	150	0
कौशल विकास नवाचार ऊष्मायन और उद्यमिता	100	100	100	100	100	100	100	100	0
पावर बैकअप	300	300	300	300	300	300	300	300	300
गतिविधियां विषय /.एसो/ सोसायटी	300	300	300	300	300	300	300	300	200

खेल देव. निधि	150	150	150	150	150	150	150	150	100
व्यायामशाला शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	
खेल शुल्क	400	400	400	400	400	400	400	400	400
छात्र संघ	50	50	50	50	50	50	50	50	20
एसएफ और सीए	50	50	50	50	50	50	50	50	
छात्र कल्याण	20	20	20	20	20	20	20	20	20
छात्र सहायता कोष	20	20	20	20	20	20	20	20	20
वार्षिक दिवस शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100
एसऑनर्स शुल्क	10	10	10	10	10	10	10	10	10
कॉलेज रखरखाव	500	500	500	500	500	500	500	500	400
छात्र कोष	600	600	600	600	600	600	600	600	250
एनसीसी	40	40	40	40	40	40	40	40	0
एनएसएस	40	40	40	40	40	40	40	40	0
डब्ल्यूडीसी	20	20	20	20	20	20	20	20	0
प्लेसमेंट सेल	50	50	50	50	50	50	50	50	0
पूर्व छात्र संघ	50	50	50	50	50	50	50	50	0
गुणवत्ता आश्वासन	50	50	50	50	50	50	50	50	0

कुल = (सी)	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	२१२०
सुरक्षा									
सुरक्षा वापसी) (योग्य	500	500	500	500	500	500	500	500	60
सावधानी के पैसे	-	50	50	50	50	50	50	50	0
कुल = (डी)	500	550	550	550	550	550	550	550	60
चिकित्सा एवं विकास निधि (डी)									
चिकित्सा शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	20
विकास शुल्क	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	300
संस्थागत शुल्क	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
कंप्यूटर उपयोग शुल्क	-	500	500	2450	1500	1200	2450	2450	0
लैब देव. शुल्क	-		1500	-	2500	2500	2500	2500	0
अतिरिक्त जिम्मेदारी	-	1500	1500	10000	-	-	15000	1500	0

अनुसंधान और नवाचार	200	200	200	200	200	200	200	200	0
कुल = (ई)	2900	4900	6400	15350	6900	6600	22850	9350	820
कुल योग (ई+डी+सी+बी+ए) =	**9117**	**11297**	**12797**	**21297**	**13297**	**12997**	**29247**	**15747**	**5933**
परीक्षा शुल्क									

शुल्क रियायत और छात्रवृत्ति

संयोजक: डॉ सुधा गुलाटी

सह संयोजक: डॉ. नीलम बरेजा

जरूरतमंद छात्र बाद में कॉलेज से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं । आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ट्यूशन फीस या पूरी फीस की प्रतिपूर्ति के रूप में शुल्क में रियायत दी जाती है । जो उम्मीदवार शुल्क रियायत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें जब भी नोटिस परिचालित किया जाता है तो कार्यालय में उपलब्ध आवश्यक फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। शुल्क रियायत समिति एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ-साथ छात्राओं की माली हालत को ध्यान में रखते हुए शुल्क रियायत के लिए छात्रों का चयन करती है। शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में 112 छात्रों को ट्यूशन शुल्क में रियायत दी गई और 157 छात्रों को पूरी शुल्क में छूट दी गई। कॉलेज छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्तियों (नीचे दी गई सूची) भी प्रदान करता है। इच्छुक उम्मीदवारों को हर साल सम सेमेस्टर में कार्यालय में उपलब्ध छात्रवृत्ति फॉर्म भरना अनिवार्य

है। छात्रों को यूजीसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या किसी भी राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों आदि से विभिन्न छात्रवृत्तियों से भी सम्मानित किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में छात्रों को 43 कॉलेज छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया।

शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए छात्रवृत्ति सूची

क्रम संख्या	छात्रवृत्ति का नाम	पुरस्कृत किए जाते हैं
1.	रजत जयंती छात्रवृत्ति	महाविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
2.	सुषमा गुप्ता छात्रवृत्ति	महाविद्यालय का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
3.	औद्या गुप्ता मेमोरियल छात्रवृत्ति	द्वितीय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
4.	इकबाल देवी मेमोरियल छात्रवृत्ति	प्रथम वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
5.	गणेश दास अग्निहोत्री छात्रवृत्ति	वाणिज्य का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
6.	सरदार बक्शीश सिंह लांबा मेमोरियल छात्रवृत्ति	विज्ञान (जी) का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
7.	विद्यावती अरोड़ा मेमोरियल छात्रवृत्ति	बी.ए. विशेष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
8.	डॉ. एम.पी. गुप्ता छात्रवृत्ति	एन.सी.सी. का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
9.	श्री राजकुमार ग्रोवर	पत्रकारिता विशेष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी

	छात्रवृत्ति	
10.	श्रीमती आशा रानी सेठी मेमोरियल छात्रवृत्ति	कंप्यूटर साइंस का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
11.	माता अमृता नंदामयी छात्रवृत्ति	प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व जरूरतमंद विद्यार्थी
12.	शकुंतला गुलाटी छात्रवृत्ति	55% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए
13.	सुल्तान चंद मेमोरियल छात्रवृत्ति	वाणिजय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी
14.	डॉ. के. इंदिरा कृष्णा मेमोरियल छात्रवृत्ति	• अधिकतम अंक- विज्ञान, जीवन विज्ञान, तृतीय वर्ष भाग-2 (न्यूनतम 60%) • अधिकतम अंक- विज्ञान, अप्लाइड साइंस, तृतीय वर्ष, भाग-2 (न्यूनतम 60%) • अधिकतम अंक- विज्ञान, जीव विज्ञान, भाग-1 (न्यूनतम 60%) • अधिकतम अंक- विज्ञान, द्वितीय वर्ष, अप्लाइड जीव विज्ञान, भाग-1, जीव विज्ञान (न्यूनतम 60%)
15.	उषा अग्रवाल तेजस्वी/तेजस्विनी छात्रवृत्ति	• वाणिजय (प्रोग्राम) प्रथम वर्ष, पाठ्यक्रम, अधिकतम अंक (70 से अधिक) दिल्ली में अंतरिम और बाह्य सभी प्रश्न पत्रों में • वाणिज्य (प्रोग्राम) द्वितीय वर्ष, समान परीक्षा जैसा

		ऊपर दिया गया है
16.	उषा अहूजा छात्रवृत्ति	खेल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर की उपलब्धियों के साथ
17.	श्री शेर सिंह मंगला छात्रवृत्ति	आर्ट स्ट्रीम में अधिकतम अंक (केवल आरक्षित वर्ग) के विद्यार्थी के लिए
18.	डॉ. सुश्री उषा अग्रवाल छात्रवृत्ति	महाविद्यालय में वाणिज्य (विशेष) द्वितीय सत्र में (सभी पेपरों में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर) तृतीय सत्र में दिया जाएगा
19.	डॉ. सुश्री उषा अग्रवाल ट्रस्ट छात्रवृत्ति अक्षय निधि	महाविद्यालय में वाणिज्य (विशेष) चतुर्थ सत्र में (सभी पेपरों में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर)
20.	डॉ. सुषी उषा अग्रवाल ट्रस्ट छात्रवृत्ति, अक्षय निधि	• "वाणिज्य (पाठ्यक्रम) में अधिकतम अंक, तृतीय सत्र का परीक्षा परिणाम" • वाणिज्य (पाठ्यक्रम) में अधिकतम अंक चतुर्थ सत्र का परीक्षा परिणाम
21.	डॉ. निर्मल कपिल छात्रवृत्ति	छात्र संघ का सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी को,
22.	पूर्व छात्र एसोसिएशन छात्रवृत्ति	• विज्ञान पाठ्यक्रम सभी विशेष पाठ्यक्रमों, भाग-1 में दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर
23.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	उच्चतम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी (पर 55% से कम पर नहीं) • विज्ञान (विशेष) भौतिक, भाग-1

		• विज्ञान (विशेष) भौतिकी, भाग-2
24.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	छात्र संघ छात्रवृत्ति, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए • विज्ञान भौतिक विज्ञान, भाग-1 • विज्ञान भौतिकी विज्ञान, भाग-2 • एम.ए. हिंदी (पूर्वार्ध)
25.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	छात्र संघ छात्रवृत्ति अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए • विज्ञान विशेष गणित, भाग-1 • विज्ञान विशेष गणित, भाग-2 • एम.ए. संस्कृत (पूर्वार्ध)
26.	श्री सुल्तान चंद मेमोरियल छात्रवृत्ति अक्षय निधि	वाणिज्य (विशेष) द्वितीय वर्ष में अधिकतम अंक 70% से अधिक सभी विषयों में
27.	डी.एन. देवान छात्रवृत्ति	निर्धन छात्र (तीनों वर्षों में से कोई) संस्कृत विशेष
28.	छात्र संघ छात्रवृत्तियाँ	अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी (पर 55% से कम पर नहीं) • कला स्नातक अर्थशास्त्र (विशेष) भाग-1 • कला स्नातक (विशेष) अंग्रेजी, भाग-1 • कला स्नातक अर्थशास्त्र (विशेष), भाग-2 • कला स्नातक (विशेष) अंग्रेजी, भाग-2
29.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	• कला स्नातक (विशेष) पत्रकारिता की परीक्षा में प्रथम

		स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को • भाग-1 • भाग-2
30.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	एम.ए. (पूर्वार्ध) राजनीति विज्ञान अधिकतम अंक (पर 55% से कम पर नहीं) प्राप्त करने वाले छात्र को
31.	स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति	महाविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्रों (तीनों धाराओं में)
32.	मालती छात्रवृत्ति	अधिकतम अंक कला स्नातक (विशेष) हिंदी में (अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी) प्राप्त करने पर 55% से अधिक
33.	डॉ. अनुला मौर्य छात्रवृत्ति	महाविद्यालय के मेधावी छात्र को शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी में
34.	रोहित मल्होत्रा छात्रवृत्ति	• वाणिज्य (विशेष) प्रथम वर्ष के छात्र को दी जाती है जिसे वित्तीय मदद की सख्त जरूरत है। • छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के साथ पूरा होने तक जारी रहेगी।
35.	रोहित मल्होत्रा छात्रवृत्ति	निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर 1,2,3 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दी जाती है। • कला स्नातक (विशेष) अर्थशास्त्र • कला स्नातक (विशेष) अंग्रेजी • कला स्नातक (विशेष) पत्रकारिता • वाणिज्य (विशेष) • वाणिज्य (प्रोग्राम) • विज्ञान (विशेष) कंप्यूटर विज्ञान • विज्ञान (विशेष) भौतिक • विज्ञान (विशेष) गणित • मेरिट छात्रवृत्ति
36.	रोहित मल्होत्रा छात्रावृत्ति	सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, विशेष रूप से जरूरतमंद को ध्यान दें:- उपरोक्त श्रेणी के छात्रा की अनुपलब्धता के

		मामले में यह किसी भी श्रेणी पाठ्यक्रम के मेधावी जरूरतमंद छात्रा को दी जाएगी।
37.	स्व. प्रो. बी.पी. मौर्य स्मृति छात्रवृत्ति	सभी तीनों धाराओं (मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य) के आर्थिक रूप से कमजोर सर्वश्रेष्ठ छात्रों को
38.	श्रीमती प्रकाशवती नानचाहल छात्रवृत्ति	अधिकतम अंक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भाग-2 की परीक्षा में
39.	श्रीमती लीला सहगल छात्रवृत्ति	अधिकतम अंक कला विज्ञान जीवन विज्ञान के वनस्पति विज्ञान, भाग-1 की परीक्षा में
40.	मंजू गंभीर स्मृति छात्रवृत्ति	अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य के तृतीय वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा को
41.	श्रीमती सत्यवती देवी छात्रवृत्ति	बी.ए. विशेष हिन्दी, द्वितीय या तृतीय वर्ष (केवल आरक्षित श्रेणी) के छात्रा को जिसने हिन्दी में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया हो।
42.	श्री सूबेदार सिंह छात्रवृत्ति	एन.सी.सी. के तृतीय वर्ष की छात्रा को (एन.सी.सी. के प्रति सर्वाधिक समर्पित छात्रा को)
43.	स्वदेश कुमार नंदा छात्रवृत्ति	रसायन विज्ञान विशेष के तृतीय वर्ष की छात्रा को (सर्वोच्च अंक हेतु)

परिणामों की एक झलक

विश्वविद्यालय रैंकर

क्र.सं.	छात्र का नाम	अवधि	अनुक्रमांक	वर्तमान सेमेस्टर	विश्वविद्यालय रैंक
1.	शैली मिश्रा	बीए (ऑनर्स) पत्रकारिता	17033520010	उत्तीर्ण हुआ	विश्वविद्यालय में III

उत्कृष्टता पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार	नाम	अवधि	वर्ष	अनुक्रमांक
1.	नरगिस सुनील दत्त गर्ल ऑफ द ईयर (अधिकतम पुरस्कार के लिए)	दीप्ति नेगी	बीएससी जीव विज्ञान	तृतीय	18033583009
2.	उत्कृष्टता का सर्वांगीण पुरस्कार (शिक्षाविदों के लिए)	प्रियल तनेजा	बीएससी जीव विज्ञान	उत्तीर्ण	17033583010
3.	प्राचार्य का पुरस्कार (ऑल राउंड छात्र के लिए)	अमृता तिवारी	बीएससी जीव विज्ञान	द्वितीय	19033583008
4.	शिव पाल गोयल स्मृति पुरस्कार (अकादमिक उत्कृष्टता के लिए)	किरण	बी.कॉम.	तृतीय	18033503002

5.	श्रीमती राज कुमारी बेरी पुरस्कार (गरीब छात्रों की सहायता हेतु)	संगीता गुप्ता	बीएससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान	द्वितीय	19033556014
6.	आदर्श कुमारी जैन स्मृति पुरस्कार (डिबेट के लिए)	दिव्या कौशली	बीए प्रोग्राम	द्वितीय	19501225
7.	प्रधानाचार्य शिव दुआ स्मृति पुरस्कार (सामाजिक विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए)	कविता सैनी	बीए (ऑनर्स) हिंदी	उत्तीर्ण	17033516059
8.	आशा मेमोरियल पुरस्कार (छात्र के रूप में उपयुक्त)	मानसी गोयल	बीए प्रोग्राम	तृतीय	18033501174
9.	प्रकाशस्वती कपूर मेमोरियल पुरस्कार (वर्ष विशिष्टता पुरस्कार)	दीप्ति नेगी	जीव विज्ञान	तृतीय	18033583009

विभिन्न पेपरों में ओ ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या

अवधि	छात्रों की संख्या
वनस्पति विज्ञान	68
रसायन शास्त्र	133

वाणिज्य	218
कंप्यूटर विज्ञान	133
अर्थशास्त्र	31
अंग्रेज़ी	0
भूगोल	106
हिंदी	02
पत्रकारिता	20
गणित	324
भौतिक विज्ञान	200
राजनीति विज्ञान	02
संस्कृत	47
प्राणि विज्ञान	52
बीए (प्रोग्राम)	105
कुल	1441

अनुशास्ता बोर्ड

संयोजक: डॉ चैती दास

सह-संयोजक: डॉ इंदु चौधरी

अनुशास्ता बोर्ड कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने से संबंधित है। इसके कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV-B द्वारा शासित होते हैं। कॉलेज अपने छात्रों से संस्था की गरिमा को बनाए रखने और अनुकरणीय तरीके से कार्य करने की अपेक्षा करता है। प्रत्येक छात्र, उपरोक्त अध्यादेश में निर्धारित प्रावधानों के अतिरिक्त, कॉलेज के नियमों का पालन करेगा और देश का कानून का पालन करने वाला नागरिक होगा।

महाविद्यालय के नियम व कानून

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से महाविद्यालयी परिसर और परिसर के बाहर अनुशासन और सभी आचरण की अपेक्षा की जाती है| इसके लिए कुछ निम्नलिखित प्रावधान हैं-

1. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर या महाविद्यालयी परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में संलिप्त पाया जाता है तो उसे महाविद्यालय प्राचार्या के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा| अनुशासनहीनता के लिए महाविद्यालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुशासन संबंधी नियमों **XV (बी)** और **XV (सी)** के आधार पर विद्यार्थी पर कई प्रकार की कार्यवाहियाँ की जा सकती है| जैसे-चेतावनी/जुर्माना/ महाविद्यालय पुस्तकालय निष्कासन और महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है|
2. महाविद्यालय प्राचार्या की अनुमति के बिना महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई संस्था, सोसायटी या समूह का गठन नहीं किया जाएगा और न ही महाविद्यालय की किसी कार्यशाला में बाहर से किसी वक्ता को आमंत्रित किया जाएगा|
3. विद्यार्थी अपनी साईकिल, मोटर साईकिल, स्कूटर/स्कूटी, कार इत्यादि को निर्दिष्ट पार्किन क्षेत्र में ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पर ताला लगाकर खड़ी करें| महाविद्यालय में पार्किंग क्षेत्र के अलावा किसी भी स्थान पर कोई भी साईकिल, मोटर साईकिल, स्कूटर/स्कूटी, कार इत्यादि खड़ी नहीं की जाएगी|
4. विद्यार्थी प्राचार्या की लिखित अनुमति के बिना महाविद्यालय से बाहर के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या पुलिस को महाविद्यालय के भीतर आमंत्रित नहीं करेगा|
5. महाविद्यालय में पंजीकरण के समय सभी विद्यार्थियों को कुलपति, कालिंदी महाविद्यालय और दिल्ली विश्वद्यालय की अन्य समितियों द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक नियमों के प्रति अपनी लिखित सहमति अपने हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय में जमा करवानी होगी|

6. दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध किसी भी स्थान, महाविद्यालय परिसर और सार्वजनिक परिवहन में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है| यहाँ तक कि रैगिंग के लिए उकसाना भी रैगिंग ही है और रैगिंग के लिए किया गया किसी भी प्रकार का वैयक्तिक और सामूहिक प्रयास अपराध के दायरे में आता है| ऐसे विद्यार्थियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश **XV (सी)** के तहत कार्यवाही की जाएगी| यदि कोई विद्यार्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर उपाधि प्राप्त कर चुका है और वह रैगिंग समिति द्वारा रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो अध्यादेश **XV (सी)** के नियमानुसार दिल्ली विश्वविद्यालय उस विद्यार्थी की उपाधि वापस ले सकता है| विद्यार्थी पंजीकरण के समय यह घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र महाविद्यालय में जमा करवाएँगे कि भविष्य में यदि वह किसी भी प्रकार की रैगिंग संबंधी गतिविधियों/ घटनाओं में संलिप्त पाया गया तो वह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही का ज़िम्मेदार वह ख़ुद होगा|
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महाविद्यालय परिसर के भीतर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है| दिल्ली विश्वविद्यालय पुलिस और विश्व फेफड़ा फाउंडेशन-दक्षिण एशिया (वर्ल्ड लंग फाउंडेशन-साउथ एशिया) के साथ मिलकर तम्बाकू मुक्त पर्यावरण बनाने में सहयोग कर रहा है|

इसी दिशा में एक क़दम आगे बढ़ाते हुए कालिंदी महाविद्यालय में महाविद्यालय में पंजीकरण के समय सभी विद्यार्थियों को कुलपति, काल कालिंदी महाविद्यालय और दिल्ली विशाविद्यालय की अन्य समितियों द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक नियमों के प्रति अपनी लिखित सहमति अपने हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय में जमा करवानी होगी|

कोरोना वायरस महामारी से सुरक्षा के उपाय

1. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर समय करना अनिवार्य है|
2. अगली सूचना तक मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा|

3. स्वच्छता को प्रेत्साहन देने के लिए हाथों को बार-बार धोना होगा|

अध्यादेश

कॉलेज के छात्र को कॉलेज के अंदर और बाहर अनुशासन और अच्छे आचरण को बनाए रखना आवश्यक है| अनुशासन नियमों का उल्लंघन और रैगिंग, यौन उत्पीड़न आदि कार्य विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्यादेश के अनुसार दंडनीय है:

1. अध्यादेश **VII**- उपस्थिति के नियम
2. अध्यादेश **XV- (बी)**- अनुशासन
3. अध्यादेश **XV- (सी)**- एंटी- रैगिंग
4. अध्यादेश **XV- (बी)**- यौन उत्पीड़न

रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसमें लिप्त पाए जाने पर कॉलेज से निलंबन किया जा सकता है| किसी भी प्रकार के रैगिंग की घटना की सूचना छात्रसंघ, संकाय सलाहकार या प्राचार्या को दी जा सकती है| माननीय सर्वोच्च न्यालय ने ऐसे मामलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका कॉलेज पालन करेगा| ये अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइड पर उपलब्ध है और छात्रों को उन्हें ध्यान से पढ़ना आवश्यक है|

पालन करने के लिए कुछ नियम- अनुशासन और विनियमों के साथ स्वतंत्रता

विद्यार्थी क्या करें	विद्यार्थी क्या न करें
✓ महाविद्यालय के नियमों का पालन|	X कक्षाएँ, व्याख्यान, असाइनमेंट (समानुदेशन कार्य) प्रोजेक्टर)परियोजन कार्य) और प्रैक्टिकल)प्रायोगिक अभ्यास) न छोड़े|
✓ प्रतिदिन महाविद्यालय में पहचान-पत्र लेकर आएँ|	
✓ बिना अनुमति शिक्षक-कक्ष में न जाएँ|	
✓ बिना किसी कारण बरामदों में न घूमें और ओपनी कक्षा में ही रहें|	X अपनी कक्षाओं में देरी से न पहुँचें|
✓ नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हों|	X सभी विद्यार्थियों का नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होना
✓ सभी सांस्कृतिक गतिविधियों और विभागीय समारोहों	

में उपस्थित होना अनिवार्य है| ✓ महाविद्यालय की सांस्कृतिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी| ✓ राष्ट्रीय कैडर कोर (एन.सी.सी.) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) और खेलों में नियमित रूप से भागीदारी| ✓ प्रतिदिन सूचना-पट्ट पढ़े| ✓ खाली समय में पुस्तकालय का प्रयोग करें| ✓ अभद्र भाषा, व्यवहार और व्यर्थ की बहस न करें| ✓ कठिन परिस्थितियों या परेशानी के समय महाविद्यालय के सदस्यों से बात करें| ✓ महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ| ✓ कक्षा समाप्त होने पर कक्ष के पंखे व लाइट बंद कर दें| ✓ महाविद्यालय की कक्षाएँ समाप्त हो जाने पर महाविद्यालय परिसर में न रहें|	अनिवार्य है| X कक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों/ समारोहों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें| X पुस्तकालय की पुस्तकों के पृष्ठों को न तो रेखांकित करें, न फाड़े और न उन्हें नष्ट करें| X कक्षा और समारोहों में ध्यान भंग न करें| X बरामदों में ज़ोर-शोर से बातें न करें| X किसी भी विवादास्पद फ़ोटो, एस.एम.एस./ एम.एम.एस.या अन्य सामग्री का वितरण/प्रसरण या प्रयोग न करें| X महाविद्यालय की दीवारों/ महाविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय भवन को नुकसान न पहुँचाएँ| X कक्षा में रखे फर्नीचर को नुकसान न पहुँचाएँ| X डेस्क पर पैर न रखें और न उन पर चढ़कर कूदें| X सीढ़ियों पर न बैठें और धक्का-

	मुक्की न करें| X कूड़ा न फैलाएँ| X खाद्य और पेय पदार्थ कक्षा में न लाएँ| X गंभीर और फ़ैलने वाली बीमारी से ग्रस्त होने पर महाविद्यालय न आएँ| X रैगिंग में लिप्त न हो| X टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार न करें।

अस्वीकरण

यहाँ दी गई जानकारी केवल कालिंदी कॉलेज द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों से संबंधित है। विस्तृत जानकारी के लिए, आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय सूचना बुलेटिन या विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रासंगिक नियमों, अध्यादेशों और विधियों में निहित जानकारी अंतिम होगी। प्रॉस्पेक्टस में निहित डेटा केवल सांकेतिक है और इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चल रहे कोरोना वायरस महामारी के कारण सुरक्षा उपाय किए जाने हैं :-

1. हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

2. अगली सूचना तक मास्क अनिवार्य रहेगा

3. हाथों को बार-बार सेनेटाइज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

प्रवेश समिति

हेल्प डेस्क और छात्र कल्याण समिति

सुश्री स्वीटी (संयोजक)

डॉ. निशांत वर्मा

डॉ महेश चंद

डॉ श्रुति दवार

डॉ मुकेश

डॉ. मयंक कृष्ण

डॉ अभिषेक कुमार सिंह

मो. नदीम

छात्र शिकायत समिति

डॉ. पूनम त्यागी (संयोजक)

डॉ अंजू गुप्ता

डॉ. हरि किशन भारद्वाज

डॉ सुनीता मीना डॉ.

डॉ श्वेता गुप्ता

सुश्री रेशु चौधरी

डॉ. सुदेश भारद्वाज

सुश्री अलकास

सुश्री मनीला नारज़ारी

गीतिका सोनकरी

डॉ. दुर्गेश कुशवाहा

विशेष वर्ग (एससी /एसटी /ओबीसी /पीडब्ल्यूडी /ईडब्ल्यूएस) प्रवेश समिति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समिति	डॉ. अरुणजीत (संयोजक) सुश्री सुबाथरा वी डॉ. शिव कुमार सुश्री शमा जानी श्री सुरेश कुमार
ओबीसी समिति	डॉ दिव्या वर्मा (संयोजक) डॉ दीपक यादव श्री सुश्रुत भाटिया डॉ. नघमा प्रवीण डॉ शालिनी शर्मा सुश्री एल. पावेनाइन
पीडब्ल्यूडी कमेटी	डॉ. अंजनी कुमार (संयोजक) डॉ कल्पना कुमारी
ईडब्ल्यूएस	डॉ. संगीता ढल (संयोजक) डॉ. प्रियंका वर्मा डॉ. शिव कुमार (रसायन विज्ञान) डॉ. रश्मि मेनन

महिला सुरक्षा

महिला हेल्पलाइन नंबर

क्र. सं.	सूत्रों का नाम	हेल्पलाइन नंबर
1.	पुलिस	100
2.	महिला हेल्पलाइन	1091
3.	विशेष प्रकोष्ठ (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए	1093

महिला सुरक्षा आवेदन

क्र. सं.	आवेदन का नाम	एप लिंक
1.	हिम्मत प्लस	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dp.himmat
2.	माई सेफ्टीपिन	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safetipin.mysafetipin
3.	लेटस्ट्रैक	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pb.letstrakpro

कॉलेज प्रशासन

कार्यवाहक प्राचार्या	डॉ. नैना हसीजा
बरसर	डॉ. पुनीता वर्मा
संयोजक, एंटी रैगिंग	डॉ पूनम सघदेवा
अपीलीय प्राधिकरण	डॉ. नैना हसीजा
पीआईओ	सुश्री कर्णिका गौड़, लाइब्रेरियन
एपीआईओ	सुश्री भवना मुंजाल, ऑफिस एसपीए
एनसीसी अधिकारी	लेफ्टिनेंट कमांडर डॉ. आरती सिंह
एनएसएस अधिकारी	डॉ. अलका चतुर्वेदी
एससी-एसटी संपर्क अधिकारी	डॉ.तारकेश्वर, सहायक प्रोफेसर, जंतुविज्ञान विभाग
ओबीसी संपर्क अधिकारी	डॉ. दीपक यादव, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
ईडब्ल्यूएस संपर्क अधिकारी	डॉ. रंजना रॉय मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग
अनुभाग अधिकारी (लेखा)	श्री अमित गुप्ता
अनुभाग अधिकारी (ऑफिस) Offg.	श्री संजय कुमार
एकेडमिक ब्लॉक प्रभारी	डॉ. सीमा सहदेव
अकादमिक ब्लॉक देखभाल	श्री हेमंत नंदा
विज्ञान ब्लॉक प्रभारी	डॉ. रचना कुमार
विज्ञान ब्लॉक देखभाल	श्री हेमंत नंदा

शिक्षण अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक प्रभारी	डॉ. चैतन्य दास
शिक्षण अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक देखभाल	श्री एन.के भारद्वाज
खेल उपयोगिता केंद्र प्रभारी	डॉ सुनीता शर्मा
खेल उपयोगिता केंद्र देखभाल	श्री एन.के भारद्वाज
छात्र सुविधा केंद्र प्रभारी	डॉ पंकज कुमार
छात्रों की सुविधा केंद्र देखभाल	श्री हेमंत नंदा
पुस्तकालय प्रभारी	सुश्री कर्णिका गौड़
पुस्तकालय देखभाल	श्री एन.के भारद्वाज

महाविद्यालय की कुछ झलकियां

HERBAL GARDEN

Theme Park

कालिन्दी कॉलिज KALINDI COLLEGE
HANDBALL
JUDO

ENTERTAINMENT

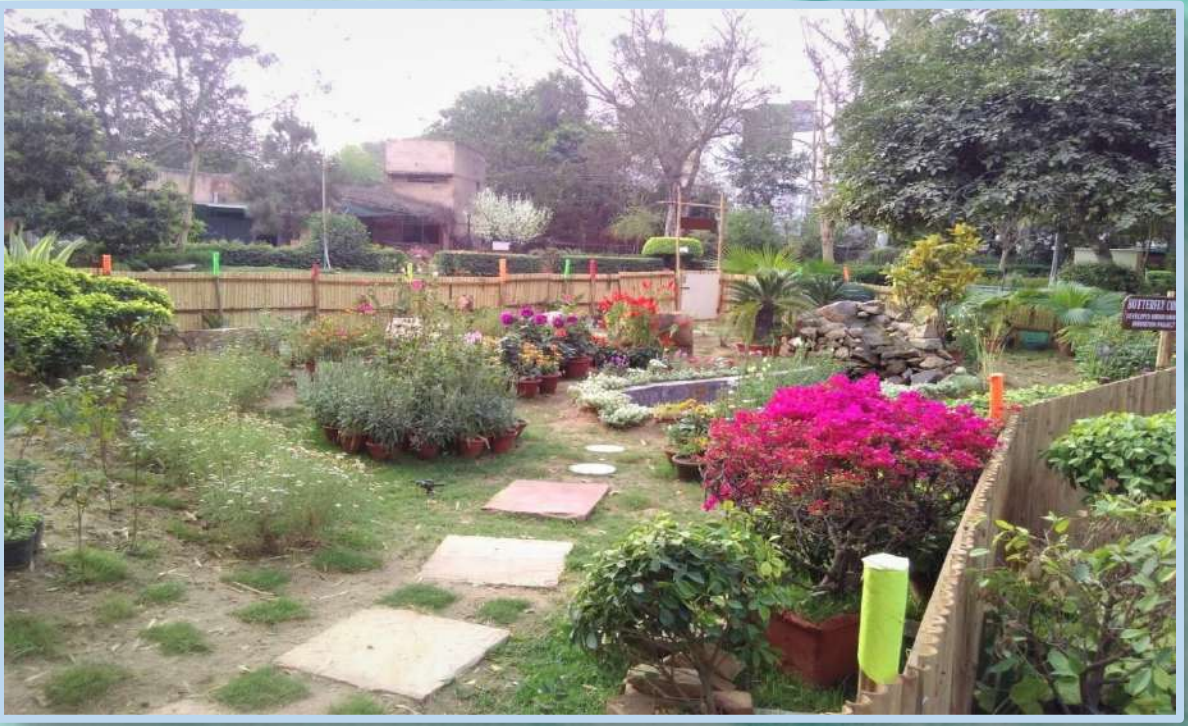

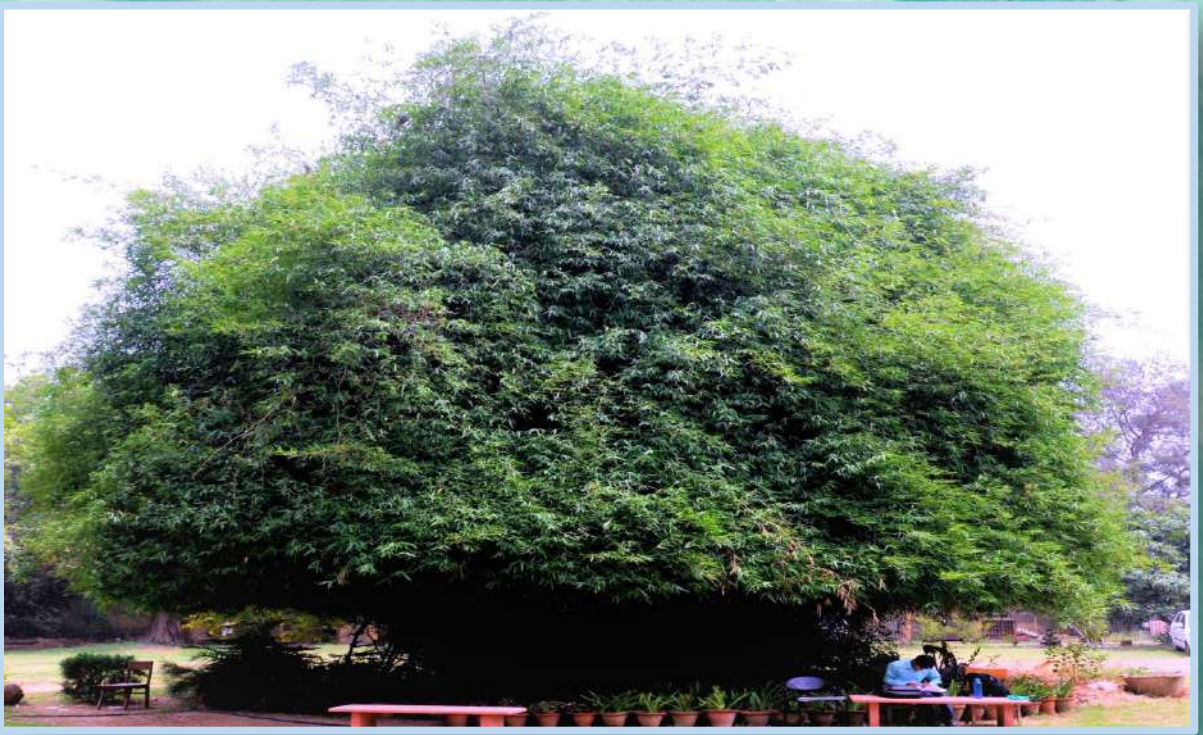

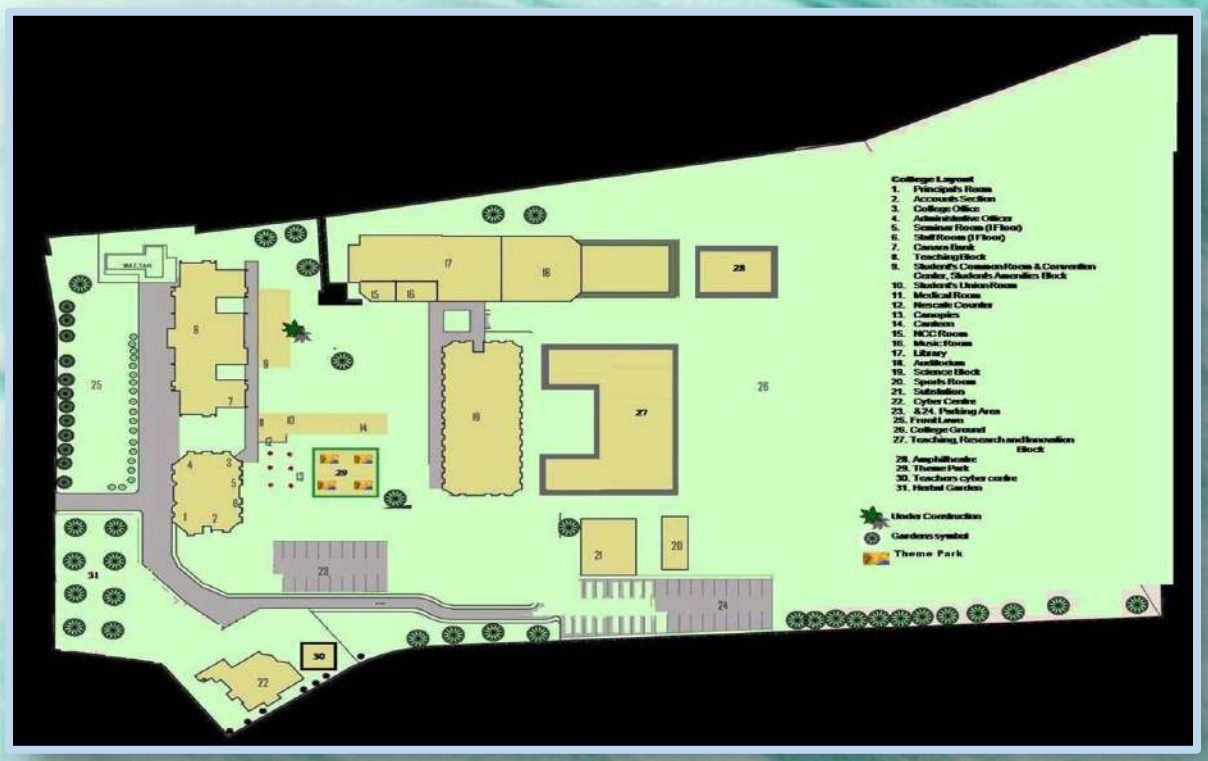
College Layout
1. Principal's Room
2. Accounts Section
3. College Office
4. Administrative Office
5. Seminar Room (IFloor)
6. Staff Room (I Floor)
7. Canteen Block
8. Teaching Block
9. Student's Common Room & Convention Center, Students Amenities Block
10. Student's Union Room
11. Medical Room
12. Mercantile Counter
13. Canopies
14. Canteen
15. NCC Room
16. Music Room
17. Library
18. Auditorium
19. Science Block
20. Sports Room
21. Substation
22. Cyber Centre
23. &24. Parking Area
25. Front Lawn
26. College Ground
27. Teaching, Research and Innovation Block
28. Amphitheatre
29. Theme Park
30. Teachers cyber centre
31. Herbal Garden
Under Construction
Gardens symbol
Theme Park

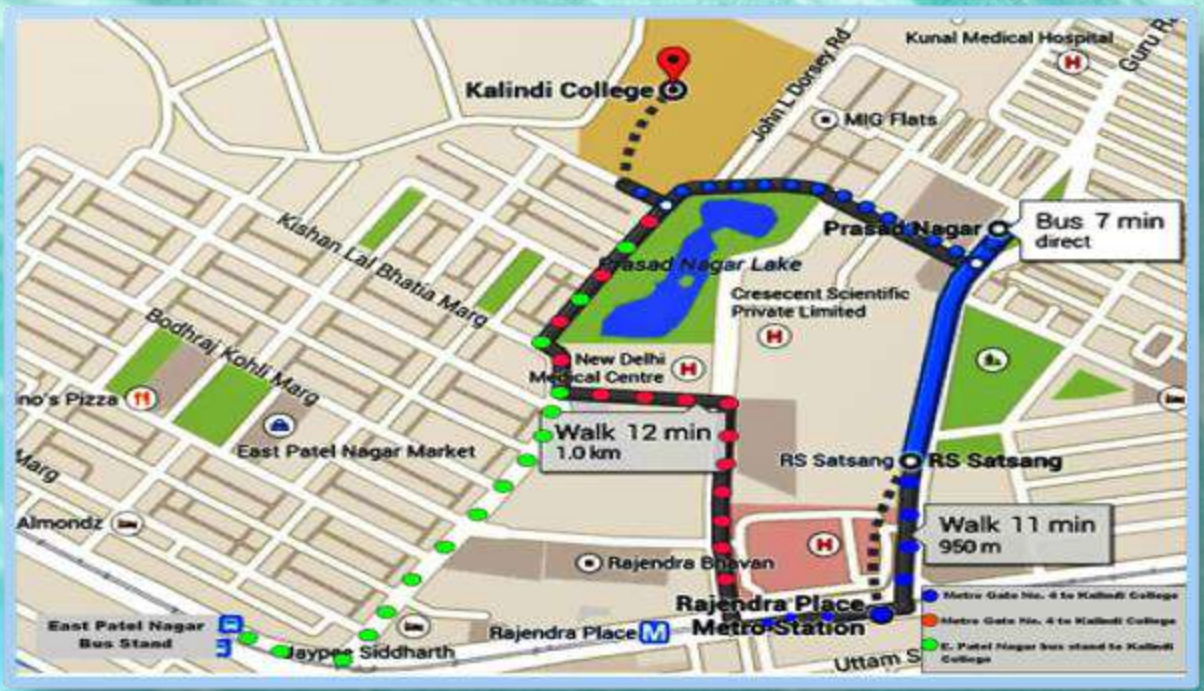
Kalindi College
Kunal Medical Hospital
John L Dorsey Rd
MIG Flats
Kishan Lal Bhatia Marg
Prasad Nagar
Bus 7 min
direct
Prasad Nagar Lake
Cresecent Scientific
Private Limited
Bodhraj Kohli Marg
New Delhi
Medical Centre
Walk 12 min
1.0 km
East Patel Nagar Market
RS Satsang
RS Satsang
Walk 11 min
950 m
Almondz
Rajendra Bhavan
Rajendra Place
Metro Station
East Patel Nagar
Bus Stand
Jaypee Siddharth
Rajendra Place
Uttam S

विवरणिका समिति

प्रो॰ नैना हसीजा	संरक्षक
डॉ॰ रिनी पुंडीर	संयोजक
श्री॰सुश्रुत भाटिया	सह संयोजक (अँग्रेजी भाग)
डॉ॰मुकेश	सदस्य (अँग्रेजी भाग)
सुश्री स्नेहा सवाई	सदस्य (अँग्रेजी भाग)
सुश्री एल पावनी	सदस्य (अँग्रेजी भाग)
डॉ॰एजरा जॉन	सदस्य (अँग्रेजी भाग)
डॉ॰रश्मि मेनन	सदस्य (अँग्रेजी भाग)
सुश्री ममता सचदेवा	सदस्य (अँग्रेजी भाग)
डॉ॰ आरती सिंह	सह-संयोजक (प्रभारी हिंदी विभाग) अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद
डॉ. मंजु शर्मा डॉ. विभा ठाकुर सुश्री बलजीत डॉ. रक्षा गीता डॉ. ऋतु डॉ. ब्रह्मा नन्द डॉ. हेमंत रमण रवि डॉ. संजय कुमार सिंह डॉ. लवकुश कुमार डॉ. सुरेश मीणा, डॉ. ममता चौरसिया	अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद
सुश्री गुंजन वर्मा	वाणिज्य प्रतिनिधि
सुश्री स्वीटी	विज्ञान प्रतिनिधि
डॉ. सुशील मलिक	सदस्य
सुश्री रेशु चौधरी	सदस्य
सुश्री नगमा	सदस्य
डॉ साजिद इकबाल	सदस्य

अस्वीकारण घोषणा

इस विवरणिका की विषयवस्तु की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती गई है। यहां दी गई सूचना का संबंध केवल कालिंदी कॉलेज के पाठ्यक्रमों से है। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के संगत नियमों, अध्यादेशों और उप-नियमों में दी गई सूचना अंतिम होगी। विवरणिका में निहित डाटा केवल सांकेतिक है और उसका प्रयोग कानूनी प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

KALINDI COLLEGE
(UNIVERSITY OF DELHI)

East Patel Nagar, New Delhi-110008

Phone: 011-25787604, Fax : 011-25782505
Email: kalindisampark@kalindi.du.ac.in
Website: http://www.kalindicollege.in/